खण्ड-243, अंक-1
बुधवार, 8 कार्तिक, शक संवत् 1885
(30 अक्टूबर, 1963 ई0)

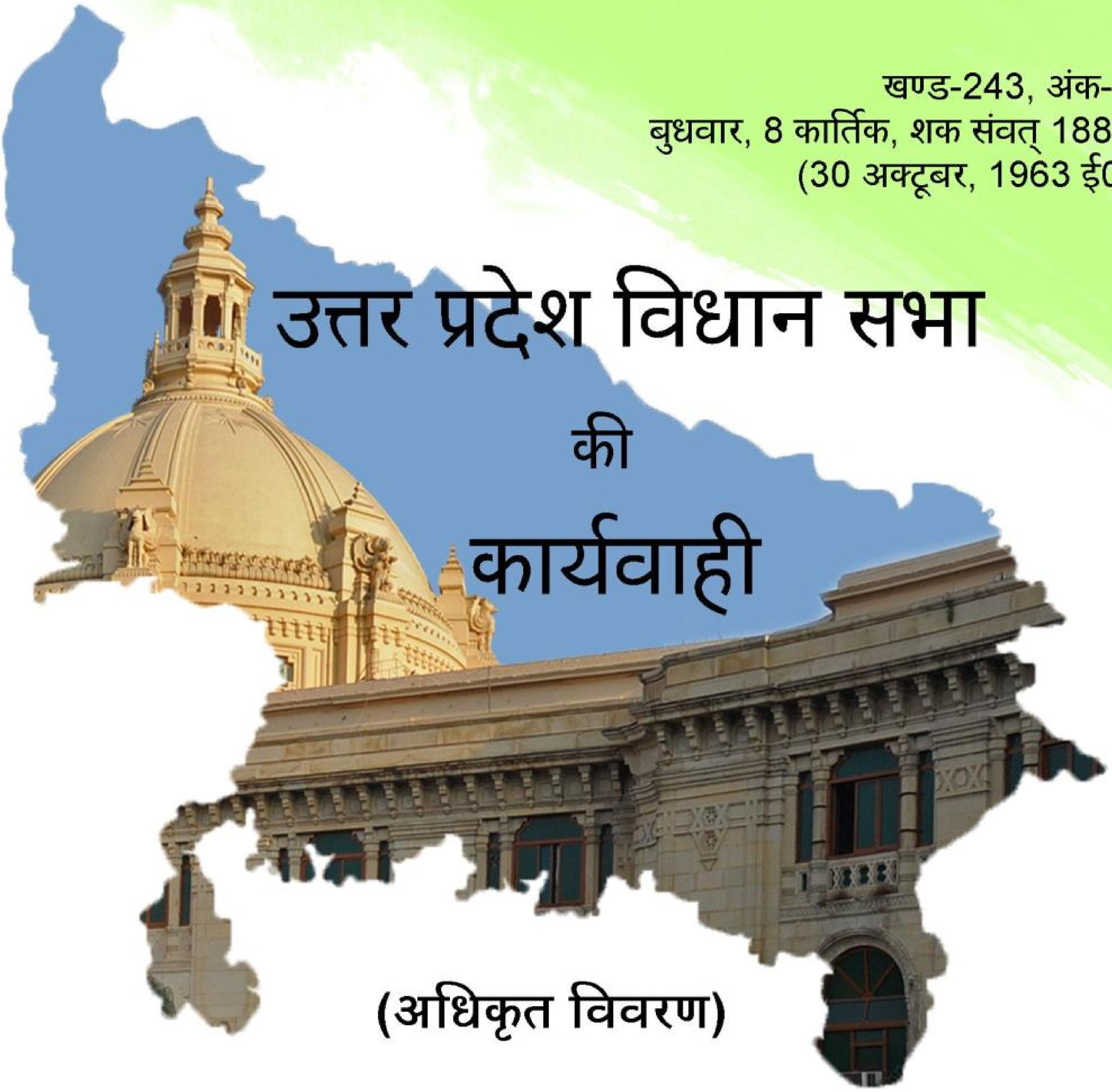

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 243 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर (जारी)	५–१३
२५ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न ११ का शोधन	१३
प्रश्नोत्तर (समाप्त)	१३–५६
प्रश्नों के उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति	५६–५९
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (गांव सभाओं के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण) नियमावली, १९६३ (सदन की मेज पर रखी गयी)	५९–६०
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६०
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६०
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६०
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६१
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	६१
१९६०–६१ के विनियोग लेखे (एप्रोप्रियेशन एकाउण्ट्स) और १९६२ की लेखा-परीक्षा (आडिट रिपोर्ट) पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	६१–६४
कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	६४–६५
संविधान के १५वें संशोधन पर अनुसमर्थनार्थ सदन में नियम १८३ के अन्तर्गत संकल्प पर चर्चा न होने तथा इस सम्बन्ध में कथित गलत सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय ..	६५–६९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	६९
गंगा की धारा से उन्नाव जिले के गांवों के कटने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	७०–७१
प्रदेश में विभिन्न जिलों में पुलिस सम्बन्धी घटनाओं के विषय पर चर्चा करने हेतु नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना	७१–७२
कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	७२
२५ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न २ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	७२
बजट की घाटे की रकम की नवीन करों द्वारा पूर्ति न करने के संबंध में असरकारी संकल्प (वापस लिया गया)	७२–७३
प्रदेश में वेतन आयोग की स्थायी रूप से स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	७३–११०
नत्थियां	१११–१२७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३० अक्तूबर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गणेश प्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशनारायण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बबकन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री

नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यज्ञपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअवतार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री

शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा शिक्षा उपमंत्री, श्री रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३० अक्तूबर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में नसीम मंजिल पर कब्जा करने में संघर्ष

**१—श्री महमूद हसन खां (जिला मुरादाबाद); श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि दिनांक २१ अक्तूबर, १९६३ को सायं साढ़े चार बजे लगभग ५०–६० आदमियों ने 'नसीम मंजिल, राना प्रताप मार्ग' पर लाठी और बल्लम से मुसल्लह होकर हमला किया और उस पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की ? क्या यह भी सही है कि उस समय थाना हजरतगंज के इंचार्ज भी वहां मौजूद थे जिन्होंने महमूद हसन खां, सदस्य, विधान सभा को ढकेल कर स्वयं कुर्सी अन्दर रखने की कोशिश की और उस वक्त कोठी के अन्दर महमूद हसन खां, सदस्य, विधान सभा के बीबी बच्चे और श्वसुर जी भी मौजूद थे ?

**२--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जब इस मामले की रिपोर्ट पुलिस थाना हजरतगंज में साढ़े ६ बजे सायं को की गई तो पुलिस ने उस समय क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि जब महमूद हसन खां, सदस्य, विधान सभा और रियासत हुसैन, सदस्य, विधान सभा औरतों और बच्चों को वहां देखने के लिये गये तो उन पर ५०-६० आदमियों ने हमला किया और दोनों सदस्यों तथा महमूद हसन खां, सदस्य विधान सभा के भानजों को चोट भी लगी ? यदि हां, तो उस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

**३--क्या सरकार को यह मालूम है कि दिनांक २२ अक्तूबर, सन् १९६३ को सुबह ६ बजे के लगभग करीब ५०-६० आदमियों ने उस कोठी के किवाड़ों वगैरह को तोड़ कर औरतों और बच्चों को बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया और कोठी पर अपना नाजायज कब्जा कर लिया और सरकार उस कब्जे को खत्म करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

प्रश्नों में उल्लिखित घटना के बारे में हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ बेंच में एक रिट २४-१०-६३ को दायर हो गई है और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री महमूद हसन खां--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिट की कापी उनके पास है और उसमें क्या-क्या हेडिंग दर्ज हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आप यह बतला दीजिये कि फलां चीज रिट में नहीं है तो आसानी होगी मंत्री महोदय को जवाब देने में ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

उत्तर उन्होंने किस आधार पर दिया है ? उनके पास क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

रिट की कापी मेरे पास है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

उस मुकदमे की उसमें चर्चा है, जो घटना घटी है उस पर सवाल किया गया है, उसकी चर्चा है । सवाल में यह है कि इस मामले के बारे में क्या राय है, उसके बारे में कोई चर्चा सवाल में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

पहला सवाल यह है " क्या सरकार यह बतायेगी कि दिनांक २१ अक्तूबर, १९६३ को सायं साढ़े चार बजे लगभग ५०-६० आदमियों ने नसीम मंजिल, राना प्रताप मार्ग पर लाठी और बल्लम से मुसल्लह होकर हमला किया और उस पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की ? क्या यह भी सही है कि उस समय थाना हजरतगंज के इंचार्ज भी वहां मौजूद थे जिन्होंने महमूद हसन खां, सदस्य, विधान सभा को ढकेल कर स्वयं कुर्सी अन्दर रखने की कोशिश की और उस वक्त कोठी के अन्दर महमूद हसन खां, सदस्य, विधान सभा के बीबी, बच्चे और श्वसुर भी मौजूद थे ? तो क्या यह फैक्ट्स भी रिट में है ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य के ऊपर हमला ५०, ६० आदमियों ने किया या नहीं और पुलस ने भी मारा या नहीं ? तो पिटने वाली बात ठीक है या नहीं ?

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

दूसरा सवाल आप पढ़ लें। उससे स्पष्टीकरण हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जब इस मामले की रिपोर्ट पुलिस थाना हजरतगंज में साढ़े ६ बजे सायं को की गई तो पुलिस ने उस समय क्या कार्यवाही की? क्या यह सही है कि जब महमूद हसन खां, सदस्य, विधान सभा और रियासत हुसैन, सदस्य, विधान सभा औरतों और बच्चों को वहां देखने के लिये गये तो उन पर ५०-६० आदमियों ने हमला किया और दोनों सदस्यों तथा महमूद हसन खां, सदस्य, विधान सभा के भानजों को चोट भी लगी? यदि हां, तो उस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

क्या सरकार को यह मालूम है कि दिनांक २२ अक्तूबर, सन् १९६३ को सुबह ६ बजे के लगभग करीब ५०-६० आदिमयों ने उस कोठी के किवाड़ों वगैरह को तोड़ कर औरतों और बच्चों को बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया और कोठी पर अपना नाजायज कब्जा कर लिया और सरकार उस कब्जे को खत्म करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

तो रिट में क्या चीज उठाई गयी है मंत्री महोदय?

श्री हरगोविन्दसिंह--

रिट के देखने से तो यह मालूम होता है कि एलाटमेंट आर्डर को कैंसिल करने का रिट है।

श्री अध्यक्ष--

तो जहां तक एलाटमेंट का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में सब वर्जित होगा। दूसरी जितनी बातें हैं उनका उत्तर कल दीजियेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, यह तो हमारा अपमान है, आपका अपमान है कि जो उत्तर मांगा गया था वह न देकर सदन को गलतफहमी में डालने की कोशिश की जाती है।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री महोदय ने किसी लीगल ऐडवाइस को लेकर यह जवाब दिया। मैंने उसको ओवर रूल कर दिया है। उसके बाद यह कहना कि किसी ने बदनियती से धोखा देने के लिये कोई बात कही है, यह सदन की शोभा को बढ़ाता नहीं है। तरीका यह है कि साधारणतया अगर कोई सदस्य या मंत्री अगर कोई बात कहें तो उसको फेस वैल्यू पर ऐक्सेप्ट कर लेना चाहिये और आप की शिकायत रफा यों हो जाती है कि मैंने कह दिया कि कल जवाब दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर हम लोगों को जानकारी न होती कि किस बात का रिट दाखिल है और क्या बात है तो आप भी कोई व्यवस्था नहीं दे पाते और फिर जो मंत्री जी ने भ्रम में डाला वह बात सही हो जाती।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

माननीय मंत्री जी बताने के लिये तैयार हैं। अगर आप कहें वे तो खड़े भी हुये थे।

श्री अध्यक्ष--

अगर वे कहना चाहते हैं तो मैं क्यों रोकूंगा?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय मंत्री जी किसी सवाल का झूठा जवाब दे सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—

झूठ? मैं समझता हूं इसको भी आप समझ लें। कोई बात मेरी जो सूचना है, उसके अनुसार मैं सदन के समक्ष रखूं और मेरी सूचना गलत हो लेकिन उस गलत सूचना को, मैं सही मानता हूं, और सही मान कर सदन के समक्ष रखता हूं तो मेरे सम्बन्ध में कोई मैलाफ़ाइड या बदनीयती का आरोप नहीं लग सकता। एक दूसरी झूठ बात यह हो सकती है कि जानते हुये कि जो मैं कह रहा हूं वह गलत है तो वह झूठ काबिल शिकायत है। अब जैसा मंत्री जी ने कहा कि रिट दायर हो चुका है, तो मुमकिन है उनको यह ऐडवाइस दी गयी हो, मगर मैंने आप की इच्छा पूरी कर दी कि नहीं, इसका उत्तर आना चाहिये। तो अब इसको जाने दीजिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय मंत्री जी के पास रिट मौजूद है और उस रिट को जानते हुये उन्होंने सवाल का यह जवाब पढ़ कर सुनाया। तो वाकयात उनको मालूम होने पर भी उन्होंने ऐसा जवाब दिया तो यह झूठ नहीं तो और क्या चीज है?

श्री कल्पनाथसिंह—

जो रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है उसमें धारा १४७, ४४८, ३२३, ५०६ का जिक्र है। इस मामले में कहीं भी कोई रिट दाखिल नहीं है। आप ने जो व्यवस्था दी वह यह साबित करती है कि मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह उचित नहीं और उसके अनुसार मंत्री जी ने इस हाउस को मिसगाइड करने की कोशिश की जब कि रिट की कापी उन के पास मौजूद है। यह सदन के अवमान का प्रश्न बनता है और मैं इसकी नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जब आप नोटिस देंगे तब हम देख लेंगे।

श्री नेकराम शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आपने व्यवस्था दे दी है कि ये कल ले लिये जायं। मन्त्री जी तैयार थे और आपने उनसे पूछा तक नहीं। जब आपने प्रश्न स्वीकार कर लिये और वे एजेन्डे पर आ गये तो इसके माने हैं कि मन्त्री जी तैयार हो कर आये होंगे और उन्होंने समय मांगा नहीं और वे खड़े भी हुये थे।

श्री अध्यक्ष—

अगर वे तैयार हों तो मैं उनसे पूछ लेता हूं।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, दिक्कत यह है कि रिटपेटीशन तो मेरे पास है लेकिन दूसरी तरफ के आब्जेक्शन्स मेरे पास नहीं हैं। इसलिये नहीं कहा जा सकता है कि क्या मेटर्स पेंडिंग होंगे।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इनको कल ले लिया जाय।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न**१–३ श्री अध्यक्ष की आज्ञा से अगले दिन के लिये स्थगित किये गये।

विधान परिषद् में अध्यापकों के प्रतिनिधित्व को समाप्त करने का सुझाव

**४—श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) तथा श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास कोई ऐसा सुझाव भेजा है जिसमें कि यह कहा गया है कि प्रदेश की विधान परिषद् में सुरक्षित अध्यापकों के प्रतिनिधियों के स्थान समाप्त कर दिये जायें ?

वित्त उप-मन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

जी हां।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि संविधान के अनुच्छेद १७१ (३) में माध्यमिक शिक्षकों के लिये यह व्यवस्था है कि विधान परिषद् में उनका प्रतिनिधित्व हो तो कौनसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं जिनके कारण प्रदेशीय सरकार ने उनके स्थान समाप्त करने का केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर) —

इसकी बहुत सी वजह हैं। लेकिन सब से मुख्य सबब यह है कि फंक्शनल रिप्रेजेन्टेशन हमारे यहां नहीं है। कौंसिल में चार किस्म के नुमायन्दे आते हैं। एक तो लोकल बाडीज के, दूसरे ग्रेजुयेट्स के, तीसरे असेम्बली के और चौथे टीचर्स के। इस पर गौर करने के बाद सरकार इस राय पर पहुंची कि यह फंक्शनल रिप्रेजेन्टेशन है, अगर इनको दिया जाय तो दूसरों को क्यों न दिया जाय ? बहुत से ऐसे और लोग भी हैं जैसे डाक्टर हैं, लाइयर्स हैं तो इनका भी रिप्रेजेंटेन्शन होना चाहिये। यह भी खयाल किया गया कि ग्रेजुयेट्स में से बहुत से टीचर्स आ सकते हैं। इन सब बातों का लिहाज करके हमने केन्द्रीय सरकार को सलाह दी कि यह एनामोलस सी चीज है कि खाली टीचर्स को रिप्रेजेन्टेशन दे दिया जाय और दूसरी फंक्शनल बाडीज को न दिया जाय। इसलिये यह राय भेजी गई है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद १७१ (३) में स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व विधान परिषदों में हो, तो मैंने प्रश्न किया था...

श्री अध्यक्ष—

आप पूछिये कि क्या मन्त्री जी का ध्यान संविधान के फलां अनुच्छेद की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें यह विहित है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी —

अध्यक्ष महोदय, मैंने रिफ्रेन्स दे दिया है ताकि वे देख लें.....

श्री अध्यक्ष—

यह तो आरगूमेंट है, सवाल यह होता है कि क्या गवर्नमेंट का ध्यान फलां अनुच्छेद की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें यह विहित है।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी—

मैं मन्त्री जी का ध्यान संविधान के अनुच्छेद १७१ (३) की ओर दिलाऊंगा कि व उसके अनसार उत्तर दें ?

श्री सैयद अली जहीर —

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो किताब है उसमें खंड २ तक ही है, खंड ३ नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय —

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह निश्चय, क्या वाइस चांसलर्स की कान्फ्रेंस जो देहरादून में हुई थी, उसके अनुसार लिया गया है? यदि हां, तो क्या एलेक्शन कमिश्नर से बातचीत की गई है? यदि हां, तो उन्होंने क्या कहा?

श्री सैयद अली जहीर—

हमने केन्द्रीय सरकार को लिखकर भेजा है। वह मश्विरा करेंगे। गालिबन एलेक्शन कमिश्नर से भी बातचीत करें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर) —

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो स्थान टीचर्स के रिप्रेजेन्टेशन के खत्म होने से रिक्त होंगे उनके लिये क्या सुझाव केन्द्रीय सरकार को दिया गया है? उनका बटवारा किस ढंग से किया जाय?

श्री सैयद अली जहीर —

उसके लिये यह तय पाया है कि जो और तीन जगहें हैं उन्हीं में वह बांट दिये जायेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार —

क्या माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि जो टीचर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्स आये हैं काऊंसिल में उनमें लगभग सभी पर माध्यमिक शिक्षा संघ के लोगों का कब्जा है, सरकारी दल के लोगों का कब्जा नहीं है, इसलिये वह इसको हटाना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष—

जो वजह थी उन्होंने बतला दी।

श्री हरीशकुमार गंगवार —

इसका स्पष्ट उत्तर आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, आर्टिकल १७१ में क्लाज (३) है। उसका सब-क्लाज (सी) इस प्रकार है —

"as nearly as may be, one-twelfth shall be elected by electorates consisting of persons who have been for at least three years engaged in teaching in such educational institutions within the State, not lower in standard than that of a secondary school, as may be prescribed by or under any law made by Parliament;"

श्री नेकराम शर्मा—

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई माननीय मन्त्री आपका संकेत करने के पश्चात् भी यह कह सकते हैं कि मेरे पास इतने आर्टिकल तक ही किताब है?

श्री अध्यक्ष—

पहले सुन तो लीजिये कि वह क्या कह रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर—

उन्होंने १७२ का हवाला दिया था।

श्री अध्यक्ष—

(व्यवधान) उन्होंने १७२ समझा।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था नहीं हुई। क्या कोई माननीय मन्त्री कह सकते हैं कि फलां आर्टिकिल तक तो मेरे पास किताब है उसके बाद नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

वह १७२ समझे थे। १७२ में दो ही खंड हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, जब मैंने संविधान का उल्लेख किया था तो मैंने १७१ कहा था।

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संविधान के आर्टिकिल १७१ के खंड (२) के उपखंड (सी) के अनुसार, जो आपने सुझाव भेजे हैं उनसे इस संविधान का उल्लंघन नहीं होता ?

श्री अध्यक्ष—

संविधान का उल्लंघन होता है या नहीं वह एक क्वैश्चन आफ ला है।

श्री सैयद अली जहीर—

इसमें मौजूद ही है। बहरहाल, केन्द्रीय सरकार को सुझाव भेजा है। मानना न मानना उनका काम है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, हम को भी मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिये कि हमें मौका दीजिये। जो आदमी खड़े होते हैं, उनमें जितना महत्व एक व्यक्ति का है उतना ही दूसरे का है। मैं मौका देता हूं जितना समय होता है।

लखनऊ में शक्कर वितरण

**५—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या यह सत्य है कि लखनऊ में सरकार द्वारा यह आदेश दिया गया है कि शक्कर के कार्ड उन्हीं परिवारों के लिये बनाये जायें जिनका उल्लेख मतदाता सूची में है ?

रसद मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। किन्तु चूंकि लखनऊ में कुछ लोगों ने फरजी कार्ड बनवा लिये थे जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ द्वारा यह आदेश दिया गया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं उन्हीं के परिवारों के सदस्यों के लिये कार्ड बनाये जायें। लेकिन जनता को इस आदेश से कष्ट होता देख जिला पूर्ति अधिकारी ने यह आदेश शीघ्र ही रद्द कर दिया।

**६—श्री जगन्नाथराव—

यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं अथवा जो सूची बनने के बाद बाहर से आकर यहां बस गये हैं उनको कार्ड देने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला आदेश कब दिया गया था और उसको रद्द करके दूसरा आदेश कब दिया गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

पहला आदेश २९ अगस्त, सन् १९६३ को दिया गया और उसको रद्द करने के लिये दूसरा आदेश ८ अक्तूबर, १९६३ को दिया गया।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) —

क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश हुआ है कि इन्कम के आधार पर शक्कर लोगों को दी जायगी ? और यदि ऐसा कोई आदेश है तो उसका आधार क्या है, ग्रेडेशन क्या है ?

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी) —

यह आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। यह विचार था और मैंने अपने विचार इस सदन के सम्मुख उस रोज रखे भी थे। अब एक दो रोज में जो कुछ तय होगा उसके बाद ही कहा जा सकेगा।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती) —

मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं वह किसकी गलती से नहीं हैं, वह किसकी जिम्मेदारी हैं ?

श्री अध्यक्ष—

अब यह, एलेक्टोरोल जो लोग बनाते हैं उनकी हो सकती है। यह तो बनाते नहीं हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) —

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब किसी वस्तु का कन्ट्रोल होता है तो उसका मतलब यह है कि उसका वितरण समान हो, किसी को उसके बिना तकलीफ न हो, तो यह आमदनी के आधार पर जो सरकार चीनी वितरण की योजना करने जा रही है क्या वह जनतन्त्र और कन्ट्रोल की परम्परा के विरुद्ध नहीं होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

यह विरोध में तो किसी के नहीं होगा। मगर जिस ब्लेक मार्केटिंग की बात आप करते हैं वह उससे बन्द हो जायगा।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर) —

मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन्हीं जिलों में क्या चीनी बांटने के लिये कनवीनर कायम किये गये हैं और उसमें कांग्रेस के सेक्रेटरी और प्रधान रखे गये हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी नहीं। ऐसा तो नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनकी कोई आमदनी नहीं है, गरीब हैं, उनको चीनी किस तरह से मिल पायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उनको कार्ड बनवाने पर मिल जायेगी।

श्री रियासत हुसैन—

अभी मन्त्री जी ने यह फरमाया कि कहीं पर कन्वीनर नहीं हैं, तो क्या वह बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले में चीनी बांटने के लिये कोई कमेटी या कन्वीनर है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार की तरफ से कोई कमेटी नहीं है। मुरादाबाद का जहां तक सवाल है उसका जिक्र मैंने उस रोज किया था और यहीं मैंने कहा था कि और जगह हम यह नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुरादाबाद का अनुभव यही बताता है।

२५ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न ११ का शोधन

मुख्य विकास मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २५ सितम्बर, १९६३ को विधान सभा में श्री रघुबीर सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के साथ निलम्बित पंचायत निरीक्षकों की एक सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की गई थी। इस सूची के क्रमांक ७ पर उल्लिखित पंचायत निरीक्षक श्री रमा कान्त मिश्र को ३१ अगस्त, १९६१ तक की अवधि का निर्वाह भत्ता दिया जाने का उल्लेख किया गया था। वास्तव में श्री रमाकान्त मिश्र को ३१ अगस्त, १९६३ तक की अवधि का निर्वाह भत्ता मिल चुका था किन्तु त्रुटिवश उपर्युक्त सूची के क्रमांक ७ के सम्मुख ३१ अगस्त, १९६३ के स्थान पर ३१ अगस्त, १९६१ छप गया था। संशोधित उत्तर इस प्रकार है—

प्रदेश में ८ पंचायत निरीक्षक ऐसे हैं जिन्हें निलम्बित हुये एक वर्ष से अधिक की अवधि हो चुकी है। ऐसे पंचायत निरीक्षकों की संशोधित सूची उनकी निलम्बन की तिथि तथा अन्य सूचनाओं सहित सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १११–११२ पर)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर विधान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

लखनऊ क्षेत्र में सहायक विकास अधिकारी (महिला) का स्थानान्तरण

*१—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितनी सहायक विकास अधिकारी (महिला) का स्थानान्तरण एक वर्ष से कम समय में लखनऊ रीजन के अन्तर्गत जब से महिला योजना प्रारम्भ हुई है, किया गया है और क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल) —

कुल २१ सहायक विकास अधिकारी (महिला) का स्थानान्तरण किया गया। इनमें ४ को पदोन्नति के कारण, २ को उनके अनुरोध पर तथा १५ को जनहित में स्थानान्तरित किया गया।

श्री रतीपाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड, सतांव, जिला राय बरेली की महिला ए० डी० ओ० ने सरकार के पास कोई ऐसा शिकायती पत्र भेजा है कि वहां के ए० डी० ओ० ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

लखनऊ विकास क्षेत्र अधिकारी द्वारा खाद का वितरण

*२—श्री सुखलाल (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, नवम्बर, १९६२ में माल विकास खंड, जिला लखनऊ क्षेत्र के विकास अधिकारी द्वारा लगभग ३,२०० बोरी रासायनिक खाद मिक्सचर नं० २ वितरित की गई थी ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जी हां। खाद वितरित की गई थी लेकिन वितरित खाद की मात्रा कुल १,१६४ बोरी थी।

*३—श्री सुखलाल (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि उक्त खाद में मिलावट सम्बन्धी शिकायत सरकार को मिली थी तथा सरकार द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया था ?

श्री बनारसीदास—

शिकायतें विकास खंड अधिकारी माल के पास आई थीं और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया था।

*४—श्री सुखलाल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बनारसीदास—

बाद के सेम्पुल लेकर उसकी रासायनिक जांच कराई गई। रासायनिक जांच में खाद में कोई मिलावट नहीं पाई गई।

सिविल अस्पताल, बुलन्दशहर के रिटायर्ड कर्मचारी

*५—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिविल अस्पताल, बुलन्दशहर के पिछले दो वर्षों (१९६१-६२, १९६२-६३) में कितने कर्मचारी रिटायर हुये और क्या उनको इस समय सरकार से पेंशन मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)---

१९६१-६२ में दो कर्मचारी रिटायर हुये थे और १९६२-६३ में कोई नहीं।

इनको अभी तक इस कारण पेंशन नहीं मिल सकी कि एकाउन्टेन्ट जनरल ने कुछ ऐसी सूचना मांगी थी जिसके उपलब्ध करने में काफी समय लगा। अब वह भेज दी गई है और आशा है कि जल्द ही उनको पेंशन मिलने लगेगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि ए० जी० ने कोई ऐसी सूचना मांगी थी जिसको आप दो साल तक इकट्ठा नहीं कर सके और ए० जी० को नहीं भेज सके जिसके कारण उन बूढ़े रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बहुत तकलीफ पहुंची ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह सत्य है कि छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को इतने दिनों तक पेन्शन न मिलने से तकलीफ होती है, लेकिन बात यह है कि बहुत-सी सर्विसेज में, जो प्राविन्शियलाइज्ड नहीं थीं उनमें यह गड़बड़ है। ऐसे अस्पतालों के कर्मचारी या जिला परिषदों या अन्य संस्थाओं के कर्मचारी, जिनको प्राविडेन्ट फंड मिला करता था उसमें भी यह कुछ फंड कटाते थे और कुछ नहीं कटाते थे और उनके रिटायर होने पर एक हिसाब से वह संस्थायें कुछ अपना धन मिलाकर उनको देती थीं। तो उनके जमा होने वाला धन का सर्टिफिकेट हमको मिलना था जो पहले संस्थायें देती थी और उसके बाद ट्रेजरी अफसर देते थे। इसमें इतना विलम्ब लगा कि जिला परिषदों के कर्मचारियों के यह सर्टिफिकेट नहीं आये लेकिन उनके रिटायर होने के ६ महीने पहले से यह सब कार्यवाही शुरू कर दी गई थी, लेकिन वह काम पूरा नहीं हुआ और आइन्दा ऐसी देर न हो इसके लिये आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है।

बुलन्दशहर जिले में सिलाई की मशीनों का वितरण

*६---श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में सिलाई की मशीनें १९५७ से आज तक कितनी बांटी गई और किस-किस को दी गयीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जी हां। अभी तक ६० सिलाई की मशीनें बांटी गयीं जिनका विवरण संलग्न नत्थी में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११३-११४ पर)

श्री हिम्मतसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ४३ से ६० जो संख्या दी गई है उसमें पूरा पता नहीं लगता कि कहां दीं गई और कहां चल रही हैं ? ४३ से ६० जो संख्या दी गई है तो क्या जिले में यह मशीन बेच दी गई हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह बुलन्दशहर जिले में बांटी गई हैं और ६० मशीनें बांटी गई हैं।

श्री हिम्मतसिंह--

४३ से ६० तक पता नहीं चलता है किस-किस को दी गईं। क्या यह सब लापता आदमी हैं और उनके मकान घर कुछ भी नहीं हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

चूंकि माननीय सदस्य ने यह सूचना सन् १९५७ से १९६३ तक मांगी है और यह सूचना समाज कल्याण विभाग को देना था और इस सूचना को उद्योग विभाग के अधिकारियों को देने का अधिकार था तो वहीं से यह सूचना मंगाकर दी गई है। उन्होंने यह सूचना दी, लेकिन पता नहीं दिया।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जो नाम दिये गये हैं उनका पता नहीं दिया गया है। वे लोग बुलन्दशहर में नहीं रहते हैं बल्कि बाहर रहते हैं इस वजह से पूरा पता नहीं दिया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या समाज कल्याण मंत्री बतलायेंगे कि सिलाई की मशीनों का बटवारा जो होता है उसमें कुछ विशेष प्रेफरेन्स किसी को दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह मशीनें उन्हीं महिलाओं अथवा पुरुषों को दी जाती हैं कि जो असहाय होते हैं और जो जीविका उपार्जन के लिये सहायता चाहते हैं।

दादरी ब्लाक में प्राइमरी स्कूल भवन सम्बन्धी धन का गड़बड़

*७--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव मड़ावरा, ब्लाक दादरी, जिला बुलन्दशहर के प्रधान को हरिजन पाठशाला के निर्माण हेतु १,५०० रु० दिये गये थे ? यह रुपया अनुचित ढंग से व्यय किया गया है और इसके शिकायती प्रार्थना-पत्र जिला नियोजन विभाग को दिये गये हैं उसकी जांच का क्या परिणाम निकला ? स्कूल का रुपया ग्राम के उच्च कार्य में भी खर्च कर दिया गया है, क्या यह सही है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

ग्राम मड़ावरा, दादरी ब्लाक, जिला बुलन्दशहर में किसी भी हरिजन-पाठशाला निर्माण के लिये धन नहीं दिया गया। १८ दिसम्बर, १९५९ को २,४०० रु० प्राइमरी स्कूल के भवन के लिये छट के रूप में स्वीकृत किया गया जिसमें से १,५०० रु० पहली किस्त में २७ मई, १९६० को भुगतान किया गया जिसमें से १,३७० रु० के वाउचर भवन निर्माण से सम्बन्धित थे और १३० रु० के वाउचर रेडियो की बैटरी के क्रय के सम्बन्ध में था। १३० रु० का यह खर्च पंचायत टैक्स के रूप में वसूल किया जा रहा है।

सम्बन्धित प्रधान ने यह रिपोर्ट दी कि १५० रु० का भवन निर्माण का सामान चोरी हो गया है लेकिन उसकी जिम्मेदारी प्रधान पर ही डाली गई है और २६ जुलाई, १९६३ को उक्त धन उनसे वसूल कर लिया गया।

*८--श्री जसरामसिंह--

ग्राम के प्रधान ने जो बिल दाखिल किये हैं उनके विरुद्ध भी शिकायत की गई थी कि यह गलत बिल की रसीदें दाखिल की गयी हैं इसमें क्या जांच की गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

१४ जून, १९६१ को प्रधान के विरुद्ध फर्जी वाउचर के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई। दूसरे ही दिन पंचायत निरीक्षक द्वारा जांच कराई गई। इस जांच के फलस्वरूप ३११.८३ नये पैसे के वाउचर ठीक नहीं पाये गये अतः मामले की दोबारा जांच एक ओवरसियर द्वारा कराई गई जिसने उस भवन का मुआयना भी किया। ओवरसियर की रिपोर्ट के अनुसार भवन की लागत ४,२७० रु० आती है। क्योंकि इसी धनराशि के वाउचर प्रधान द्वारा प्राप्त हो चुके थे इसलिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

*९--श्री जसरामसिंह--

आज तक जिला अधिकारियों ने उपरोक्त प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की बताने की कृपा की जावे? यह शिकायत की अर्जी कब की है तारीख बतायी जाय? ऐसी अर्जी को किसने दबाया है नाम बताया जाय?

श्री बंशीधर पांडेय--

जैसा ऊपर कहा जा चुका है प्रधान से १५० रु० वसूल किया गया। प्रधान के विरुद्ध जांच करने में कोई देरी नहीं हुई, प्राविधिक परामर्श प्राप्त होने में अवश्य कुछ समय लग गया।

श्री जसरामसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो ३११ रुपये ८३ नये पैसे के वाउचर गलत पाये गये तो उनके लिये प्रधान के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री बंशीधर पांडेय--

इन वाउचर्स के लिये वहां ओवरसियर को भेजा गया था और जो रिपोर्ट उसने दी उसके अनुसार प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

श्री जसरामसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो १,५०० रुपये की छूट दी गयी और २,४०० रु० स्वीकृत किया गया, तो यह इमारत १५ साल पुरानी है और क्या ऐसी इमारत को यह छूट दी जा सकती है?

श्री बंशीधर पांडेय--

जहां तक मेरी सूचना है इस इमारत के लिये २,४०० रु० स्वीकृत हुआ था और उसमें से १,५०० रुपया दिया गया।

श्री हिम्मतसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो ३११ रुपये के वाउचर गलत पाये गये और ओवरसियर मौके पर गये और फिर रकम पूरी दी गयी बिल्डिंग की, और यह पता नहीं कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है, इन सब से मालूम होता है कि इसमें कहीं गबन हुआ है और इसे ध्यान में रख कर क्या सरकार एस० डी० एम० द्वारा इसकी जांच करायेगी?

श्री रामसूर्ति (सामुदायिक विकास मंत्री)--

माननीय सदस्यों की बातों से ऐसा मालूम होता है कि इस मामले में कहीं गड़बड़ है। तो मैं फिर दुबारा इसकी जांच कराऊंगा और अगर कानून इजाजत देगा तो इस प्रधान के खिलाफ जरूर कदम उठाया जायगा।

कुष्ठ सेवाश्रम, गोरखपुर पर व्यय

*१०—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुष्ठ सेवा श्रम, गोरखपुर को गत ७ वर्षों के अन्तर्गत कितना अनुदान दवायें, भवन एवं कोढ़ियों के भोजन आदि में दिया गया है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

राज्य सरकार ने कुष्ठ सेवाश्रम, गोरखपुर को गत ७ वर्षों में निम्नलिखित अनुदान दिए :—

वित्तीय वर्ष	आवर्तक रु० नये पैसे	अनावर्तक रु०
१९५६–५७	१,८५५३.२५	..
१९५७–५८	१९,४००.००	८,०००
१९५८–५९	१९,४००.००	३०,०००
१९५९–६०	२१,९००.००	..
१९६०–६१	२१,९००.००	१०,०००
१९६१–६२	२१,९००.००	..
१९६२–६३	२१,९००.००	..

बढ़ौला में अस्पताल खोलने की प्रार्थना

*११—श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्राम बढ़ौला, विकास खन्ड, पटियाली, जिला एटा में जो गंगा एवं बुढ़गंगा नदी के बीच स्थित है जिसकी आबादी ५ हजार से अधिक है तथा जहां मीलों तक कोई चिकित्सा का साधन नहीं है, एक सरकारी अस्पताल खोलने पर बिचार करेंगे ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ग्राम बढ़ौला से करीब ५ मील की दूरी पर पटियाली में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है । वहां से करीब ७ मील की दूरी पर नरदौली में एक राजकीय चिकित्सालय स्थित है । ग्राम बढ़ौला में एक जच्चा बच्चा केन्द्र भी है । इन चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण, ग्राम बढ़ौला में कोई चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता नहीं है ।

न्याय पंचायत, आसलतपुर जराई

*१२—श्री नरेन्द्रसिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जारई पंचायत, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के सरपंच ने एक फर्जी डिगरी किसी व्यक्ति के खिलाफ की थी जिसका मुकदमा चन्दौसी मुन्सफी में चला और सरपंच दोषी पाया गया ? यदि हां, तो सरकार ने सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—

जिला मुरादाबाद की तहसील बिलारी में जारई नाम की कोई न्याय पंचायत नहीं है । एक न्याय पंचायत आसलतपुर जारई है । इस में दायर किये गये अब तक के दीवानी वादों की जांच से मालूम हुआ है कि केवल एक वाद सुन्दर सिंह बनाम लायक सिंह, वर्ष १९६२ के निर्णय के विरुद्ध मुंसिफ, चन्दौसी के न्यायालय में निगरानी की गई है । इस निर्णय में योग्य मुंसिफ ने सरपंच के आचरण के संबंध में न तो कोई उल्लेख किया है और न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया है । ऐसी स्थिति में सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

[३० अक्तूबर, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मेडिकल आफिसर, रामनगर के विरुद्ध शिकायत

*१—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल अफसर रामनगर, सिविल अस्पताल जिला नैनीताल, के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र अप्रैल, सन् १९६३ में उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गई और जांच का क्या नतीजा निकला ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। डाक्टर के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये थे उनका कोई प्रमाण नहीं मिल सका।

*२—श्री भीखालाल (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उपरोक्त मेडिकल अफसर का तबादला राम नगर से अन्य स्थान हो गया था, परन्तु बाद में वह आदेश रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। राम नगर से कौसानी को उनके तबादले के आदेश मई, १९६३ में किये गये थे परन्तु यह ज्ञात होने पर कि कौसानी का ठंढा जलवायु उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होगा, ये आदेश जून में रद्द कर दिये गये।

निलम्बित मेडिकल आफिसर्स

*३—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में कितने मेडिकल तथा हेल्थ आफिसर्स दो वर्ष से अधिक से निलम्बित हैं और उनमें से कितनों के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की गई है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

प्रथम भाग—तीन।
दूसरा भाग—कोई नहीं।

*४—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि सरकारी आदेश इस प्रकार के हैं कि निलम्बित अधिकारियों के मामले जल्दी से जल्दी तय किये जावें ? यदि हां, तो उपर्युक्त अधिकारियों के मामले में इतना समय क्यों लग रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

जी हां—जिन आरोपों के कारण इन्हें निलम्बित किया गया था उनकी पूर्ण रूप से जांच कराकर इनमें से दो अधिकारियों पर चार्जशीट लगाये गये, उनके जबाब प्राप्त किये गये, उनको अपनी सफाई के लिये पर्याप्त समय दिया गया। इसी सब कारण से इतना समय लग गया है। तीसरे अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की जांच सी० आई० डी० से कराई गई थी व जांच के फलस्वरूप उनका मामला ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीब्युनल को सौंप दिया गया।

*५—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त मामले के कब तक तय हो जाने की संभावना है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

अगले तीन-चार महीनों में तय हो जाने की संभावना है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन ३ आदमियों के नाम क्या हैं और जो कहा है कि कार्यवाही नहीं की तो क्यों नहीं की गयी है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

एक हैं डा० एम० एल० गोयल, पी० एम० एस० (वन) दूसरे हैं एस० पी० सक्सेना और तीसरी हैं डाक्टर कुमारी एस० पुरी, पी० एम० एस० (डब्ल्यू०) (वन)। इनके खिलाफ, जो कि गोयल हैं बदायूं में, यह शिकायत आयी कि स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया था, दूसरे ज्यादा फीस चार्ज किया करते थे। इस पर उनके खिलाफ चार्ज शीट दी गयी, उसके बाद उनका ट्रांस्फर किया गया, देहरादून गये। वहां से जब इनका तबादला हरद्वार के लिये किया गया तो वहां जाने के बजाय अपने घर चले गये, बराबर इवेड करते रहे और यह स्थिति हो गयी कि इन पर न नोटिस सर्व होता था और न जा पाते थे। बमुश्किल तमाम एक नोटिस सर्व हुआ और दूसरी चार्ज शीट हुई। तो इस तरह से १९५९ से सन् ६२ तक टाइम लगा। अब कार्यवाही फाइनल हो रही है।

सक्सेना साहब का जहां तक ताल्लुक है इन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, उसकी जांच करायी गयी, जांच से संतुष्टि नहीं हुई, फिर सी० आई० डी० को यह मामला सौंपा गया, जांच हुई। उनमें आरोप तो सही मिला लेकिन सबूत इतना काफी नहीं था कि वह मामला चलाये जाने लायक हो सके। इसलिये फिर यह मामला एक ट्रिब्युनल को सौंपा गया कि इनकी जांच की जाय। अब उचित कार्यवाही हो रही है।

कुमारी पुरी के बारे में यह है कि आर्डर मानने से इन्कार किया और कैरी आउट नहीं किया, इस पर इनको चार्ज शीट देकर सस्पेन्ड किया गया। उसके बाद यह मामला पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर किया गया कि क्या पनिशमेन्ट अवार्ड किया जाय। उसका जवाब आया, फिर गया, फिर जवाब आया। इस तरह से काफी अर्सा लग गया और अब मामला फाइनल स्टेज में है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

निलंबन के समय सक्सेना साहब को क्या तन्ख्वाह दी गयी और क्या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से रोक दिया गया जिससे वह अपने बच्चों का भरण पोषण भी नहीं कर सकते हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मंत्री जी ने कहा कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट से उनके खिलाफ कोई तथ्य नहीं मिला कि मुकदमा चलाया जा सके, तो निलंबन के बीच में जो उनका नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेगी, क्या करेगी सरकार ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

यह मामला ट्रायब्युनल के सामने है। यह तो वही तय करेंगे कि कितने दोषी हैं। यह तो सी० आई० डी० ने नहीं कहा कि दोषी नहीं है, लेकिन अदालत के लिये केस को उपयुक्त नहीं समझा गया।

बिक्री कर की चोरी रोकने के लिए कार्य

*६—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में गल्ले और गुड़ की मंडियों में आढ़ती सेल्स टैक्स की चोरी करने के लिये फर्जी हिसाबात रखते हैं ? इस प्रकार से सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कोई व्यवस्था की है ?

श्री जयराम वर्मा—

जी नहीं, सरकार को ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे मालूम हो सके कि विशेष कर गल्ले और गुड़ के व्यापारी ही उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स की चोरी करने के लिये फर्जी हिसाब रखते हैं ।

सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिये सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टीगेशन ब्रांच (Special Investigation Branch) की व्यवस्था की है जिनका कार्य मुख्यतः बिक्री कर की चोरी करने वाले व्यापारियों का पता लगाना है। उपर्युक्त व्यवस्था के अतिरिक्त बिक्री कर अधिकारी (Sales Tax Officers) भी अपने मंडलों (Jurisdictions) के अन्तर्गत ऐसे व्यापारियों के प्रति विशेष रूप से सजग रहते हैं और पता चलते ही तुरन्त उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करते हैं। बिक्री कर की चोरी करने वाले व्यापारियों की यथार्थ सूचना देने वाले व्यक्तियों को सरकार की तरफ से इनाम भी दिये जाते हैं जिससे उनको इन मामलों में सरकार की मदद करने में प्रोत्साहन मिले ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

चूंकि जवाब में माननीय मंत्री जी ने इनकार किया है, अतः क्या वे निजी तौर से मंडियों में जाकर चुपके से इसकी जांच करेंगे कि वाकया क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—

मैंने इनकार नहीं किया है, यह कहा है कि विशेषकर गुड़ वाले व्यापारी ही ऐसा नहीं करते, इसका मतलब था कि और भी करते होंगे ।

श्री कल्पनाथसिंह—

अब तक इन्वेस्टीगेशन ब्रांच ने कितने मामले पकड़े और कितने लोगों को इनाम दिया गया ?

श्री जयराम वर्मा—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इस बात को देखते हुए कि अधिकतर चोरी इसलिये की जाती है कि जिस प्रकार से उनको हिसाब रखने के लिये कहा जाता है उस तरह से वे हिसाब नहीं रख पाते, क्या सरकार उसके नियमों में कुछ परिवर्तन करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

इसके लिये एक कमेटी नियुक्त है जो इन सब मामलों पर विचार कर रही है । अगर वह देखेगी कि इसमें कोई कठिनाई है तो वह उसके लिये सिफारिश करेगी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

श्रीमन्, "मंत्री जी ने कहा कि मैंने इनकार नहीं किया", मगर उन्होंने साफ कहा है "जी नहीं"। मैं फिर आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या आप इसकी पूरी तरह से जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जो उन्हें कहना था वह कह दिया।

कुष्ठ रोगियों के इलाज का प्रबन्ध

*७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के शहरों और कस्बों के बाजारों में कोढ़ी भीख मांगते हुए फिरते हैं जिससे कि तन्दुरुस्त व्यक्तियों को उनके मर्ज की छूत लगने का खतरा रहता है ? उनको इस तरह से घूमने से रोकने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

देश के अन्य भागों की भांति उत्तर प्रदेश में भी कुछ शहरों और कस्बों के बाजारों में कुष्ठ रोगी भीख मांगते हैं। इस प्रकार भीख मांगने वाले रोगियों से कुष्ठ रोग फैलने की संभावना बहुत सीमित है। इसके पहले कि कुष्ठ रोगी भीख मांगने की स्थिति तक पहुंचे यह आवश्यक है कि रोग की चिकित्सा रोग की प्रारम्भिक अवस्था में ही प्रारम्भ की जाय। भिखारियों को इस तरह घूमने से रोकने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदेश में कुष्ठ चिकित्सा का बृहत प्रबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त शासन की सहायता से एक कुष्ठ कालोनी, ब्रह्मपुरी, जिला टेहरी गढ़वाल में स्थापित की गई है।

*८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने कोढ़ियों के इलाज और उनके बहबूदी के लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

कुष्ठ रोगियों के इलाज और बहबूदी के लिये शासन ने निम्नलिखित प्रबन्ध किये हैं :—

१—नैशनल लिप्रोसी कन्ट्रोल योजना के अन्तर्गत एक लिप्रोसी स्टडी एन्ड ट्रीटमेन्ट सेन्टर, देहरादून में, तथा आठ लिप्रोसी सब्सीडीयरी सेन्टर्स जिला आजमगढ़, बहराइच, बस्ती, बाराबंकी, खीरी, गोरखपुर, मुरादाबाद, वाराणसी में स्थापित किये हैं।

२—दो लिप्रोसी मोबाइल यूनिट, एक झांसी और दूसरा हमीरपुर में स्थापित किये हैं।

३—मेरठ, वाराणसी, बहराइच और देहरादून के कुष्ठ चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण किया है।

४—उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी कुष्ठ चिकित्सालयों को आर्थिक अनुदान दिया जाता है।

५—उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी चिकित्सालयों में कुष्ठ रोगियों को निःशुल्क साधारण चिकित्सा की सुविधा प्राप्त है।

६—मुनी की रेती, जिला टेहरी-गढ़वाल में कुष्ठ रोग से पीड़ित भिक्षुकों के पुनर्वास के हेतु ब्रह्मपुरी, जिला टेहरी गढ़वाल में एक कालोनी की स्थापना कुष्ठ निवारक समिति, टेहरी गढ़वाल ने शासन की सहायता से की है।

७—हिन्द कुष्ठ निवारण संघ के माध्यम से गैर सरकारी कुष्ठ निरोधक संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं कि पूरे प्रदेश में इस वक्त कितने कोढ़ी हैं, कितने अस्पताल में हैं तथा कितने कालोनी में हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

जब सरकार यह स्वीकार करती है कि कुष्ठ रोगियों से यह रोग फैलता है तो क्या सरकार ऐक्सपैरीमेंटल बेसिस पर कारपोरेशन्स टाउन्स में तथा बड़े-बड़े शहरों में इनको अलग रखने की कोई व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

बात ऐसी नहीं है । कुष्ठ रोगी जब भीख मांगने की स्थिति तक पहुंचते हैं तब उनका रोग इस स्थिति में नहीं होता कि वह फैल सके । यह रोग प्रारम्भ में ज्यादा भयंकर होता है और दूसरे पर इसका प्रभाव पड़ने का भय रहता है । परन्तु आगे चलकर जब उसके अंग-भंग हो चुके होते हैं तो वह इतना भयंकर नहीं रहता .... (व्यवधान)

श्री झारखण्डेराय—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बतायेंगे, चौराहों और सड़कों पर जहां कोढ़ी बैठते हैं, डाक्टर लोग नहीं बैठते जो इस बात की जांच करें कि जो कोढ़ी भीख मांगते हैं उनकी बीमारी किस स्टेज पर है ? तो फिर मंत्री जी ने यह किस आधार पर कह दिया कि जब रोग फैलने की क्षमता समाप्त हो जाती है तब वे भीख मांगते हैं ? उनके पास कौनसा मेजरमेंट है जिसकी बिना पर उन्होंने ऐसी बात कही ?

श्री अध्यक्ष—

(मंत्री जी से) प्रश्न यह है कि आपने जो यह कहा कि जब वे भीख मांगने की स्थिति में होते हैं तब तक उनके रोग की ऐसी दशा हो जाती है कि वह इन्फेक्शस डिजीज नहीं रह जाता है । अब वे यह पूछते हैं कि आपने यह कैसे कहा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह उनको देख कर ही कहा गया है कि जो इस तरह के रोगी होते हैं जिनके ज्यादातर अंग गल जाते हैं वे ऐसी स्थिति में होते हैं कि वे अधिक इन्फेक्शस नहीं रहते ।

(श्री नरसिंहनारायण पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, इधर भी इनायत हो जाय । (हंसी) ।

श्री अध्यक्ष—

आप इस तरह से उनके बोलने पर हंसते हैं, इसका मतलब है कि आप उनको इन्करेज करते हैं । यह तो मैं तय करूंगा कि मैं किसको बुलाऊं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि जो कुष्ठ रोगी इस तरह से घूम रहे हैं उनको एक फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा ले जाकर एक जगह उनके सेंटर पर रख दिया जाय, जहां उनकी दवा दारू की जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

साधन होने पर ऐसा करने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री उग्रसेन---

क्या सरकार ने इस तरह के रोगियों का कोई सर्वेक्षण कराया है, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, अभी तक ऐसा सर्वेक्षण संभव नहीं हो सका है ।

(श्रीमती सुशीला रोहतगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्यामलाल--

श्रीमन्, इधर भी नजरे इनायत हो । (हंसी) ।

श्री अध्यक्ष---

अगर आप लोग इस तरह की अनुचित बात करने पर भी हंसते हैं और उसको इन्करेज करते हैं तो शौक से करिये। लेकिन हमें इसका अफसोस होना चाहिये कि एक व्यक्ति इस तरह की बातें करता है । मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं बुला सकता हूं जो साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता है । आखिर सभी सदस्य जो यहां मौजूद हैं, सब की बारी एक साथ कैसे आ सकती है । इस तरह बीच-बीच में टोकने से कैसे काम चल सकता है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

कानपुर में पहले से एक कुष्ठ आश्रम है जिसको पहले महापालिका और सरकार से अनुदान मिलता था लेकिन उसके बन्द हो जाने से कुष्ठ रोगियों को खाने और दवाओं इत्यादि का कष्ट हो रहा है । तो क्या माननीय मंत्री जी उस अनुदान को रेस्टोर करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसको देख लिया जायगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कुष्ठ रोग आमतौर पर और ज्यादातर गरीब आदमियों को लगता है और ज्यादा गरीबी ही इसका कारण है जो पूर्वी जिलों में और पहाड़ी इलाकों में ज्यादा है, इसलिये सरकार कोई ऐसा नियंत्रण करेगी जिससे कि इन इलाकों से बाकी इलाके को अलाहदा रखा जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

केवल गरीबी ही इसका कारण नहीं है । यह बात अवश्य है कि अमीरों को प्रारम्भिक अवस्था में इलाज की अधिक सुविधा होती है, ऐसे डाक्टरों की यह राय है कि अधिक समय तक ऐसे रोगियों के सम्पर्क में रहने से यह रोग होता है ।

(श्री बलवानसिंह का नाम पुकारे जाने पर श्री श्याम लाल जी भी अपने स्थान पर खड़े हो गये) ।

श्री बलवानसिंह--

मेरी जगह पर इन (श्री श्यामलाल) को टाइम दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

इसका मतलब है कि आप प्रश्न नहीं करना चाहते ।

श्री श्यामलाल--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे टाइम नहीं दिया । मैं आपकी व्यवस्था से असंतुष्ट हूं । इसके विरुद्ध में ५ मिनट के लिये सदन से वाक आउट करता हूं ।

(श्री श्याम लाल सदन त्याग कर चले गये) ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने अभी-अभी रूलिंग दी कि चूंकि माननीय सदस्य बार-बार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिये मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा । मैं आप से निवेदन करता हूं कि यह आपके लिये कहां तक शोभाप्रद है कि आप पहले ही किसी व्यक्ति से प्रिजुडिस हो कर इस तरह की व्यवस्था दें । मैंने माना कि अभी माननीय बलवान सिंह जी ने स्वयं अपना समय उनको आफर किया और वे खुद नहीं बोले, लेकिन आपका प्रिजुडिस होना कहां तक उचित है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक प्रिजुडिस होने की बात है, अगर आप समझते हैं कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध मैं अपने हृदय में कोई द्वेष भाव रख कर कोई बात करता हूं, तब आप मेरे ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं । लेकिन अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन न करके हमारी साधारण कार्यवाही में विघ्न डालता है यह कह कर कि आप मुझे पुकारिये, मैं प्रश्न करूंगा, जब कि बीसों और आदमी खड़े हों, तो उस से यह मालूम होता है कि वह व्यक्ति यह समझता है कि सदन के अन्दर उसके मुकाबले में कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है । मैं इस बात को नापसन्द करता हूं । (व्यवधान)

अभी हाल ही में लोक सभा की एक रूलिंग मैंने देखी । वहां कोई एक व्यक्ति बार-बार प्वाइन्ट आफ आर्डर गलत रेज कर रहा था तो यह कहा गया कि आपका प्वायंट आफ आर्डर एक सप्ताह तक नहीं सुना जायगा । अगर आप चाहें तो सन् १९३७ से लेकर १९५० तक की रूलिंग जो मेरे सामने रखी है, देख सकते हैं । माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने कहा है कि जो शख्स यह कहता है कि इधर देखिये, हम प्रश्न पूछेंगे, उसे प्रश्न पूछने के लिये नहीं पुकारा जायगा । यह हमारे यहां की व्यवस्था है और उसी का अनुसरण करते हुये मैंने प्रश्न करने के लिये सदस्यों को बुलाया और यथाशक्ति कोशिश करता हूं कि सबको मौका दूं । लेकिन सब को मैं एक साथ तो बुला नहीं सकता, कोई न कोई सदस्य तो रह ही जायगा ।

श्री बलवानसिंह--

श्रीमन्, मैं तो श्री श्यामलाल की बात कह रहा हूं जो रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेन्टेटिव हैं । तो मेरे खयाल से उस पार्टी का हिस्सा तो क्वैश्चन टाइम में आपको उनको देना ही चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

सभी किसी न किसी पार्टी के रिप्रेजेन्टेटिव हैं । रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसीडेन्ट श्री हलीमुद्दीन हैं, श्री श्यामलाल जी नहीं हैं ।

श्री उग्रसेन--

इस सम्बन्ध में मुझे भी कुछ निवेदन करना है, मुझे भी सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

श्री हरीशकुमार जी के प्रश्न खत्म करने के बाद में आपको भी सुन लूंगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

इस बात को मानने में सरकार को कोई ऐतराज नहीं है कि कुष्ठ रोगी भीख मांगते फिरते हैं जिससे यह रोग फैलता है, तो क्या सरकार उन कुष्ठ रोगियों के लिये कोई पेंशन की व्यवस्था करेगी जिससे वे भीख मांगने के लिये न घूमा करें और एक जगह रह कर ही अपने कार्य का संचालन कर सकें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

उग्रसेन जी, आपको क्या कहना है ?

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जब आप किसी को बुलाते हैं तो आपके उस अधिकार पर मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूं कि आप हमको क्यों नहीं बुलाते हैं, आप उग्रसेन को न बुलाइये, बिलकुल न बुलाइये ..... मगर पार्टियों को प्रतिनिधित्व तो आपको देना ही है, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप एक ही व्यक्ति को २०-२० बार बुलाते हैं और हमारी मजबूरी यह है कि बिना अविश्वास का प्रस्ताव लाये हम आपकी अथारिटी को चैलेन्ज नहीं कर सकते और वह अभी आ नहीं रहा है ।

*९---श्री जसरामसिंह---

[२९ अक्तूबर, १९६३ को प्रश्न ३८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया है]

देवरिया जिले में चेचक

*१०---श्री उग्रसेन---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में चेचक से गत जनवरी लगायत ३१ मार्च तक कितने गांवों को में चेचक फैली ? कितने लोग मरे और कितने को टीका लगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

देवरिया जिले में इस वर्ष जनवरी से ३१ मार्च तक २७ ग्रामों में चेचक हुई जिनमें १४५ व्यक्ति चेचक से ग्रसित हुये तथा ४८ व्यक्ति मरे, और १४,१६५ चेचक निवारक टीके लगे ।

*११---श्री उग्रसेन---

क्या स्वास्थ्य मंत्री को देवरिया के एक विधायक का पत्र गत अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मिला है कि देवरिया में भी चेचक उन्मूलन योजना लागू कर दी जाय ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही हुई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जी नहीं, परन्तु चेचक उन्मूलन योजना इस वर्ष देवरिया जिले में १ सितम्बर, १९६३ से प्रारम्भ कर दी गयी है ।

श्री उग्रसेन--

क्या मंत्री जी अपना उत्तर ठीक करने की कृपा करेंगे कि २७ गांव ऐसे नहीं हैं बल्कि वे ७७ गांव हैं जहां चेचक का प्रकोप हुआ है और जहां ३०० से अधिक आदमी मरे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मेरी सूचना के अनुसार तो वह संख्या २७ की है, आप कहें तो मैं गांवों के नाम सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष--

उसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री उग्रसेन--

क्या मंत्री जी फिर से इन आंकड़ों की जांच करायेंगे कि देवरिया में इस से ज्यादा गांवों में चेचक हुई और ज्यादा लोग मरे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

यह जो लिस्ट आपके पास है उसमें अगर माननीय सदस्य के पास ऐसे गांव हैं कि जिनमें चेचक हुई और यह लिस्ट में नहीं हैं तो वह नाम हमारे पास भिजवा दें, हम जरूर जांच करा लेंगे ।

बुलन्दशहर जिले में हरिजन कल्याण अनुदान

*१२--श्री जसरामसिंह--

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में हरिजन कल्याण विभाग, से अक्तूबर, सन् १९६१ से ३१ मार्च, १९६३ तक प्रत्येक ब्लाक में हरिजन उत्थान के विभिन्न कार्यों के लिये कितना रुपया अलग-अलग दिया गया है और उसमें कितना रुपया ब्लाकों में खर्च होने को बाकी है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१३--श्री जसरामसिंह--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर सन्, १९६१ से ३१ मार्च, १९६३ तक प्रत्येक ब्लाक में जो धनराशि हरिजनों के लिये दी गयी है उसमें से जिला बुलन्दशहर के ब्लाकों ने उक्त धनराशि के वितरण की स्वीकृति किन-किन तारीखों में दी, तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को उनका भुगतान किन तारीखों को दिया गया ? उसमें कितने काम पूरे हो गये और कितने अभी अधूरे हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१४-१६--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

[हटा दिये गये ।]

*१७-१८--श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री टम्प्रेश्वरीप्रसाद--

[हटा दिये गये ।]

बकाया बिक्री कर की वसूली

*१९—श्री बिपिन बिहारी तिवारी—

दिनांक, ६ मार्च, १९६३ को विधान सभा में श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह ने बिक्री-कर की बकाया की वसूली के सम्बन्ध में किये गये एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया था कि सबके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ? तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक कितनी बकाया रकम वसूल की गई तथा वसूली के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जयराम वर्मा—

दिनांक ६ मार्च, १९६३ को विधान सभा में श्री शिवेन्द्र प्रतापसिंह के बिक्री-कर के बकाया की वसूली के सम्बन्ध में किये गये एक प्रश्न के उत्तर में बतलाई गयी बकाया रकम में से कुल ८२,८८,८२९ धनराशि ३१ अगस्त, १९६३ तक वसूल हो चुकी है। बकाया धनराशि की वसूली के लिये विभिन्न प्रयत्न किये जा रहे हैं। समस्त शासकीय आयुक्तों को निर्देश दिये गये हैं कि स्थगन (स्टे) या किस्तें, जहां तक भी हो सके, न दी जायें सिवाय उन मामलों में जिनमें अत्यन्त कठिनाई हो।

ऐसे निर्देश भी दिये जा चुके हैं कि जहां आवश्यक हो कानून के उन उपबन्धों का भरसक प्रयोग किया जाय जिनके अन्तर्गत कर न देने पर दंड लगाने की व्यवस्था की गई है। न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिये गये स्टे के शीघ्रातिशीघ्र निपटाये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि उनके द्वारा रुकी हुई बकाया धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जा सके।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी कितनी रकम बकाया है ?

श्री जयराम वर्मा—

पिछली बार जो बकाया की रकम बताई थी वह ४,६७,२१,२६६ रुपया थी जिसमें से इतनी वसूल हुई है, उसमें कुछ रुपया अपीलों में भी कम हो गया है वह है ३९,८०,८३० रुपया और जो अभी बताया कि वसूल हो गया है उसके अलावा जो है वही बकाया है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया है कि बकाया रकम की वसूली के लिये विभिन्न प्रयत्न किये जायेंगे, इस उत्तर से स्पष्ट होता है कि उन्होंने यह व्यवस्था की है कि शासकीय जो आयुक्त हैं वह अपने मन से जिस को चाहें स्टे दें और जिनको चाहें न दें, तो क्या इस प्रकार के आदेशों से जो रकम बकाया है उसकी वसूली में देरी नहीं होगी ?

श्री जयराम वर्मा—

स्टे आर्डर या किस्त करने का अधिकार उनको है और उनको हिदायत दी गई है कि वह स्टे या किस्त देने में अहतियात बरतें और जब तक कोई खास जरूरत न हो और कोई परेशानी न हो तब तक किस्त या स्टे के आर्डर न दिये जायं।

श्री बलवानसिंह—

मेजर्स आपके क्या होंगे जिनसे वसूली की जायगी ?

श्री जयराम वर्मा—

जो बकाया होती है वह लैन्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल होती है उसके लिये आदेश हैं कि जल्द से जल्द उसकी वसूली की कार्यवाही की जाय और उसका अधिकार बोर्ड आफ रेवेन्यू को दे दिया गया है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि इसकी वसूली करने के लिये वह अपने कमिश्नर्स या डिप्टी कमिश्नर्स के द्वारा प्रयत्न करें ताकि वसूली होती रहे। अब तक यह शिकायत थी

कि कर्मचारियों की कमी है। इसलिये बोर्ड आफ रेवेन्यू को कुछ रुपया दे दिया गया है ताकि इस कमी को नियुक्तियों द्वारा पूरा किया जा सके।

*२०—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

[हटा दिया गया।]

मिर्जापुर जिले में कोआपरेटिव फील्ड सुपरवाइजरों की जमानत

*२१—श्री गयाप्रसाद (जिला बाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर में दिसम्बर, १९६२ से फरवरी, १९६३ तक सभी कोआपरेटिव फील्ड सुपरवाइजरों से सेक्योरिटी के तौर पर १० रुपये माहवार काटा या जमा कराया गया? इसके अलावा २५० रुपये प्रति सुपरवाइजर एक मुश्त भी जमा कराया गया है? यदि हां, तो क्यों और किस मद तथा किस नियम के अन्तर्गत?

श्री बनारसीदास—

जी हां। रुपया जमानत के रूप में जमा कराया गया है। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन अपनी साधारण सभा के प्रस्ताव संख्या ११, दिनांक २६-६-५५ द्वारा स्वीकृत जमानत नियमावली के अन्तर्गत १,००० रु० की नकद जमानत सभी सुपरवाइजरों से जमा कराती है।

*२२—श्री गयाप्रसाद—

क्या इसे सरकार वापस करने की कोई व्यवस्था करने जा रही है।

श्री बनारसीदास—

सुपरवाइजरों को यूनियन की चाकरी से कार्यमुक्त होने के उपरान्त उनकी जमानत वापिस कर दी जाती है सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है।

गांव सभा, बरौली रुस्तमपुर के प्रधान के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव

*२३—श्री नरेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रधान, ग्राम बरौली, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के खिलाफ वहां की जनता ने एक अविश्वास का प्रस्ताव और कुछ गबन के आरोप जिलाधीश को साल १९६२ में भेजे हैं?

श्री राममूर्ति—

बरौली नाम की कोई गांव सभा नहीं है। गांव सभा बरौली रुस्तमपुर के प्रधान के खिलाफ दिनांक जून ६, १९६२ को केवल एक अविश्वास का प्रस्ताव जिलाधीश को नहीं, बल्कि सहायक जिला पंचायत अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था। जिलाधीश के कार्यालय में गबन से संबंधित कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

*२४—श्री नरेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—

क्या इन प्रधान के खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई? यदि हां, तो उस पर जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं तो क्यों नहीं की गई?

नोट—तारांकित प्रश्न १९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राममूर्ति—

अविश्वास के उक्त प्रस्ताव को पंचायत राज नियम संख्या ३३—ख के अधीन कार्यवाही करने के लिये क्षेत्र विकास अधिकारी, बनिया खेड़ा के पास भेजा गया । खन्ड विकास अधिकारी उस समय प्रमुख, उप-प्रमुख के चुनाव में व्यस्त थे तथा उनके विचार में विकास खन्ड के कर्मचारियों को इस कार्य में लगाना उचित न था इस प्रकार अतिरिक्त जिलाधीश ने तहसीलदार बिलारी को विधिवत कार्य करने का आदेश दिया । इसी बीच में प्रधान ने एक हलफनामा के साथ सूचना दी कि उक्त अविश्वास के प्रस्ताव पर फर्जी हस्ताक्षर कराये गये हैं । इसी बीच नियम संख्या ३३ (ख) में नये संशोधन का ज्ञान जिला स्तर पर हुआ जिसके अनुसार ऐसे प्रस्ताव के ३० दिन की अवधि के भीतर ही अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिये बैठक बुलाना आवश्यक था । क्योंकि प्रस्ताव प्राप्त किये हुये ३० दिन से अधिक हो चुके थे इस कारण इस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

*२५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

[हटा दिया गया ।]

एम्प्लायमेंट कार्यालय, फतेहपुर

*२६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ के वित्तीय वर्ष और चालू वर्ष में अगस्त, १९६३ तक कितने व्यक्तियों को किस किस विभाग में किस किस प्रकार के काम जिला फतेहपुर के एम्पलायमेन्ट कार्यालय द्वारा दिलाये गये और इनमें से प्रत्येक में कितने हरिजन हैं ?

श्री बनारसीदास—

१९६२–६३ वित्तीय वर्ष से संबंधित सूचना विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६३ के पहले बुधवार को श्री कैथवार द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में सदन की मेज पर रखी जा चुकी है । जहां तक चालू वर्ष में अगस्त, १९६३ तक की सूचना का संबंध है, यह सूचना भी सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११५–११८ पर)

*२७—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या यह सही है कि एम्पलायमेन्ट कार्यालय, फतेहपुर के अधिकारी व कर्मचारी असहाय गरीबों और हरिजनों के नाम जिले के विभागों द्वारा मांगने पर भी क्रम से न भेज कर जिसको चाहते हैं उनके नाम भेजते हैं और इस तरह क्रम तोड़ कर गरीबों और हरिजनों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिये श्रम मंत्री क्या करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं ।

मोदीनगर, कपड़ा मिल में बोनस

*२८—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोदीनगर कपड़ा मिल में सैकड़ों लूम बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उससे कितने मजदूर बेकार हुए हैं तथा उन मजदूरों को पुनः काम पर लेने की क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री बनारसी दास—

१९६३ के आरंभ में मोदी स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग मिल्स कं० लिमिटेड मोदीनगर, मेरठ में कुल ७२ लूम बन्द हुए थे । परन्तु इसके फलस्वरूप कोई मजदूर बेकार नहीं हुआ ।

*२९—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोदीनगर कपड़ा मिल ने अपने मजदूरों का सन् १९६१-६२ का बोनस नहीं दिया है जब कि कपड़ा मिल मजदूर सभा ने उससे बराबर मांग की है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि कितनी है और मजदूरों को उसे कब तक दिलाया जायगा ?

श्री बनारसीदास—

मोदी स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स मोदीनगर, मेरठ ने १९६१-६२ के आर्थिक वर्ष के लिये ६,०३,००० रु० की धनराशि बोनस के रूप में दी है।

बांगरमऊ क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में बांगरमऊ ब्लाक के ब्लाक प्रमुख द्वारा उप विकास आयुक्त मध्य खन्ड को बांगरमऊ क्षेत्र विकास अधिकारी के कर्त्तव्यों के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र गत ३ अप्रैल, १९६३ से ८ अप्रैल, १९६३ के बीच मिला ?

श्री राममूर्ति—

जी हां ।

*३१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

क्या यह सत्य है कि उक्त ब्लाक प्रमुख ने विकास मंत्राणी से तथा संबंधित सभा सचिव से स्वयं मिलकर उक्त शिकायतों की ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया ?

श्री राममूर्ति—

ऐसा संभव है कि मिले हों ।

*३२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त आरोपों की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला और क्या कार्यवाही की गई ? यदि जांच नहीं कराई गई, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

हर शिकायत की जांच दो-दो, तीन-तीन बार जिला नियोजन अधिकारी तथा जिलाधीश महोदय के द्वारा कराई गई और उसमें कोई भी ऐसी चीज क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध नहीं निकली जिसके कारण क्षेत्र विकास अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जावे ।

विकास खण्ड, नदीगांव का भवन

*३३—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ब्लाक नदीगांव, जिला जालौन की Building कस्बे से बाहर बनाई जा रही है और वहां पर नजदीक में ही कोई Police outpost नहीं है, तो क्या सरकार Block Building के साथ पुलिस चौकी भी वहां पुलिस विभाग द्वारा बनवाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री राममूर्ति—

हां, विकास खन्ड नदी गांव, जिला जालौन की ब्लाक बिल्डिंग का निर्माण कस्बे से बाहर कराया जा रहा है और वहां पर नजदीक में कोई पुलिस चौकी नहीं है । इस संबंध में आरक्षा अधीक्षक महोदय जालौन से पत्र व्यवहार किया गया था, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही जारी है। स्वीकृति मिलने पर पुलिस चौकी की स्थापना की जायेगी, यदि वह आर्थिक दृष्टि से अनुकूल हुआ ।

*३४—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि नदीगांव Block Building किस आधार पर कस्बे के बाहर बनाई गई जब कि वहां पर अधिकतर अपहरण की घटनायें होती रहती हैं ? क्या वहां से Block Building और Office किसी दूसरे स्थान पर हटाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

ब्लाक भवन का निर्माण कस्बे से बाहर उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण किया जा रहा है। चूंकि उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण ही कस्बे के बाहर निर्माण कराया जा रहा है, इसलिये दूसरे स्थान पर निर्माण कराने का प्रश्न ही नहीं आता। इसके अतिरिक्त भवन संबंधी निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में अब दूसरे स्थान पर विचार करना आर्थिक हित में न होगा।

मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालोजी विभाग की जांच रिपोर्ट

*३५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय तथा श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालोजी विभाग में की गई गड़बड़ियों की जांच करने वाली एक सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट लगभग एक वर्ष से उनके विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। रिपोर्ट इस समय विश्वविद्यालय के विचाराधीन है। उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

*३६—श्री रामसुन्दर पाण्डेय तथा श्री भीमाप्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

रिपोर्ट को, गोपनीय होने के कारण सदन की मेज पर रखने का विचार नहीं है।

नवीन चिकित्सालय, अस्पतालों का प्रान्तीयकरण

*३७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय तथा श्री भीमाप्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन स्थानों पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाखाना, चालू वित्तीय वर्ष में खोले जा रहे हैं और किन-किन एलोपैथिक अस्पतालों का प्रान्तीयकरण हो रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चालू वित्तीय वर्ष में एलोपैथिक के दो महिला चिकित्सालय छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद और जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर में खोले जाने के आदेश जारी हो चुके हैं। यदि आवश्यक निधि उपलब्ध हो गई तो निम्नलिखित स्थानों पर भी एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जा सकेंगे।

१—डुमरियागंज, जिला बस्ती।
२—उदयपुर जोगिया, जिला बस्ती।
३—बहमाई, जिला हमीरपुर।
४—जलाली, जिला अल्मोड़ा।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी के पांच औषधालय वित्तीय वर्ष में खोले जायंगे। परन्तु इनके स्थानीय स्थान अभी तक निश्चित नहीं हो सके हैं।

इस वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण करने का निश्चय किया गया है। इनमें से पहले ७ को प्राथमिकता दी जायगी :

१—लोहाघाट, जिला अल्मोड़ा,
२—सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर,
३—मऊरानीपुर, जिला झांसी,
४—महिला चिकित्सालय टांडा, जिला फैजाबाद,
५—टी० बी० अस्पताल, बस्ती,
६—कारोनेशन अस्पताल, देहरादून,
७—आई० डी० अस्पताल, लखनऊ,
८—सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद,
९—बिसवा चिकित्सालय, सीतापुर,
१०—मैटरनिटी होम, चम्भा, जिला गढ़वाल,
११—नवगांव खाल, गढ़वाल।

चीनी मिलों में बोनस का वितरण

*३८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ६ अप्रैल, १९६३ के सरकारी आदेश के अनुसार प्रदेश के किन-किन चीनी मिलों ने अलग-अलग कितना-कितना बोनस श्रमिकों में बांटा तथा किन मिलों ने नहीं बांटा और न बांटने का क्या कारण है?

श्री बनारसीदास—

आवश्यक सूचना संलग्न तालिका† में उपलब्ध है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

शमसाबाद ब्लाक में गबन

*३९—श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला आगरा की फतेहाबाद तहसील के शमसाबाद ब्लाक में जिलाधीश के आदेश पर जो गबन पकड़ा गया है उसमें क्या राष्ट्रीय सुरक्षा कोष का रुपया भी लापता है जिसकी कुल धनराशि जांच के प्रथम चरण में, १,५२० रुपये (पन्द्रह सौ बीस रुपया) या एक हजार पांच सौ बीस रुपये है? यदि हां, तो सरकार ने अभियुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री राममूर्ति—

१५ जून, १९६३ को शमसाबाद ब्लाक में रु० १,५७४.६२ न० पै० का जो गबन पकड़ा गया उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के ८५९ रु० भी शामिल हैं। गबन की कुल धनराशि कोषाध्यक्ष एवं ज्येष्ठ लिपिक से वसूल कर ली गई है और दोनों कर्मचारियों को २२ जून, १९६३ से निलम्बित किया जा चुका है। इस समय उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही चल रही है।

---

†छापी नहीं गई।

पी० एम० एस० प्रथम व द्वितीय

*४०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय —

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि Public Service Commission ने सरकार को इस बात के लिये लिखा है कि P. M. S. I तथा P. M. S. II की Services को amalgamate कर दिया गया ? यदि हां, तो उक्त लेख क्या है और इसका प्रभाव प्रदेश के कितने चिकित्सकों पर पड़ा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

बिक्री-कर

*४१—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा) —

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में कुल सेल्स टैक्स कितना लगाया गया और उसमें से कितना रुपया ३१ मार्च, १९६३ तक वसूल हुआ ?

वित्त मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) —

वांछित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है।

रिआर्गनाइजेशन आफ ट्रेजरीज

*४२—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फर नगर) —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ट्रेजरी reorganisation जो सन् १९५८ में शुरू किया गया था वह अब तक पूर्ण हो गया है, या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी —

रिआर्गनाइजेशन आफ ट्रेजरीज का काम जो १९५८ में शुरू किया गया था केवल निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जो सरकार के अब भी विचाराधीन हैं, पूरा हो चुका है।

(१) ट्रेजरी और बिल फार्मों को आवश्यकतानुसार संशोधित करने का काम बराबर जारी है।

(२) पेन्शन सम्बन्धी गार्ड बुक और पेन्शन पेमेन्ट आर्डर के वितरक-प्रतिपत्रक (डिसवर्सर्स हाफ) जो गार्ड बुक में रखा जाता है, का प्रारूप उपयुक्त रूप से बदलने के विषय में महालेखापाल से परामर्श हो रहा है।

(३) ट्रेजरी से सम्बन्धित गाइड बुक की तरह का एक मैनुअल बनाने का काम जारी है। पूरा होने में कुछ समय लगेगा।

(४) ट्रेजरी मिनिस्टीरियल स्टाफ के सर्विस रूल्स का ड्राफ्ट्स तैयार हो चुका है, और विभिन्न विभागों में इसकी जांच हो रही है।

रामपुर राज्य के अस्थायी मुलाजिम

*४३—श्री रियासत हुसैन —

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि गवर्नमेंट आर्डिट नं० १२३७/१११-६१४-१९५०, दिनांक १४ फरवरी, १९५० के अनुसार रियासत रामपुर के सभी मुलाजिम ६ माह के अन्दर कन्फर्म हो जाने चाहिये थे ? यदि हां, तो उन मुलाजिमों में रजिस्ट्रेशन

डिपार्टमेंट के कितने लोग ऐसे हैं जो कन्फर्म नहीं हुये और किन कारणों से ? कन्फर्म न होने वालों के नाम क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी --

यह सही नहीं है कि राजकीय आज्ञा नं० १२३७/१११-६१४-१९५० दिनांक १४ फरवरी, १९५० के अनुसार रियासत रामपुर के सभी मुलाजिम ६ मास के अन्दर कन्फर्म हो जाने चाहिये थे इसलिये दूसरे प्रश्न नहीं उठते ।

*४४-४५--श्री हरीश कुमार गंगवार--

[१८ अक्तूबर १९६३ को प्रश्न २७-२८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*४६--श्री हरीश कुमार गंगवार--

[३रे गुरुवार के लिये प्रश्न ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४७--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

[हटा दिया गया ।]

बिक्री-कर का बकाया

*४८--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों में कितना-कितना धन सेल्स टैक्स का बकाया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

१ अप्रैल, १९६३ को बिक्री-कर की देय धनराशि १,०७१.१५ लाख रुपया व्यापारियों पर अवशेष थी जिसका मण्डल क्रम से विवरण संलग्न †सूची में दिया है ।

*४९--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार इलाहाबाद के व्यापारियों की सेल्स टैक्स की सूची सदन में रखने की कृपा करेगी कि जिन-जिन व्यापारियों ने ५ वर्ष से सेल्स टैक्स का बकाया धन नहीं दिया और न देने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इलाहाबाद जिले के ऐसे व्यापारियों की जिन्होंने ५ साल पुरानी बिक्री-कर की बकाया धनराशि में से पिछले ५ वर्षों में कुछ भी जमा नहीं किया है, एक †सूची संलग्न है। इन व्यापारियों से बकाया कर वसूल न होने का कारण यह है कि इन व्यापारियों का या तो पता नहीं है या उनके पास ऐसे कोई साधन नहीं हैं जिनसे कि बिक्री-कर की बकाया धनराशि वसूल की जा सके ।

देवरिया जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण पाठशाला के छात्रों का चयन

*५०--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला में संचालित होने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण पाठशाला के छात्रों के चयन में भारी गड़बड़ी एवं अनियमितता की सूचना प्रश्न कर्त्ता ने ३० अगस्त, १९६३ को उसे दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस चयन को रद्द कर नये सिरे से चयन करायेगी और प्रशिक्षार्थियों की संख्या जो वर्तमान है उसकी चौगुनी बढ़ायेगी ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री बनारसीदास--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*५१--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या चयन हुये एवं चयन हेतु दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों की सूची की प्रतिलिपि शिक्षा योग्यता एवं डिवीजन के सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला अन्तरिम परिषद्, बांदा में पदों की निर्धारित योग्यता, कार्य अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में राजाज्ञा

*५२--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कोई जी० ओ० जिला अन्तरिम परिषद्, बांदा को दिनांक १० अप्रैल, १९५० ई० का भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि आफिस सुपरिन्टेंडेंट को हाई स्कूल पास होना जरूरी है तथा उसमें यह भी उल्लेख था कि बगैर हाई स्कूल पास कोई क्लर्क रखा नहीं जा सकता ?

श्री राममूर्ति--

दिनांक १० अप्रैल, १९५० में शासन द्वारा परिषद् के अनेक पदों की योग्यता निर्धारित की गई थी। कार्यालय अध्यक्ष (Offiee Superintendent) के पद के लिये हाई स्कूल प्रमाण-पत्र न्यूनतम योग्यता रखी गई थी। राजाज्ञा के अनुसार शासन को यह अधिकार है कि वह उचित समझे तो किसी भी केस में इन निर्धारित योग्यताओं से किसी कर्मचारी को जिला परिषद् के प्रतिवेदन पर छूट दे दे।

*५३--श्री मतोलासिंह--

क्या बांदा अन्तरिम जिला परिषद् को गवर्नमेंट ने ऐसा कोई आदेश, दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ को भेजा है जिसे आफिस के किसी क्लर्क ने अपने हस्ताक्षर से प्राप्त किया और वह सूचनार्थ एकाउन्टेंट को नहीं भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

यह आदेश दिनांक १ अप्रैल, १९६३ का है जो परिषद् के रिसीट रजिस्टर क्लर्क ने अपने हस्ताक्षर द्वारा ४ अप्रैल, १९६३ को प्राप्त किया था और उसी तारीख को यह आदेश एकाउन्टेन्ट के पास सूचनार्थ भेजा गया।

*५४--श्री मतोलासिंह--

क्या सरकारी आदेश दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ को बांदा जिला परिषद् के किसी क्लर्क से सम्बन्धित भेजा गया था जो उसका सेवा काल न बढ़ाने तथा उसकी सेवायें परिषद् से ३० जुलाई, १९६३ से समाप्त करने के बारे में था ? यदि वह क्लर्क परिषद् की सेवाओं से अब तक वंचित नहीं किया गया, तो ऐसा क्यों ?

श्री राममूर्ति--

राजाज्ञा में उनकी कार्य अवधि ३० जून, १९६३ तक ही निर्धारित की गई थी। इस अवधि के बढ़ाने के सम्बन्ध में पूछतांछ की जा रही है।

घोसी विकास क्षत्र के स्टोर कीपर के विरुद्ध शिकायत

*५५---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या विकास मन्त्री दिनांक ६ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जमानत के अलावा उसके परिवार की जायदाद से अधिक रुपया वसूल करने में उन्हें क्या दिक्कत है ?

श्री राममूर्ति---

वर्तमान नियमों के अनुसार श्री जगदीशनारायणलाल के परिवार वालों की जायदाद से रुपया वसूल नहीं किया जा सकता।

मेडिकल आफिसर डिबाई के खिलाफ शिकायतें

*५६---श्री हिम्मतसिंह---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेडिकल आफिसर, डिबाई, जिला बुलन्दशहर कहाँ के रहने वाले हैं ? वह डिबाई के रहने वाले हैं, गो उनकी पोस्टिंग डिबाई में क्यों और कैसे ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना---

मेडीकल आफीसर डिबाई, जिला बुलन्दशहर, डिबाई के रहने वाले हैं। चूंकि वहां कोई दूसरा चिकित्सक उपलब्ध नहीं था इसलिये उनकी नियुक्ति जिला परिषद् द्वारा वहीं कर दी गई।

*५७---श्री हिम्मतसिंह---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेडिकल आफिसर, डिबाई, जिला बुलन्दशहर के खिलाफ दिनांक १, ८, २२ तथा २४ मई; १ जून; २७ जून, २, २२ अगस्त, १९६३ के शिकायती-पत्र उसे प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना---

मेडिकल आफीसर डिबाई, जिला बुलन्दशहर के खिलाफ दिनांक ८ मई, १९६३, १३ जून, १९६३ तथा १८ जुलाई, १९६३ को चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य निदेशालय में शिकायती-पत्र प्राप्त हुये थे और सिविल सर्जन बुलन्दशहर को दिनांक १, ८, २२ तथा २४ मई, १९६३; १ जून, १९६३, तथा २२ अगस्त, १९६३ को शिकायतें प्राप्त हुईं।

मुख्य शिकायतें निम्न लिखित हैं :

(१) अस्पताल के सामने श्री भागेश्वर दयाल केमिस्ट की दूकान से डाक्टर साहब मरीजों को दवाइयां खरीदने को कहते हैं और उससे दिलचस्पी रखते हैं।

(२) डाक्टर साहब की लापरवाही से ही लाला बाबू एक्सीडेन्ट की मामूली चोट से मर गया।

(३) डाक्टर साहब की जब से अस्पताल में नियुक्ति हुई है सरकारी भवन को छोड़कर अपने घर पर ही रह रहे हैं जिससे मरीजों को असुविधा होती है।

(४) मरीजों को देखने और चोटों का डाक्टरी मुआइना करने में बहुत अधिक फीस का लेना।

(५) घूंस लेकर बच्चा गिराना।

इन शिकायतों की जांच सिविल सर्जन बुलन्दशहर ने की जो निराधार पाई गई।

*५८—श्री ऊदल—

[हटा दिया गया।]

राप्ती पार बहराइच जिले में चिकित्सालय

*५९—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच) कुंवर श्रीपाल सिंह तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद, बहराइच में राप्ती नदी के उस पार कितने जनाने व मर्दाने चिकित्सालय हैं तथा उनमें से किन-किन में डाक्टर नहीं है ? क्या उनमें से कोई ऐसा चिकित्सालय भी है जो पोस्टमार्टम केन्द्र है, तथा कोई चिकित्सालय ऐसा भी है जो U. N. I. C. E. F. से सम्बन्धित हैं ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना—

इस क्षेत्र में निम्नलिखित ४ मर्दाने तथा १ जनाना चिकित्सालय है । इन चिकित्सालयों में इस समय डाक्टर नहीं हैं :

(१) भिंगा (महिला) चिकित्सालय ।
(२) भिंगा (पुरुष) चिकित्सालय ।
(३) भंगहा (पुरुष) चिकित्सालय ।
(४) लक्षमनपुर (पुरुष) चिकित्सालय ।
(५) सिरसिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।

भिंगा (पुरुष) चिकित्सालय पोस्टमार्टम केन्द्र है तथा सिरसिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र U. N. I. C. E. F. से सम्बन्धित है ।

*६०—श्री मुन्नूसिंह, कुंवर श्रीपालसिंह तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार इन अस्पतालों में और विशेषकर जनाने अस्पताल में डाक्टरों की व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि जिससे इतनी असुविधाजनक यातायात वाले इलाके में मरीजों व औरतों को कष्ट न उठाना पड़े ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

भिंगा (पुरुष) चिकित्सालय में शीघ्र ही डाक्टर भेजने की व्यवस्था की जा रही है । डाक्टरों के उचित संख्या में उपलब्ध होने पर, अन्य चिकित्सालयों में डाक्टरों की नियुक्ति की जायेगी ।

भिंगा (महिला) चिकित्सालय की इमारत की मरम्मत की जा रही है । मरम्मत पूरी होने पर वहां डाक्टर भेजने की व्यवस्था की जायेगी ।

ब्लाक कमेटी, मूढ़ा भगतपुर और मुरादाबाद को दिया गया धन

*६१—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ब्लाक कमेटी मूढ़ा भगतपुर और मुरादाबाद सिटी को माली साल १९६२–६३ और १९६३–६४ में कितना-कितना रुपया दिया गया और उसके वितरण में १ हजार से ज्यादा किस-किस व्यक्ति को किस-किस काम के लिये दिया गया ?

श्री राम मूर्ति—

ब्लाक कमेटी मूढ़ा, भगतपुर तथा मुरादाबाद सिटी में वित्तीय वर्ष १९६२–६३ और १९६३–६४ (३०–९–१९६३ तक) में कुल धन अंकन ५,२१,९८८ रुपये दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम-संख्या	नाम ब्लाक		वर्ष १९६२–६३	वर्ष १९६३–६४ (३०–९–६३ तक)
			रु०	रु०
१—मूढ़ापान्डे	..	..	८६,३९५	१५,२००
२—भगतपुर	..	..	६८,९४७	१९,७००
३—मुरादाबाद	..	..	२,५७,८४१	७३,९०५
	योग	..	४,१३,१८३	१,०८,८०५
	कुल योग	..	५,२१,९८८	

वर्ष १९६२–६३ में एक हजार या इससे अधिक धन जिन व्यक्तियों को दिया गया उसके विवरण की विकास क्षेत्रवार एवं मदवार सूची परिशिष्ट (क) १, (क) २, (क) ३, पर संलग्न हैं ।

वर्ष १९६३–६४ में इन विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत ३०–९–१९६३ तक किसी को भी एक हजार रुपये से अधिक धनराशि नहीं दी गई ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १९९–१२० पर)

*६२–६३—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

[२९ अक्तूबर १९६३ को प्रश्न संख्या ३९–४० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

मितव्ययिता समिति

*६४—श्री टम्बेश्वरप्रसाद तथा श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार द्वारा जिस मितव्ययिता समिति (Economy Committee) का गठन किया गया है, उसने अपने जन्मकाल से लेकर अब तक क्या-क्या सिफारिशें की हैं तथा उनमें से कौन-कौन लागू की गयीं तथा उनसे कितने रुपये की बचत की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिस विज्ञप्ति के अन्तर्गत मितव्ययिता समिति बनाई गई है उसके अनुसार समिति की कार्यवाही और उसके सुझाव गोपनीय माने जाते हैं । अतः खेद है, इस संबंध में कोई सूचना देना संभव नहीं है ।

पिंडरा ब्लाक में पशु प्रदर्शनी हेतु चन्दा

*६५—श्री ऊदल तथा श्री मुन्नूसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक पिंडरा, वाराणसी, में नवम्बर, १९६२ में पशु प्रदर्शनी हेतु क्षेत्र की ११८ गांव सभाओं से ५ रु० फी गांव सभा चन्दा मार्च, अप्रैल, १९६२ में लिया गया और उसकी रसीद नहीं दी गयी है? यदि हां,तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति--

वाराणसी जिले के पिंडरा ब्लाक में कुल १०८ गांव सभा हैं। नवम्बर, १९६२ में पशु प्रदर्शनी हेतु ५ रु० क्षेत्र की प्रत्येक गांव सभा से लिया गया था और संबंधित पंचायत मंत्रियों द्वारा उन गांव सभाओं को रसीद भी दे दी गई है।

शाहजहांपुर जिले में आबकारी ठेकेदारों पर बिक्री-कर

*६६--श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में जनवरी, १९५२ से जून, १९६३ तक आबकारी के ठेकेदारों पर कितना बिक्री-कर बकाया है और उन ठेकेदारों की जमानत किसने-किसने की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

गोरखपुर सहकारी बैंक में भ्रष्टाचार की शिकायत

*६७--श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें गोरखपुर सहकारी बैंक के ६ डाइरेक्टरों ने ३१ अगस्त, को कोई तार भेज कर इस बात की सूचना दी है कि इस बैंक में गोलमाल गबन, अनियमितता तथा पैसे का दुरुपयोग बढ़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास--.

जी हां, उप निबन्धक गोरखपुर को मामले में जांच करने का आदेश दिया गया है। उनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

कोआपरेटिव सुपरवाइजरों का वेतन क्रम

*६८--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कोआपरेटिव सुपरवाइजर वर्ग को इस समय कितना वेतन-क्रम किस महंगाई के साथ मिलता है ?

श्री बनारसीदास--

यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन द्वारा नियुक्त सहकारी सुपरवाइजर वर्ग का वेतन-क्रम तथा महंगाई भत्ता इस प्रकार है :

वेतन क्रम--नं० १ सेलेक्शन ग्रेड ७५-५-१२० वेतन-क्रम नं० २ टाइम स्केल ४०-२-६०-४-८० में ७५ रु० की दर से प्रति सुपरवाइजर को ७५ रु० स्थिर वेतन दिया जाता है जब तक कि वह उक्त वेतन क्रम में ७६ रुपया प्रति मास पाने का अधिकारी न हो जाय।

महंगाई--

१--१०० रु० तक वेतन पाने वाले सुपरवाइजरों को २५ रु० महंगाई वेतन तथा १० रु० महंगाई भत्ता का भुगतान होता है।

२--१०० रु० से अधिक पाने वाले सुपरवाइजरों को ३० रु० महंगाई वेतन तथा ५ रु० मंहगाई भत्ता भुगतान किया जाता है।

*६९—श्री गेंदा सिंह—

क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारियों को जो मासिक वेतन में पांच रुपये की एडहाक वृद्धि की गयी थी वह उक्त सुपरवाइजर वर्ग को नहीं मिलती ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां। कोआपरेटिव यूनियन धनाभाव के कारण उक्त वृद्धि नहीं कर सकी।

ड्रग्स इन्स्पेक्टर

*७०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में नक्ली दवा न बेची जावे इसकी देखभाल हेतु कितने कर्मचारियों की नियुक्ति है तथा किन-किन पदों पर ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

११ ड्रग्स इन्स्पेक्टर इस कार्य के लिये विशेष रूप से नियुक्त है जिनके द्वारा देख भाल की जाती है।

गांव सभा कठिरांव से ऋण की वसूली

*७१—श्री ऊदल तथा श्री मुन्नूसिंह—

क्या सरकार ६ मार्च, सन् १९६३ के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या १५ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा कठिरांव, ब्लाक, बड़ा गांव, वाराणसी को निदेशक, पंचायत राज उत्तर प्रदेश द्वारा दिसम्बर, १९६१ में जो ८,००० रु० का कर्ज २५ जनवरी, १९६२ को दिया गया है, जिसकी २५ जनवरी, सन् १९६३ तक पहली किस्त वसूल होनी चाहिये थी वह पहली किस्त की क्या वसूली हो गयी और पूरा कर्ज का रुपया वसूलने के लिये क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

गांव सभा कठिरांव से ऋण की पहली किस्त की वसूली अभी तक नहीं हुई है। गांव-सभा प्रधान की प्रार्थना पर उक्त ऋण की वसूली, इस प्रतिबन्ध के साथ कि बढ़ी हुई अवधि के भीतर ही ब्याज सहित संपूर्ण धनराशि जमा कर दी जायगी, जून, १९६४ तक के लिये स्थगित कर दी गई है।

रायबरेली जिले की सहकारी समितियां

*७२—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में कितनी सहकारी समितियां हैं और वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में इन समितियों द्वारा कितनी खाद ऋण रूप में दी गयी ? क्या सरकार ने कोई ऐसा नियम बना दिया है कि सदस्यों को ऋण का ३३ प्रतिशत खाद रूप में लेना अनिवार्य है ?

श्री बनारसीदास—

रायबरेली जिले में १६८३ सहकारी समितियां हैं। इन समितियों द्वारा वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में ५०६ मीटरिक टन ९१२ किलोग्राम खाद, जिसका मूल्य रु० १,८३,५०८.८६ न० पै० है, ऋण के रूप में दी गई है। ऋण का ३३ प्रतिशत खाद के रूप में लेने का कोई सहकारी नियम नहीं है।

मेडिकल कालेज, कानपुर में क्षय रोगी रामआसरे के सम्बन्ध में जांच

*७३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार तथा श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, अस्पताल कानपुर के टी० बी० सैनिटोरियम में दाखिल रामआसरे (मृतक) क्षय रोगी के संबंध में मेरे दिनांक ११ फरवरी, १९६३ के पत्र मुख्य मंत्री और उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। उक्त पत्र में की गई शिकायत की जांच करायी गई, परन्तु उसमें उल्लिखित आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

*७४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार तथा श्री दीपनारायणसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने आदेश संख्या ४०४८ सी, दिनांक २४ अगस्त, १९६२ और वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट के पत्र संख्या १६२२२, दिनांक २९ अगस्त, १९६२ के विपरीत मुख्य टी० बी० अस्पताल में न रख कर सेवा आश्रम खैराती अस्पताल किदवई नगर, कानपुर भेजने का क्या आधार था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चूंकि रोगी का क्षय रोग काफी बढ़ा हुआ था, इसलिये उनको लाला लाजपत राय अस्पताल के टी० बी० वार्ड में न रख कर, टी० बी० आइसोलेशन अस्पताल किदवई नगर में रखा गया। जहां कि बढ़े हुए रोग के मरीज रखे जाते हैं, ये दोनों अस्पताल कानपुर मेडिकल कालेज के अस्पताल हैं।

*७५—श्री रघुवीर सहाय कैथवार तथा श्री दीपनारायणसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि उक्त रामआसरे हरिजन क्षय रोगी को सरकार के दूसरे आदेश संख्या ४०४८ सी–दिनांक १८ सितम्बर, १९६२ के बावजूद दिनांक २९ अगस्त, १९६२ से दिनांक १० अक्तूबर, १९६२ तक सेवा आश्रम किदवई नगर में रखा गया और दिनांक ११ अक्तूबर, १९६२ को मुख्य टी० बी० सेनिटोरियम में उसे भर्ती करने पर भी इलाज व दवाइयों आदि की उचित व्यवस्था नहीं की गयी ? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

क्योंकि रोगी का क्षय रोग काफी बढ़ा हुआ था, इसलिये उनको टी० बी० आइसोलेसन अस्पताल किदवई नगर में रखा गया था। बाद में सरकार के विशेष आदेश आने पर उनको लाला लाजपत राय अस्पताल के टी० बी० वार्ड में रखा गया। जांच कराने पर मालूम हुआ कि दोनों अस्पतालों में उक्त रोगी के इलाज की उचित व्यवस्था की गई थी।

हसायन विकास क्षेत्र की हेल्थ विजिटर

*७६—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार के पास हाल में हसायन विकास क्षेत्र (अलीगढ़) के हेल्थ विजिटर के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें आयी हैं कि ये न तो ग्रामों में भ्रमण करती हैं और न जहां चेचक की बीमारी फैली हुई थी उन जगहों का दौरा ही करती हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी है अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला सहकारी बैंक, झांसी सम्बन्धी शिकायतें

*७७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला सहकारी बैंक, झांसी के उप सभापति श्री राव मूरतसिंह ने सरकार के पास १ मार्च, १९६३ की बैठक की कार्यवाही के विरुद्ध शिकायत भेजी थी ? यदि हां, तो शिकायतें क्या-क्या थीं और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसी दास—

जी हां। शिकायतों तथा उस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १२१ पर)

इलाहाबाद मण्डल में प्रत्यावर्तित सहायक विकास अधिकारी

*७८—श्री होरीलाल यादव—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई जून, १९६३ में दक्षिण इलाहाबाद डिवीजन में कितने क्षेत्र सहायक विकास अधिकारी क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत किये गये ?

श्री राममूर्ति—

इलाहाबाद मंडल में मई जून, १९६३ ई० में आठ सहायक विकास अधिकारी स्थानापन्न रूप से क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किये गये थे।

*७९—श्री होरीलाल यादव—

क्या यह सच है कि इन पदोन्नत किये गये विकास अधिकारियों को पुनः Revert किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उनमें से भी कोई अब भी क्षेत्र विकास अधिकारी की जगह पर काम कर रहा है ? यदि हां, तो उनकी क्रम संख्या क्या है ?

श्री राममूर्ति—

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से क्षेत्र विकास अधिकारी के २४२ पदों के लिये चुने गये अभ्यर्थियों की सूची के प्राप्त होने पर जुलाई, १९६३ में उपरोक्त ८ में से, स्थानापन्न क्षेत्र विकास अधिकारी प्रत्यावर्तित किये गये और एक क्षेत्र विकास अधिकारी जो लोक सेवा आयोग द्वारा चुन लिया गया था, को वाराणसी मंडल में नियमित रूप से क्षेत्र विकास अधिकारी नियुक्त किया गया। आयोग द्वारा चुने गये २४२ अभ्यर्थियों की सूची में उनका नाम क्रमांक १९१ पर है।

टी० बी० अस्पताल, वृन्दाबन

*८०—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टी० बी० अस्पताल वृन्दाबन को सरकार हर साल कितनी सहायता देती है ? क्या सरकार ने उसकी जांच के लिये आडिटर रक्खा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

टी० बी० अस्पताल, वृन्दावन को सरकार प्रति वर्ष एक लाख सोलह हजार दो सौ रुपये (आवर्तक) की धनराशि सहायतार्थ देती है। इसकी जांच पड़ताल सरकारी आडिटर द्वारा होती है।

*८१—श्री लखीसिंह—

हास्पिटल में कितने मरीज हर साल दाखिल होते हैं तथा प्रत्येक मरीज से कितनी फीस ली जाती है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उक्त अस्पताल में सन् १९६०, १९६१ तथा १९६२ में क्रमशः ३९६, ३९६ तथा ३६५ रोगियों को उपचारार्थ भर्ती किया गया। सःशुल्क शय्या पर भर्ती होने वाले प्रत्येक रोगी को १२५ रुपये से लेकर १३० रुपये तक मासिक व्यय करना पड़ता है। विभिन्न श्रेणियों की रियायती शय्याओं पर भर्ती होने वाले रोगियों को उनके मासिक व्यय पर ४५ रुपये से लेकर ७५ रुपये तक की छूट दी जाती है। रेलवे कर्मचारियों के निमित्त सुरक्षित शय्याओं पर भर्ती होने वाले प्रत्येक रोगी से १५० रुपये लिया जाता है, लेकिन यह व्यय रेलवे स्वयं वहन करती है। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित तथा निःशुल्क शय्याओं पर भर्ती होने वाले रोगियों की चिकित्सा बिना मूल्य होती है।

*८२—श्री लखीसिंह—

मथुरा जिले के कितने मरीज हर साल उक्त अस्पताल में दाखिल हुए ? क्या यह सही है कि यहां किसी एक जाति विशेष को प्राथमिकता मिलती है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना —

उक्त अस्पताल में सन् १९६०, १९६१ तथा १९६२ में मथुरा जिले के क्रमशः १२०, ११४ तथा १२० रोगियों को उपचारार्थ भर्ती किया गया। यह सही नहीं है कि इस अस्पताल में किसी एक जाति विशेष को प्राथमिता मिलती है।

गन्ना प्रक्रियात्मक समिति, अंजान शहीद, आजमगढ़

*८३—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़) —

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना प्रक्रियात्मक समिति अंजान शहीद (आजमगढ़) के शेयर होल्डरों के शेयर वापस करने में क्यों देर की जा रही है जब कि उक्त संस्था वर्षों से विरत है ?

श्री बनारसीदास—

गन्ना, प्रक्रियात्मक समिति अंजान शहीद, जिला आजमगढ़ विघटित (लिक्वीडेट) नहीं है और न उसके सदस्यों ने इस्तीफा देकर हिस्सा वापसी की मांग की है। अतः हिस्सा वापस करने का प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

शाहजहांपुर जिले में वृद्धावस्था पेंशन

१—श्री मुहम्मदरफी खां (जिला शाहजहांपुर) —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूरे सूबे में जब से बुढ़ापे की पेन्शन देने की स्कीम शुरू की गयी, उस वक्त से अब तक कितने लोगों ने सरकार को पेन्शन के लिये दरख्वास्तें दीं और उनमें से कितनों को पेन्शन दी गयी, कृपया जिलेवार बतलाया जाय ?

श्री बनारसीदास—

सूचना तालिका "क" में दी गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १२२–१२३ पर)

२—श्री मुहम्मद रफी खां —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सीतापुर और शाहजहांपुर जिले में कितने लोगों ने बुढ़ापे की पेन्शन के लिये १ अप्रैल, १९६० से ३० जून, १९६३ तक दरख्वास्त दी और उनमें से कितनों को पेंशन देना स्वीकार किया गया और इस वक्त कितनी दरख्वास्तें विचाराधीन हैं ?

श्री बनारसीदास—

सूचना तालिका "ख" में दी गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १२२-१२३ पर)

स्याना विकास खण्ड में जीप न होना, विकास क्षेत्र, सिकन्दराबाद

३—श्री मुमताज मुहम्मद खां —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्यों स्याना विकास क्षेत्र, जिला बुलन्दशहर को जीप कार की सुविधा सरकार की ओर से अब तक प्राप्त नहीं हुई जबकि इस विकास क्षेत्र को स्थापित हुये कई वर्ष हो गये हैं ?

श्री राममूर्ति—

स्याना विकास खंड १ अक्तूबर, १९६२ को पूर्व प्रसार से प्रथम खंड में परिवर्तित हुआ है। जीप केवल प्रथम खंड में ही दी जाती है। वर्तमान आपातकालीन समय में सरकार ने जीप गाड़ियों की पूर्ति करना रोक दिया है।

४—श्री मुमताज मुहम्मद खां —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे विकास क्षेत्र हैं जो कि स्याना विकास क्षेत्र के साथ ही स्थापित हुये हैं और उन को जीप कार की सुविधा सरकार की ओर से मिल गयी है ?

श्री राममूर्ति —

उत्तर प्रदेश में ५६ विकास क्षेत्र ऐसे हैं जो स्याना विकास क्षेत्र के साथ ही स्थापित हुए हैं और उनको जीप कार की सुविधा अब तक प्राप्त नहीं हुई।

५—श्री मुमताज मुहम्मद खां —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र, सिकन्दराबाद में कितने ग्राम हैं तथा कितनी ग्राम सभाएं हैं और इनकी जन संख्या कितनी है ?

श्री राममूर्ति —

सिकन्दराबाद विकास क्षेत्र में ८९ ग्राम हैं, ७० ग्राम सभाएंहैं और उनकी जन संख्या १९५१ की जनगणना के अनुसार ६१,२२२ है।

६—श्री मुमताज मुहम्मद खां —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने विकास क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास क्षेत्र सिकन्दराबाद से बड़े हैं उनमें कितनी-कितनी ग्राम सभाएं हैं और उनकी कितनी-कितनी जन संख्या है ?

श्री राममूर्ति ---

जिला बुलन्दशहर के १४ विकास क्षेत्र सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार जन संख्या में विकास क्षेत्र सिकन्दराबाद से बड़े हैं और उनकी ग्राम सभाएं जन संख्या सहित नीचे दी जाती हैं--

क्रम-संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	ग्राम सभा संख्या	जन संख्या
१	ऊचागांव	९१	९९,०२१
२	बुलन्दशहर	९०	८१,२९२
३	दादरी	७२	७६,२२३
४	पहासू	७८	७४,६१८
५	जेबर	७९	७३,८८८
६	अनूपशहर	७४	७२,९१५
७	दनकौर	१०१	७२,१५६
८	डिबाई	६९	७१,११४
९	दानापुर	६८	६६,८७८
१०	अनियां	७२	६६,७९१
११	बिसरख	७७	६५,०४९
१२	गुलावंठी	५१	६४,९५५
१३	शिकारपुर	७१	६४,३८८
१४	खुर्जा	७९	६३,३०९

७---श्री मुमताज मुहम्मद खां ---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्य विकास क्षेत्रों की अपेक्षा विकास क्षेत्र, सिकन्दराबाद को ऊंचा स्तर प्राप्त होने का क्या विशेष कारण है ?

श्री राममूर्ति ---

सन् १९५९ में जिला नियोजन अधिकारी से विकास क्षेत्र की सीमा सम्बन्धी पुनःसंगठन के जो प्रस्ताव प्राप्त हुये थे, उसके अनुसार सिकन्दराबाद विकास क्षेत्र की अधिक जनसंख्या दिखाई गई थी। इस कारण इस विकास खंड को १ १/२ स्तर प्रदान किया गया था।

परन्तु अब जिला नियोजन अधिकारी से पूर्ण जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि सिकन्दराबाद विकास क्षेत्र की उपरोक्त जन संख्या भूल से भूतपूर्व अधिकारी द्वारा गलत दिखाई गई थी और ग्रामीण जन संख्या के अतिरिक्त, सिकन्दराबाद नगर महापालिका एवं ककोड़ टाउन एरिया की जनसंख्या भी इस ब्लाक की जनसंख्या में गलती से शामिल करके दिखा दी गई थी।

सही स्थिति मालूम होने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार से विकास आयुक्त के पत्र संख्या ८३५०/पी०--१/६७ यन० ई० एस०--६०, दिनांक २४ अक्तूबर, १९६३ के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि इस विकास खंड को पुन : एक स्तर प्रदान किया जाय।

नर्सों व कम्पाउण्डरों का वेतन क्रम

८---श्री नरसिंहनारायण पांडेय --

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में काम करने वाली नर्सेज तथा कम्पाउण्डरों का वेतन क्रम अलग-अलग क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

पूर्वतः प्रशिक्षित स्टाफ नर्सों का वेतन-क्रम ७५-५-९५ दक्षता रोक-५-१२०-दक्षता रोक-६-१५० रुपया है, किन्तु जिन महिला स्टाफ नर्सों ने नौ मास की जनरल मिडवाइफरी ट्रेनिंग नहीं ली है उनका वेतन ६५ रुपया नियत (fixed) है।

प्रशिक्षित एलोपैथिक कम्पाउन्डरों (फारमेसिस्टों) का वेतन क्रम ७५-५-१००-दक्षता रोक-५-१२० पया है और अप्रशिक्षित ऐलोपैथिक कम्पाउण्डरों (फार्मेसिस्टों) का वेतन क्रम ४५-२-६५ रुपया है।

९---श्री नरसिंह नारायण पांडेय ---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कम्पाउण्डर तथा नर्सेज का अलग-अलग कितने महीनों तथा सालों की ट्रेनिंग करनी होती है और उनके Pay Scale को समान रखने का क्या कारण है?

श्री दाऊदयाल खन्ना ---

कम्पाउन्डरी की ट्रेनिंग दो साल तीन महीने की होती है। नर्स बनने के लिये तीन साल जनरल नर्सिंग में और नौ माह जनरल मिडवाइफरी में ट्रेनिंग लेनी होती है।

नर्सों और कम्पाउन्डरों के पे स्केल समान नहीं है।

१०---श्री बनवारीलाल विप्र---

[हटा दिया गया।]

सदर अस्पताल, गोरखपुर

११---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के सदर अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में गर्मी के दिनों में पंखे की व्यवस्था रहती है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना ---

तीन पुराने प्राइवेट वार्डों में, जिनमें बिजली की अस्थायी वायरिंग है, गर्मी के दिनों में मेज के पंखों की सुविधा उपलब्ध रहती है। जो ६ नये प्राइवेट वार्ड हाल ही में बने हैं उनमें अभी बिजली नहीं आई है।

वाराणसी तहसील में बड़ा गांव-तमाचाबाद सड़

१२---श्री ऊदल ---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील वाराणसी की बड़ागांव से अनेई कालिका धाम होते हुये तमाचाबाद जाने वाली कच्ची सड़क जिले (मेन पावर यूटिलाइजेशन) के अन्तर्गत लिया गया है उस पर कब कार्य शुरू होगा? इस के लिये कितना समय रक्खा है?

श्री राममूर्ति---

तहसील वाराणसी की बड़ागांव से अनेई कालिका धाम होते हुये तमाचाबाद आने वाली कच्ची सड़क अभी मैनपावर यूटिलाइजेशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है। अतः कार्य शुरू होने का प्रश्न नहीं उठता।

खजाने के कर्मचारियों को शनिवार की छुट्टी न मिलना

१३—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब हर मुहकमे में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी माह के द्वितीय शनिवार की रहती है, फिर खजानों के कर्मचारियों की छुट्टी न रखने के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

खजानों में केवल निगोशियेबुल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट, १८८१ की धारा २५ के अन्तर्गत घोषित "पब्लिक हालीडेज" के ही दिन छुट्टियां होती हैं. और चूंकि प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत सार्वजनिक छुट्टी नहीं घोषित किया गया है अतएव खजाने के कर्मचारियों को उस दिन छुट्टी नहीं मिलती है।

गाजीपुर जिले में हरिजन कूप

१४—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के सैदपुर, तहसील के सैदपुर देवकली, सादात, जखनियां, और मंझारी ब्लाक में ग्रामवार कितने कुयें नये बने हैं और कितने कुयें पुराने हैं तथा जो नये कुयें बने हैं उनमें से कितने कुयें तकावी द्वारा बनाये गये हैं और कितने प्लानिंग के अनुदान से बने हैं ?

श्री राम मूर्ति—

वांछित † सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

१५—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में उपरोक्त ब्लाकों में हरिजन बस्तियों में कितने गांव ऐसे हैं जिनमें एक भी कुआं नहीं है और उसके लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

समाज कल्याण मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील के अन्तर्गत विकास क्षेत्र सादात, जखनियां, तथा मनिहारी में स्थित सभी हरिजन बस्तियां में पेय जल कूप हैं। केवल विकास क्षेत्र सैदपुर तथा देवकली के अन्तर्गत कुल मिलाकर ११ गांवों में पेय जल कूप नहीं हैं। सम्बन्धित विकास क्षेत्र अधिकारियों को यह निर्देश दे दिया गया है हरिजन सहायक विभाग तथा नियोजन विभाग के अनुदानों से चालू वित्तीय वर्ष में इन ग्रामों में कूपों की स्वीकृति देकर उनके निर्माण की व्यवस्था की जाय।

१६—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में हरिजनों के लिये कितने कुयें इस साल सरकार ने बनाने के लिये मंजूर किये हैं ?

डाक्टर सीताराम—

गाजीपुर जिले में इस साल हरिजनों के लिये कुल २० कुयें बनाने के लिये मंजूरी दी गई है।

---

†छापी नहीं गई।

मुरादाबाद जिले में डाक्टर के बिना डिस्पेन्सरी

१७—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में रूरल डिस्पेंसरी कहां-कहां हैं और इस समय कौन-कौन सी बिना डाक्टर के चल रही हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना —

मुरादाबाद जिले में रूरल एलोपैथिक डिस्पेन्सरी निम्नलिखित स्थानों में हैं :

राजकीय डिस्पेन्सरी

(१) पुरुष डिस्पेन्सरी, भोजपुर,
(२) पुरुष डिस्पेन्सरी, डिलारी,
(३) पुरुष डिस्पेन्सरी, रजबपुर,
(४) पुरुष डिस्पेन्सरी, मतलबपुर,
(५) पुरुष डिस्पेन्सरी, सुल्तानपुर, दोस्त,
(५) पुरुष डिस्पेन्सरी, ताजपुर,
(७) महिला डिस्पेन्सरी, बहजोई।

इनमें से पुरुष डिस्पेन्सरी मतलबपुर, सुल्तानपुर दोस्त, ताजपुर और महिला डिस्पेन्सरी बहजोई बिना डाक्टर के चल रही हैं।

जिला परिषद् की डिस्पेन्सरी

(१) पुरुष डिस्पेन्सरी, ठाकुरद्वारा,
(२) पुरुष डिस्पेन्सरी, सलीमपुर,
(३) पुरुष डिस्पेन्सरी, गंगेसरी
(४) पुरुष डिस्पेन्सरी, मूडा पांडे,
(५) पुरुष डिस्पेन्सरी, कांठ
(६) पुरुष डिस्पेन्सरी, बहजोई
(७) पुरुष डिस्पेन्सरी, बिलारी,
(८) पुरुष डिस्पेन्सरी, बछराऊं,
(९) महिला डिस्पेन्सरी राजा का सहसपुर।

इनमें से पुरुष डिस्पेन्सरी ठाकुरद्वारा, सलीमपुर, गगेसरी, मूडा पान्डे तथा महिला डिस्पेन्सरी राजा का सहसपुर बिना डाक्टर के चल रही हैं।

रामपुर मथुरा विकास क्षेत्र में पंचायतों का निर्वाचन

१८—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर ब्लाक, रामपुर, मथुरा में किन पंचायतों का निर्वाचन अभी तक नहीं हुआ है ?

श्री राममूर्ति—

विकास क्षेत्र रामपुरा मथुरा की समस्त गांव पंचायतों का निर्वाचन-कार्य सम्पन्न एवं पूर्ण हो चुका है।

१९—श्री शिवेन्द्रप्रताप—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री राममूर्ति---

प्रश्न ही नहीं उठता ।

रूहेलखंड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बरेली के कर्मचारियों का प्राविडेंट फण्ड

२०---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली के रूहेलखन्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड से अनुचित रूप से निकाले गये कितने कर्मचारियों के प्राविडेंट फण्ड भुगतान कराये जाने के प्रार्थना पत्र वर्षों से रीजनल प्राविडेंट फण्ड कमिश्नर, कानपुर के यहां पड़े हैं तथा उनके भुगतान कराने में इतने विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री बनारसीदास---

रूहेलखंड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बरेली में उनकी स्वचालित प्राविडेंट फण्ड योजना चालू होने के कारण उसे इम्प्लाइज प्राविडेंट फण्ड, योजना से छूट प्रदान की गई है और प्राविडेंट का समस्त लेखा-जोखा-प्रतिष्ठान की प्राविडेंट फण्ड, ट्रस्ट बोर्ड द्वारा ही रक्खा जाता है ।

ऐसी अवस्था में इन प्रार्थना-पत्रों के रीजनल प्राविडेंट फण्ड कमिश्नर उत्तर प्रदेश के यहां पड़े रहने का प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली जिले में हरिजन कूपों के लिए प्रार्थना-पत्र

२१---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजनों के कुयें निर्माणार्थ अब कितने प्रार्थना-पत्र क्षेत्र समिति, फतेहगढ़ पश्चिमी जिला बरेली के अधिकारी के पास पड़े हैं और कब तक कुयें बन जायेंगे ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्र समिति ने अब तक कितने हरिजन कुओं का निर्माण कराया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---

क्षेत्र समिति के कार्यालय में उक्त आशय के ६ प्रार्थना-पत्र हैं जिन पर वित्तीय वर्ष १९६३-६४ का अनुदान प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायगी। अब तक क्षेत्र समिति ने किसी हरिजन कूप का निर्माण नहीं कराया है। इस मद में क्षेत्र समिति को प्राप्त धनराशि में से दो कूपों के लिये अनुदान स्वीकृत किया जा सका है, किन्तु सही व्यय की रसीदें न प्राप्त होने के कारण धन का भुगतान नहीं किया जा सका ।

विकास क्षेत्र अधिकारी, ऊंचा गांव का स्थानान्तरण

२२---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार का ऐसा आदेश है कि किसी भी ऐसे विकास क्षेत्र अधिकारी को उस विकास क्षेत्र से जो कि कोआपरटिव फार्मिंग सोसाइटीज का पाइलट प्रोजक्ट ही बगैर सहकारिता विभाग के मशविरे और इजाजत के ट्रान्सफर न किया जायगा ? यदि हां, तो विकास क्षेत्र अधिकारी विकास क्षेत्र ऊंचा गांव को जो कि कोआपरेटिव फार्मिंग का पाइलेट प्रोजेक्ट है बगैर सहकारिता विभाग की स्वीकृति के क्यों ट्रान्सफर किया गया ?

श्री राममूर्ति---

जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

देवरिया जिले में विकास खण्ड भवनों की जमीन का मुआवजा

२३---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला में किन-किन विकास खण्डों के कार्यालय एवं कर्मचारियों के लिये भवन बन चुके हैं तथा उक्त भवन किन-किन लोगों की जमीनों पर बने हैं ?

श्री राममूर्ति---

निम्न विकास खण्डों में विकास भवन निर्मित हो चुके हैं :--

कप्तानगंज, सेवरही, तमकुही, विशुनपुरा, पडरौना, हाटा, कसका, सलेमपुर, भलुजनी, लार, भागलपुर, रुद्रपुर तथा भाटपार ।

देसही खण्ड में केवल कार्यालय बना है तथा आवास हेतु भूमि दान स्वरूप मिली है । जहाँ भवन निर्माण हुआ है वहां की भूमि के मालिकों के नाम इस प्रकार हैं :--

सेवरही खण्ड---एम० पी० शुगर फैक्टरी ,

पडरौना खण्ड ---मुनेश्वर, सुन्दर, ढढई, पुरई, पांजू व सोनिया ग्राम नौनिया पट्टी,

भाटपार खण्ड---घुरमारी व गोपई राम,

रुद्रपुर खण्ड---हरिशंकर तथा उमा शंकर उपाध्याय ।

हाटा खण्ड---अवधनारायण लाल, सरजू लाल, लालजी लाल, मु० बोहरा, जगदम्बा लाल, जगरनाथ लाल, रामकिशोर लाल, भगवती लाल, जगदीश नारायण, मु० सुदामा देवी, रामेशवर लाल, बब्बन लाल, संगाती, रामकिशोर लाल, भगवती लाल, जगदीश नारायण, मु० सुदामा देवी राजेन्द्रलाल, जमुना लाल, रमाशंकर लाल, राम बालक प्रसाद, रामगोविन्द लाल, दयाशंकर लाल, रामचन्द्र लाल, श्री शिबलोचन रामनारायन लाल, व रामबली लाल ।

शेष विकास खण्डों के भवन दान स्वरूप मिली भूमि पर बने हैं ।

२४---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कितने विकास खन्ड ऐसे हैं जिनके कार्यालय एवं कर्मचारियों के भवन तो बन गये हैं किन्तु जिनकी जमीन पर निर्माण हुआ है न उन्हें मुआवजा मिला है और न उनके खाते से मालगुजारी ही खत्म करवायी गयी है ? अनियमितता की ऐसी हरकतों के लिये कौन जिम्मेदार है तथा सरकार उन्हें कौन-सी सजा दे रही है ?

श्री राममूर्ति---

१४ विकास खण्डों में पडरौना , भाटपार तथा हाटा खन्ड के काश्तकारों को मुआवजा अब दिया जा रहा है । अन्य ११ खन्डों के काश्तकारों की लगान खाते से खत्म कर दी गई है । हाटा खण्ड का खारिज दाखिल अभी बाकी है । इस मामले में सरकार जांच-पड़ताल कर रही है और इसका परिणाम मालूम होते ही समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

२५---श्री चन्द्रबलीसिंह---

हर विकास खण्ड के लिये ली गयी जमीनों का अलग-अलग मुआवजे की दर क्या है ?

श्री राममूर्ति--

हाटा, भाटपार तथा पडरौना विकास खण्डों की भूमि के मुआविजे निम्न प्रकार दिये गये हैं:

	रु०
हाटा ३-०७ एकड़	१,५०९
भाटपार १० (दस) बिसवा	१३७
भाटपार १ बीघा	२७५
पडरौना ०-८४ एकड़	९६१

अन्य सभी खन्डों में भूमि दान स्वरूप मिली है, अतः मुआविजा का प्रश्न नहीं उठता ।

२६--श्री चन्द्रबलीसिंह--

पडरौना विकास खण्ड (देवरिया) पडरौना शहर के निकट उपजाऊ एवं मंहगे किस्म की जमीन पर बना हुआ है क्या उसका मुआवजा ४,५०० रु० फी एकड़ दिया जावेगा ?

श्री राममूर्ति--

यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पडरौना के काश्तकारों को जमीन के अतिरिक्त मुआवजे के रूप में ०--८४ एकड़ का ९६१ रु० दिया जा रहा है और उन्होंने कोई विरोध या अविश्वास नहीं प्रकट किया है ।

२७--श्री चन्द्रबलीसिंह--

जिन विकास खण्डों के कार्यालय बिना मुआवजा दिये बनवाये गये हैं और मालगुजारी उनकी वसूली जाती रही है, तो क्या उन्हें फसल क्षति का भी मुआवजा दिया जावेगा ?

श्री राममूर्ति--

जिन ४ विकास खन्डों में लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत जमीन ली गई है उनमें मुआवजा निश्चित हो चुका है । हाटा विकास खण्ड आम के बाग में बना है । इसके फल का उपयोग जमीन के मालिक ही करते हैं क्योंकि मुआवजा नहीं दिया गया है। जमीन तथा बाग का मुआवजा कुल १,५०९ रु० तय हुआ है । काश्तकार बाग व जमीन दोनों का मुआवजा साथ लेना चाहते थे इसलिये अलग-अलग स्वीकार नहीं करते थे । अब दोनों साथ बांटा जा रहा है । चूंकि हाटा खन्ड की जमीन में खेती नहीं होती और बाग के फलों का उपभोग काश्तकार ही करते हैं इसलिये यहां किसी की फसल को क्षति नहीं हुई है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, मैनपुरी

२८--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी में जो (आई० टी० आई०) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र सरकार ने खोला है, उसमें अंग्रेजी की टाइप मशीन के स्थान पर हिन्दी की टाइप मशीन भेजने की कृपा करेगी जिससे कि ऐडवाइजरी कमेटी का काम हिन्दी में चल सके ? इसी किस्म के एक प्रस्ताव पर जो सन् १९६२-६३ में ऐडवाइजरी कमेटी ने सरकार के पास भेजा था, उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसीदास--

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, मैनपुरी में कार्य विशेष रूप में सांख्यिक होता है एवं औद्योगिक शब्दावली का प्रयोग अधिकतर किया जाता है । इन कार्यों में अंग्रेजी का ही प्रयोग सुविधा-जनक होता है। अतः अंग्रेजी की टाइप मशीन इस प्रशिक्षण केन्द्र को भिजवाई गई है । मैनपुरी की जिला प्रशिक्षण सलाहकार समिति का कोई प्रस्ताव इस संबंध में १९६२-६३ में प्राप्त नहीं हुआ था ।

मैनपुरी ट्रेजरी में अस्थायी जगहें

२९—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ में कोष कार्यालय (ट्रेजरी), मैनपुरी में कार्य की अधिकता के कारण जो अस्थायी पोस्टें बढ़ायी गयी थीं उनको अभी तक स्थाई न किये जाने के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

कोषालयों में ऐसे अस्थायी पदों को स्थायी करने का प्रश्न सरकार द्वारा विचाराधीन है ।

सरोजिनी नायडू अस्पताल, फीरोजाबाद के विरुद्ध शिकायतें

३०—श्री शिवचरणलाल—

क्या सरकार के पास फीरोजाबाद सरोजिनी नायडू अस्पताल में जनता के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत गत अगस्त या सितम्बर मास में आयी है ?

३१—क्या यह सही है कि १६ अगस्त, १९६३ को बस स्टैन्ड, फीरोजाबाद के लैन्टर गिर जाने से सात साल के बच्चे के चोट लगी और उस बच्चे को सरोजिनी नायडू अस्पताल तुरन्त लाया गया परन्तु डाक्टर ने इलाज करने से इन्कार कर दिया और लड़के की मृत्यु हो गयी ?

३२—क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है और जिम्मेदारी निश्चय की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि अस्पताल के डाक्टर के व्यवहार और प्रबन्ध को ठीक करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फर्रुखाबाद जिले में विभिन्न पद्धतियों से इलाज करने वाले होम्योपैथ

३३—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब होमियोपैथिक डाक्टर रजिस्टर्ड होते हैं तो क्या उनको उस समय एलोपैथिक, हकीमी इत्यादि अन्य चिकित्सा की प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दी जाती है ? यदि नहीं, तो सरकार ने एक ही व्यक्ति द्वारा दोनों प्रकार की चिकित्सा करने की रोक-थाम के लिये जिला फर्रुखाबाद में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं ।

जहां तक होम्योपैथी के अतिरिक्त अन्य पद्धतियों में प्रैक्टिस करने की रोक-थाम का प्रश्न है इस विषय में जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन तथा जिलाधीश स्वयं ही आवश्यक देख भाल किया करते हैं और जब कोई शिकायत इस आशय की प्राप्त होती है तो होम्योपैथिक परिषद् जिलाधीश से जांच कराने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करता है । यदि जिला फर्रुखाबाद के व्यक्ति विशेष का विवरण प्राप्त हो जाये तो उत्तर देना सुविधाजनक होगा ।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, मैनपुरी

३४—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जो (आई० टी० आई०) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र है उसमें जिन विभागों में अध्यापक नहीं हैं वे कब तक पहुंच जायेंगे ?

श्री बनारसीदास--

१४ प्रशिक्षकों में से १० की नियुक्ति हो चुकी है और शेष की नियुक्ति शीघ्र ही हो जायेगी ।

दीन हितकारिणी सभा, झांसी को अनुदान

३५--श्री नेकराम शर्मा--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दीन हितकारिणी नामक सभा के अन्तर्गत झांसी के अनाथालय को गत पांच वर्षों से किन-किन वर्ष में कितनी कितनी ग्रान्ट दी गयी ? यदि इस बीच में नहीं दी गयी, तो किस किस वर्ष में और क्यों ? क्या इसके हिसाब में गोलमाल, बदइन्तजामी व बैन्क या डाकखाने में रुपया जमा न किये जाने के संबंध में स्थानीय वेलफेयर इन्स्पेक्टर के अलावा अन्य लोगों ने भी क्या उसको शिकायतें भेजी हैं ?

डाक्टर सीताराम--

दीन हितकारिणी सभा, झांसी को गत पांच वर्षों में निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत हुआ था--

वर्ष	रु०
१९५८-५९	४,०००
१९५९-६०	२,०००
१९६०-६१	२,०००
१९६१-६२	..
१९६२-६३	२,०००

१९६१-६२में संबंधित प्राविधान में धनाभाव के कारण कोई अनुदान नहीं दिया जा सका । संस्था की बदइन्तजामी आदि के संबंध में शासन को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

सहारनपुर, जिला अस्पताल में कुप्रबन्ध

३६--श्री ब्रह्मदत्त माथर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिला अस्पताल में १५ अगस्त, १९६३ के बाद पागल कुत्तों के काटने के कितने केस आये और अस्पताल में दवाई न होने के कारण उन लोगों को जो मुसीबत उठानी पड़ी उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना एकत्र की जा रही है।

३७--श्री ब्रह्मदत्त माथर--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सहारनपुर जिला अस्पताल के हेड क्लार्क कब से वहां नियुक्त हैं और उनके विरुद्ध सरकार को पिछले दो साल में कितनी शिकायतें रिश्वत तथा भ्रष्टाचार की मिली हैं ? यदि हां, तो उन पर सरकार ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

छिबरामऊ विकास क्षेत्र में पंचायत मंत्री

३८—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि छिबरामऊ विकास क्षेत्र (जिला फर्रुखाबाद) के कुछ पंचायत मंत्री अन्य विकास क्षेत्रों में दूर पड़े हैं और कुछ सदैव अपने गांव के समीप हैं ?

श्री राममूर्ति—

जी हां ।

३९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

अगर हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राममूर्ति—

सब पंचायत मंत्रियों को अपने निवास स्थान के समीप ही रखना अक्सर प्रशासनात्मक दृष्टिकोण से संभव नहीं होता है । कभी कभी उनकी नियुक्ति ही बाहर के क्षेत्र में होती है ।

४०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ विकास क्षेत्र के कौन-कौन पंचायत मंत्री दूसरे क्षेत्र में कार्य करते हैं और कितनी कितनी दूरी व कितने साल से हैं और कौन-कौन पंचायत मंत्री स व से ही अपने विकास क्षेत्र में ही हैं ?

श्री राममूर्ति—

छिबरामऊ विकास क्षेत्र के निवासी ७ पंचायत मंत्री इस क्षेत्र से बाहर दूसरे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं । उनके नाम, निवास स्थान से दूरी तथा नियुक्ति की अवधि का विवरण निम्नलिखित है :

नाम पंचायत मंत्री	घर से दूरी (मीलों में)	वर्तमान स्थान पर नियुक्ति की तिथि
१—श्री बालक राम ..	११ ..	मई, १९६०
२—श्री दिग्विजय सिंह ..	४५ ..	अगस्त, १९६२
३—श्री गंगा नारायण ..	२० ..	अक्तूबर, १९६०
४—श्री हरमान सिंह ..	२१ ..	जनवरी, १९५६
५—श्री जागेश्वर दयाल ..	१४ ..	मार्च, १९५८
६—श्री सौवरन लाल ..	४० ..	नवम्बर, १९६१
७—श्री उदय चन्द्र ..	२८ ..	मई, १९६०

कोई पंचायत मंत्री शुरू से अब तक अपने विकास क्षेत्र में नियुक्त नहीं है ।

भोगांव तहसील में फरेंजी नाले की जमीन का मुआवजा

४१—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज, तहसील भोगांव, जिला मैनपुरी, ग्राम समाज के तालाब से जो नाला फरेंजी होकर आगे के लिये जाता है उसमें कुछ जमीन ऐसी है जिसका काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिला है ? क्या सरकार जल्दी ही दिलवाने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री राममूर्ति--

इस नाले की भूमि के मुआवजे की मद में १,५४१ रु० बांटा जा चुका है। १३४·४० रु० की धनराशि शेष रह गई है क्योंकि एक काश्तकार का देहान्त हो चुका है जो कि लावारिस था और एक काश्तकार लापता है।

४२--श्री रामसिंह--

क्या सरकार उपरोक्त नाले को, जिसकी लम्बाई ९ फर्लांग है इसे स्वयं खुदवाने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति--

जी हां। भूमि रिक्वीजीशन कार्यवाही जारी है। भूमि प्राप्त होते ही नाला श्रमदान द्वारा खुदवा दिया जायेगा।

टी० बी० चिकित्सा केन्द्रों में कम्पाउण्डर्स

४३--श्री बलवानसिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टी० बी० चिकित्सा केन्द्रों में कितने कम्पाउण्डर्स हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मांगी गई सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १२४-१२६ पर)

प्रश्नों के उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

श्रीमन् प्रश्न संख्या ५० और ५१, १० सितम्बर, १९६२ को सरकार के भेजे गये थे। १ महीना २० दिन के बाद कहा जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है जब कि यह सूचना एक जगह से ही लेनी थी। देवरिया औद्योगिक स्कूल में सूचना मिल सकती थी। लेकिन इतने दिनों बाद कह रहे हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है जैसे कहीं सूचना टटोली जा रही हो।

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)--

श्रीमन्, ३९ नम्बर का प्रश्न करीब दो बार कार्यवाही में शामिल हो चुका है। मामला महत्वपूर्ण है, बी० डी० ओ० पर गबन का आरोप था .....

श्री अध्यक्ष--

क्या शिकायत है ?

श्री बनवारीलाल विप्र--

पहले जो सरकार ने स्वीकार किया था इसी संदर्भ में तो प्रश्न तीन थे। उसके बाद एक रह गया। इसके अलावा न कोई मुझे उत्तर मिला है। मेरी जानकारी है कि यह बी० डी० ओ० सचिवालय में आये और भाषा में भी परिवतन कराया है क्योंकि स्पष्ट आरोप उन पर था। अब यहां पर आरोप आ गया है शमशाबाद ब्लाक पर। मैंने अपने प्रश्न में कभी नहीं लिखा था १,५२० रुपये, फिर ब्रकट में (पन्द्रह सौ बीस रुपया) या एक हजार पांच सौ बीस रुपये ह .....

श्री अध्यक्ष—

तो उत्तर आपको मिल गया है ?

श्री बनवारीलाल विप्र—

अभी तक उत्तर नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या ३९ का उत्तर लिखा है १५ जून, १९६३ को शमशाबाद .....

श्री बनवारीलाल विप्र—

उत्तर मुझे नहीं मिला । केवल प्रश्न के बारे में जानकारी हुई है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, मेरे भी अतारांकित प्रश्न संख्या ३६ और ३७, ३ सितम्बर, १९६३ को दिये गये थे .....

श्री अध्यक्ष—

कल मैंने माननीय पांडेय जी की आपत्ति पर इस बात का आदेश जारी कर दिया है कि सरकार से जो भी उत्तर हमारे पास साढ़े पांच बजे तक आ जायं वे उसी दिन बंट जायें और रात के १० बजे तक बंट जायेंगे । इसमें एक कठिनाई जो मुझे बतलायी गई वह यह है कि कुछ माननीय सदस्य अपने घर पर नहीं रहते हैं । तो उसके लिये मैं यह सोच रहा था कि हम उनके उत्तर नोटिस आफिस में दे दें और सदस्य वहां से ले सकते हैं या फिर विभिन्न दलों के नेता मुझसे मिल लें ताकि यह व्यवस्था पूरी हो जाय । कल के आदेशानुसार जो रिपोर्ट मुझे मिली है वह यह है कि २५ प्रश्न छोड़ कर इधर जितने भी प्रश्न थे उनके उत्तर हमें सरकार से शाम को ७ बजे तक मिल गये थे और उनको रात को ही वितरित कर दिया गया है । जो वितरित नहीं हो सके हैं वह हैं—श्री नरेन्द्र सिंह, श्री विजय सिंह, श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री मुन्नूसिंह और श्री सुखलाल के । श्री शुक्ला जी तो आज नहीं हैं और न श्री मुन्नूसिंह और न श्री कल्याणचन्द मोहिले ही हैं । श्री विजय सिंह हैं और श्री नरेन्द्र सिंह जी को उत्तर वितरित नहीं हुए हैं और सब को मिल गये हैं ।

श्री बनवारीलाल विप्र—

मुझे उत्तर नहीं मिले हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप कह रहे हैं तो आज मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

आप बैठ तो जायं । मेरी बात तो सुन लें ।

श्री बनवारीलाल विप्र—

मुझे सिर्फ आप आश्वासन दे दें । जब कभी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होता है तभी मैं बोलता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन कर दूं कि जब मैं आपकी हर तरह से सहायता करने के लिये तैयार हूं और अपना कर्तव्य समझता हूं, तो आप कृपा करके मुझसे कमरे में मिल लें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मैं यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि आपके कार्यालय में भी सरकारी सचिवालय से एक दिन पूर्व उत्तर प्राप्त नहीं होते। वे विलम्ब करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार इस सम्बन्ध में आपके नियम बने हुये हैं कि सरकार के कार्यालय से ये उत्तर एक दिन पहले आपके कार्यालय में आने चाहिये परन्तु आपके कार्यालय से उत्तर समय पर नहीं मिलते तो इसकी क्या व्यवस्था हुई है ?

श्री अध्यक्ष--

जरा आप बैठ जायें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

यदि आप व्यवस्था दे रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष--

हां, आप बैठ जाइये। जो प्रश्न पांडेय जी ने कहा और जो तरीका मैं अख्तियार कर रहा हूं उस तरीके से यह होगा कि मुझे समय मिल सकेगा कि मैं सरकार से यह पूछ सकूंगा कि आपने उत्तर ठीक समय से नहीं दिया। मैं सरकार से कह सकूंगा और इसकी चेतावनी भी दे सकूंगा कि वे जरा इसका ध्यान रखें।

(एक सदस्य के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

आपका समाधान हो जायगा यदि आप आफिस में आ जायं।

(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल विप्र--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे ऊपर कमेन्टरी न की जाय।

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बनवारीलाल विप्र--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यदि सचिवालय का कर्मचारी माननीय सदस्य द्वारा दिये गये प्रश्न में परिवर्तन कर दे तो ऐसी दशा में आप उस पर क्या व्यवस्था देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न को फिर से कीजिये।

श्री बनवारीलाल विप्र--

प्रश्न यह है कि मेरे मूल प्रश्न की भाषा में परिवर्तन हुआ है। क्या माननीय सदस्य द्वारा दिये गये प्रश्न में कोई कर्मचारी परिवर्तन कर सकता है, या नहीं कर सकता है ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

यदि आप देखें तो मालूम होगा कि रूल्स में स्पीकर को अधिकार है कि वह किसी प्रश्न की शब्दावली में परिवर्तन कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

श्रीमन् .....

श्री अध्यक्ष--

आप मुझ से मिल सकते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

प्रश्न ४४ व ४५ के सम्बन्ध में मुझे कुछ पूछना है ।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे कार्यालय में पूछ सकते हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

प्रश्न ४४ व ४५ के सम्बन्ध में लिखा हुआ है कि उत्तर दिये जा चुके हैं और ये उत्तर बिलकुल नहीं मिले हैं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (गांव सभाओं के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण) नियमावली, १९६३†

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

अध्यक्ष महोदय ....

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

हमारे विषय में अभी आपने कुछ कहा था .....

श्री अध्यक्ष--

इसके बाद में आप कहियेगा ।

श्री बंशीधर पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४१३८-ए/३३-८१-आर-६२, दिनांक, १९ अगस्त, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (गांव सभाओं के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण) नियमावली, १९६३ को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

विधान सभा

श्री श्यामलाल—

अध्यक्ष जी, अभी जब मैं ५ मिनट के लिये बाहर चला गया था तब माननीय बलवान सिंह जी ने .....

श्री अध्यक्ष—

श्री श्याम लाल जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे दिल में आपके प्रति कोई शिकायत नहीं है। यह दूसरी बात है कि मौके पर मैं आपको न बुला सकूं और किसी दूसरे को बुला लूं, लेकिन यह नहीं है कि आपका मौका प्रश्न पूछने के लिये देने से वंचित करना चाहता हूं। आप यह विश्वास कर लीजिये।

अब आप बैठ जाइये। अब सचिव, विधान सभा घोषणायें करेंगे।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २० सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १८ अक्तूबर, १९६३ की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति, दिनांक २२ अक्तूबर, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६३ का उत्तर प्रदेश का २१ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १८ सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २२ अक्तूबर, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६३ का उत्तर प्रदेश का २२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २३ सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २१ अक्तूबर, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक, २३ अक्तूबर, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६३ का उत्तर प्रदेश का २४वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा---

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २६ सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २२ अक्तूबर, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २३ अक्तूबर, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६३ का उत्तर प्रदेश का २४वां अधिनियम बन गया।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन सवालों के जवाब में यह कहा जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो क्या यह काफी हो गया कि सूचना एकत्रित हो जायगी या वह माननीय सदस्यों के पास भेजी भी जायगी ? यदि नहीं भेजी गयी तो सूचना एकत्रित करने से क्या फायदा ?

श्री अध्यक्ष---

आप नियम पढ़ लें। जिनका उत्तर नहीं दिया जाता है १५ दिन के बाद वे सवाल खुद आ जाते हैं और सरकार को उनका जवाब देना पड़ता है। मैंने यह भी व्यवस्था कर दी है कि एक मर्तबा मैंने सवाल को मुल्तवी कर दिया था लेकिन दोबारा दरख्वास्त करने पर उनको मेरी स्वीकृति लेनी होगी वरना उनको जवाब देना पड़ेगा। यह कायदा है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

जिला परिषद् के चुनाव के सम्बन्ध में.....

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न आप नहीं उठायेंगे। प्रश्न जो एजेन्डे पर हों उन्हीं पर आप प्रश्न उठा सकते हैं जो कि सदन की कार्यवाही से उस दिन सम्बन्धित होते हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

यह ऐसा विषय है .....

श्री अध्यक्ष---

विषय हो, लेकिन उस विषय पर आप इस समय बातचीत नियमों के अन्तर्गत नहीं कर सकते।

१९६०-६१ के विनियोग लेखे (एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स) और १९६२ की लेखा परीक्षा (आडिट रिपोर्ट) पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन†

*श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को पेश करता हूं जिसका सम्बन्ध एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स १९६०-६१ और आडिट रिपोर्ट १९६२, से है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

[श्री जेड० ए० अहमद]

इस रिपोर्ट की हिन्दी कापीज तैयार हो रही हैं और अंग्रेजी की कापीज तैयार हो गई हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी विधान सभा सेक्रेटरियेट की तरफ से ये कापीज मेम्बरान के सामने पेश कर दी जायंगी।

इस रिपोर्ट को पेश करते हुये मैं आपकी इजाजत से दो, तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि हमने रिपोर्ट के स्ट्रक्चर को बदल दिया है। पिछली रिपोर्ट का ढांचा यह था कि हर विभाग को अलग-अलग लिया जाता था और उन विभागों के सम्बन्ध में जो इर्रेगुलेरिटीज या गलत कार्यवाहियां होती थीं उनका ही जिक्र किया जाता था। लेकिन इस बार कमेटी ने यह महसूस किया इस ढांचे से बहुत ज्यादा रिपीटीशन होता है और जो मुख्य-मुख्य इर्रेगुलेरिटीज हैं वे नुमायां तौर पर सामने नहीं आतीं और टुकड़े-टुकड़े हो कर, एक-एक विभाग के अन्दर आती हैं और पढ़ने वाला मोटे तौर पर पता नहीं लगा पाता क्या इर्रेगुलेरिटी हुई। इसलिये हमने ऐसा किया है कि इस बार एक-एक इर्रेगुलेरिटी को एक-एक चैप्टर में दे दिया है जैसे एक्सेसेज, सेविंग्स, पर्सनल लेजर एकाउंट और बहुत से अन्य चैप्टर हैं। १०,११ चैप्टर हैं। इनमें आप देखेंगे कि एक चैप्टर एक इर्रेगुलेरिटी को डील करता है और फिर अलग-अलग विभाग के उदाहरण दिये गये हैं। अन्त में जनरलाइजेशन करके आम सुझाव उसी पूरी इर्रेगुलेरिटी के बारे में दिया है जो हर विभाग पर लागू होता है।

समिति की राय है कि इस तरीके से पढ़ने वाले के लिये भी आसानी पैदा होती है, अफसरान के लिये और गवर्नमेंट के लिये भी आसानी पैदा होती है। इर्रेगुलेरिटीज का वजन मालूम होता है कि यह इर्रेगुलेरिटी कितने बड़े पैमाने पर है, इससे उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है और सुधारा जा सकता है; वरना हर डिपार्टमेंट छोटी-छोटी बातों में ही उलझा रहता है।

दूसरी बात यह है कि कुछ कठिनाइयां हमने महसूस कीं अपने काम में, और सबसे बड़ी जो कठिनाई हमारे सामने पैदा हुई वह अफसरान या जो अधिकारी हैं हमारी सरकार के सेक्रेटरियेट के उनकी अनप्रिपेयर्डनेस। वे तैयार हो कर नहीं आते। हम सवाल पूछते हैं, वे कहते हैं कि ये आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, मौका दीजिये। पन्द्रह दिन बाद जब फिर कोई सवाल पैदा हुआ तो वे कहते हैं कि मौका दीजिये। इस तरह से महीनों गुजर जाते हैं और चीज पकड़ में नहीं आती है। कमेटी की मजबूती से राय है कि इन अधिकारियों को पूरे तौर पर तैयार होकर आना चाहिये समिति के सामने वरना एक तरह से मूड भी खराब हो जाता है कमेटी का और एक झगड़े का वातावरण वहां पैदा हो जाता है कि क्यों तैयार हो कर नहीं आये। वे कहते हैं कि हम इस सवाल को ऐंटीसिपेट नहीं करते थे।

तीसरी बात यह है कि उनको लिखा जाता है कि आप फलां डेट तक जवाब दीजिये लेकिन २०-२०, ३०-३० रिमाइन्डर दिये जाते हैं और अधिकारी और सेक्रेटरीज उसका संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं देते। ढीले-ढाले तरीके से इस समिति की अहमियत को न महसूस करते हुये काम होता है जिसके ऊपर समिति को जबर्दस्त आपत्ति है।

इस सिलसिले में समिति की तरफ से एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि बहुत-सी कठिनाइयां इस कारण से पैदा होती हैं कि हमारे फाइनेंशियल रूल्स बहुत पुराने हो गये हैं। वे उसी जमाने के हैं जब कि हिन्दुस्तान आजाद नहीं था, लेजिस्लेचर सुप्रीम नहीं था, एग्जीक्यूटिव को बहुत से अधिकार थे और प्लानिंग का जमाना नहीं था। आज हमारा कारोबार इतना बढ़ गया है, रुपया इतने बड़े पैमाने पर खर्च हो रहा है, बहुत-सी चीजों में इनीशियेटिव लेने की जरूरत होती है, वह रुक जाता है। इसलिये समिति की राय है कि जो हमारे फाइनेंशियल रूल्स हैं उन पर भी गौर करना चाहिये इस बात को देखते हुये कि आज परिस्थितियां वह नहीं हैं जो १९४७ से पहले थीं खासतौर पर चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर हमारा खर्चा होता है।

आखिर में मैं एक, दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं। लोक लेखा समिति, आप जानते हैं कि, काफी महत्वपूर्ण समिति है। दुनिया की दूसरी पार्लियामेन्टों में इसका बड़ा स्थान

है और सरकार भी इस बात से सहमत है कि इस समिति की सिफारिशों को बड़ी गम्भीरता के साथ लेना चाहिये और जहां तक मुमकिन हो उन पर अमल करना चाहिये। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोक लेखा समिति मेहनत कर के सिफारिशें करती है और वे सिफारिशें अपनी जगह पर कागज में ही रह जाती हैं। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि मेरे आने से पहले पिछली समिति के समय में पांच वर्क आडिट हुये, माताटीला डैम, इरीगेशन वर्कशाप्स, सेन्ट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़, कांस इरैडिकैशन स्कीम और स्पेशल रिपोर्ट आन परचेज आफ टग्स के बारे में और काफी ठोस सुझाव रखे गये, लेकिन किसी सुझाव पर अभी तक गवर्नमेंट ने गौर तक नहीं किया और वे सुझाव वैसे के वैसे कागज में पड़े हुये हैं। इसी सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत सी चीजें आम तौर पर आती हैं। लोक लेखा समिति ने पिछले साल यह कहा, तीन साल पहले वही बात कही और ६ साल पहले भी वही बात कही और इस साल भी वही बात कह रही है। अफसरान से पूछते हैं कि कोई परिवर्तन हुआ या नहीं, उन्होंने कहा कि हमने नोट कर लिया है। लोक लेखा समिति आये और जाये लेकिन कार्यवाही अपने ही तरीके से चलती रहेगी। उसका जरा भी असर कार्यवाही के ऊपर नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, लोक लेखा समिति के चेयरमैन की हैसियत से मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि जब इस समिति की रिपोर्ट आ जाय तो मौका दिया जाय मेम्बरान को कि इस रिपोर्ट पर कुछ न कुछ बहस हो हाउस में। पूरे एक साल की मेहनत जाया जाती है और कभी कभी तो पस्त हिम्मती पैदा होती है कि आखिर हम लोग लिखते हैं और हाउस में मौका भी नहीं मिलता है कि इस पर बहस की जाय। इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी बहस के लिये एक आध दिन मुकर्रर हो जाय और दोनों तरफ से सामूहिक तौर पर गौर किया जाय कि गवर्नमेंट के काम को कैसे सुधारा जा सकता है, एकाउन्ट कैसे अच्छी तरह से रखे जा सकते हैं और फिजूलखर्जी कैसे रोकी जा सकती है। इस पर राय ली जाय और गवर्नमेंट उस पर कार्यवाही करे। तब जाकर विभाग सीरियसली इस रिपोर्ट को लेंगे और उसकी सिफारिशों पर कार्यवाही करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की तरफ से और विरोधी दल की तरफ से संजीदगी के साथ ध्यान दिया जायगा और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार पूरे तौर से कोशिश करेगी कि इसकी सिफारिशों पर अमल किया जाय।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जो बातें उन्होंने कहीं उनको मैंने बड़े गौर से सुना और जो बातें उन्होंने कही हैं उनको मैं सही समझती हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि जो कुछ पी० ए० सी० की रिपोर्ट में आयेगा उस पर अमल किया जाय। इस कमेटी के रखने का मतलब यही है कि जो काम गवर्नमेंट का ठीक नहीं हो रहा है उसके लिये वह बताये कि किस तरह से उसका सुधार किया जाय। मैं उनको अलग से बुलाकर बात करूंगी और इस तरह से उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक शब्द कह दूं। जब मैंने इस समिति का उद्घाटन किया था तो डाक्टर साहब को स्मरण होगा कि मैंने कहा था कि इन समितियों की रिपोर्ट को कार्यान्वित कराने के लिये हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो यह कि माननीय सदस्य इस रिपोर्ट को पढ़ें और उसके ऊपर प्रश्न करते रहें। जहां तक अध्ययन के पश्चात् मुझे मालूम हुआ है कि वह यह है कि इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव कि वह स्वीकार की जाय या अस्वीकार की जाय, इस तरह से इस रिपोर्ट पर बहस नहीं हो सकती है। अगर इस तरह से चर्चा होगी तो मेजोरिटी पार्टी इसको रिजेक्ट कर देगी। लेकिन मुख्य मन्त्री ने डाक्टर साहब को आमन्त्रित किया है तो बैठकर निश्चय हो जाय कि २-३ घंटे जैसा भी तय हो इस रिपोर्ट को सदन में चर्चा के लिये रखें। मुझे आशा है कि इस बात का आप ध्यान रखेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समिति की रपटें अधिकतर अंग्रेजी में आती हैं इसलिये आप कृपया इसकी व्यवस्था करें कि वे हिन्दी में छपें।

श्री अध्यक्ष—

डाक्टर साहब ने यह कहा है कि अंग्रेजी की यह रिपोर्ट है। हिन्दी में तैयार हो गई है, लेकिन छप नहीं पाई।

श्री चन्द्रबलीसिंह —

अंग्रेजी वाली का छपने का क्या कारण है ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह क्यों नहीं कहा कि हिन्दी में यह है और अंग्रेजी की बाद में छपेगी।

श्री अध्यक्ष—

इसलिये उन्होंने कहा कि अंग्रेजी की छप गई है और हिन्दी की छप रही है।

श्री उग्रसेन —

श्रीमन्, सदन की भाषा हिन्दी है इसलिये हिन्दी में होनी चाहिये।

कतिपय विषयों की सम्बन्ध में जानकारी

श्री मुलतानसिंह (जिला आगरा) —

अध्यक्ष महोदय, मैंने ५ प्रश्न किये थे। उनको यह कह कर लौटा दिया कि तीन से अधिक हैं इसलिये नहीं लिये जा सकते हैं। तीन रख लेते और दो लौटा देते।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, मैं देख लूंगा।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून) —

मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। "माननीय मुख्य मन्त्रिणी" का शब्द शायद हिन्दी भाषा के अनुसार भी बहुत सही न हो, हालांकि मुझे अधिकार नहीं है आपको क्रिटिसाइज करने का। "माननीय मुख्य मन्त्री" काफी है, उससे काम चल जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

"मन्त्री" शब्द जिसे आप कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा के अनुसार "मन्त्री" ठीक हो सकता है। मगर अपनी भाषा के अनुसार "मन्त्रिणी" शुद्ध है। "मन्त्राणी" अशुद्ध है। स्त्री मन्त्री के लिये मन्त्री शब्द का प्रयोग अशुद्ध है।

श्री अध्यक्ष—

पण्डित जी से पूछ लें।

वित्त मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) —

श्रीमन्, इसमें आपकी व्यवस्था हो जानी चाहिये। मेरी समझ में न "मन्त्राणी" शुद्ध है न "मन्त्रिणी" शुद्ध है। "मन्त्रिणी" उसके लिये कहिये जो किसी मन्त्री की बीबी हो। मेरा विचार ऐसा है कि इसको "मुख्य मन्त्री" ही रहने दें और वह इसलिये कि कोई महिला यदि राष्ट्रपति हो जाय तो वह राष्ट्रपत्नी नहीं कहायेगी, अथवा कोई महिला जज हो जाय तो वह

जजनी नहीं कहलायेगी। यह पद जो होते हैं, उसमें कोई लिंग नहीं होता। यह नपुंसक होते हैं। तो आपकी व्यवस्था हो जाय कि "मुख्य मन्त्री" मुख्य मन्त्री है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। यह तय हो गया। पन्डित जी को तो मैंने पंच मान लिया था।

संविधान के १५वें संशोधन पर अनुसमर्थनार्थ सदन में नियम १८३ के अन्तर्गत संकल्प पर चर्चा न होने तथा इस सम्बन्ध में कथित गलत सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय

श्री अध्यक्ष--

अब एक विशेषाधिकार का प्रश्न है जो माननीय भगवान सहाय ने दिया है। इसकी मैंने अनुमति नहीं दी है, लेकिन यह जानना चाहता हूं कि अनुमति दी जाय या न दी जाय। मैं माननीय भगवान सहाय को सुनना चाहता था और माननीय महावीर प्रसाद श्रीवास्तव को। उसको पढ़ कर मैं सुना दूं --

"२५ सितम्बर, को मैंने सदन में यह प्रश्न उठाया था कि संविधान के १५वें संशोधन विधेयक को न रख कर १६वें संशोधन विधेयक को क्यों रखा जा रहा है जब कि कार्यक्रम में १५वें संशोधन विधेयक को भी लेने का उल्लेख है। मेरी आपत्ति पर तत्कालीन मन्त्री श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने, जो कदाचित् संसदीय विषयक मन्त्री की अनुपस्थिति पर उनकी ओर से बोल रहे थे, यह कहा कि "१५वें अमेंडमेंट के बारे में केन्द्रीय सरकार से नहीं आया लेकिन मैं उस निगाह से देखता हूं कि आया उसमें आवश्यकता है या नहीं। अगर केन्द्रीय सरकार से आता तो जरूर मैं उसे पेश कर देता, लेकिन मैं जब देख रहा हूं और जरूरत होगी तो सदन के सामने उसको भी लाया जायगा।"

उपरोक्त आश्वासन से यह स्पष्ट है कि सदन के सदस्यों ने यह समझा कि १५वें संशोधन विधेयक को भी सदन के सामने रखा जायगा। किन्तु अब पता चला है कि १५वें संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो गयी है और इस कारण इसको अब सदन के सामने रखना निरर्थक है। जहां तक मेरी जानकारी है हम कह सकते हैं कि १५वां संशोधन विधेयक भी सरकार के पास ६ मई को आ गया था और प्रदेशीय सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद ३६८ के अन्तर्गत विधान मन्डल का अनुसमर्थन प्राप्त करके उनको सूचित किया जाय। जो सूचना माननीय मन्त्री जी ने सदन को दी थी वह गलत थी क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है यह विषय मन्त्रिमन्डल के समक्ष २--३ बार रखा गया किन्तु मन्त्रिमन्डल कोई निश्चय नहीं कर सका कि उसे सदन के सम्मुख कब रखा जाय। सदन के सम्मुख इस विधेयक को न रखकर इस सदन के उन अधिकारों की अवहेलना हुई है जो संविधान के अनुच्छेद ३६८ के अन्तर्गत उसे प्राप्त है। यह सदन की ही नहीं संविधान की भी अवहेलना हुई है। साथ ही साथ इस सदन के अधिकारों पर कुठाराघात है। अब भी कोई सन्देश किसी भी स्थान से विधान सभा के लिये प्राप्त हो तो उसे रोकने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ऐसे संदेश जो विधान सभा के अनुसमर्थन के लिये प्राप्त होते हैं उनको अविलम्ब सदन के सम्मुख रखना उस व्यक्ति का कर्त्तव्य हो जाता है जिसको ऐसा संदेश प्राप्त हो। ऐसा न करके विधेयक को सदन के सामने उस समय तक न रखना जबकि उस पर माननीय राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल जाय इस सदन का घोर अपमान है और मैं माननीय महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, भूतपूर्व मन्त्री, तथा माननीय बनारसी दास, संसदीय विषयक मन्त्री, जिनका यह कर्त्तव्य था कि सदन का कार्यक्रम बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो संदेश इस सदन के लिये बाहर से प्राप्त हों उनको सदन के सम्मुख

[श्री अध्यक्ष]

रखें, के विरुद्ध इस सदन के अवमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आशा है कि आप अनुमति देंगे।"

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर) --

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है.....

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव (जिला लखनऊ) --

एक बात अगर आप इजाजत दें तो मैं कह दूं। वह यह कि जहां तक फैक्ट्स का ताल्लुक है, वाकये का सवाल है, वह बयान तो सही नहीं है। उसके लिये मुझको शोक है। यह मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि न तो वह जानबूझकर दिया गया था और न किसी बदनीयती से दिया गया था और न उससे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई। जो दूसरा प्वाइंट है उसके ऊपर माननीय भगवान सहाय जी कहना चाहें तो कह सकते हैं। लेकिन जहां तक फैक्ट्स का सम्बन्ध है वह बयान गलत है और उसके लिये मुझको शोक है।

श्री अध्यक्ष--

तो उस समय माननीय बनारसी दास जी, मन्त्री, नहीं थे और माननीय महावीर प्रसाद जी ने कह दिया कि हमें इस बात का शोक है, तो अब यह खत्म होता है ..... (शोर)।

श्री भगवानसहाय--

आप मुझे थोड़ा मौका दें अपनी बात कहने का। यह इतना गम्भीर विषय है कि जिसके ऊपर केवल शोक प्रकट करना काफी नहीं है। मैं समझता हूं कि जब से यह सदन स्थापित हुआ है तब से आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि जो इतनी गम्भीर हो और जिससे सदन के हकूक को इतनी हकतलफी हुई हो, जितनी कि इस कार्यवाही से हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन की धारा ३६८ के अधीन हमको यह हक है कि कोई भी अमेंडमेंट जो कि आर्टिकल ५४, ५५, ७३, १६२ और २४१.....

श्री अध्यक्ष--

यह चीज तो कन्टेस्टेड नहीं है। इसे तो वह कन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं। फैक्ट तो वह मान रहे हैं।

श्री भगवानसहाय --

वह तो यह कह रहे हैं कि गलत बयानी हो गई और गलतबयानी की माफी मांग रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि.....

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून) --

हम यह भी कन्टेस्ट कर रहे हैं। जो वह कह रहे हैं कि इतने बड़े अधिकार की अवहेलना हुई है कि हम उससे वंचित रह गये हैं वह कोई कांस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेन्ट नहीं है.....

श्री भगवानसहाय--

मसला बड़ा गम्भीर है और यह आपको तय करना है कि यह सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है या नहीं। आर्टिकल ३६८ में यह दिया हुआ है--

"368. An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

of that House and by a majority of not less than two thirds of the members of that House present and voting, it shall be presented to the President for his assent and upon such assent being given to the Bill, the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill :

Provided that if such amendment seeks to make any change in—

(*a*) article 54, article 55, article 73, article 162 or article 241, or

(*b*) Chapter IV of Part V, Chapter V of Part VI , or Chapter I of Part XI, or

(*c*) any of the Lists in the seventh Schedule, or

(*d*) the representation of States in Parliament, or

(*e*) the provisions of this article,

the amendment shall also require to be ractified by the Legislatures of not less than one-half of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent."

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर) —

अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। रूल ८३ में यह लिखा हुआ है कि

".....the member who raised the question or perusing any document, where the complaint is based on a document, the Speaker is satisfied that no breach of privilege has been committed or the matter is too trivial to be taken notice of in which case he may disallow the motion for breach of privilege."

मैं यह कह रहा था कि माननीय महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के खेद प्रकाशन करने के बाद और स्पष्टीकरण करने के बाद यह मामला ट्रीवियल मैटर का रह जाता है तो आपको इस रूल के अन्तर्गत यह अधिकार है कि इसको आप डिसअलाउ कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

हां, ठीक है।

श्री भगवानसहाय—

तो इसमें जो शब्द हैं उनमें यह लिखा हुआ है कि ३६८ के अनुसार स्टेट लेजिस्लेचर से हर संशोधन कांस्टीट्यूशन को पास करा लिया जाय। यह संविधान में दिया हुआ हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि यदि संविधान के किसी महत्वपूर्ण आर्टिकल के अन्दर कोई संशोधन आता है तो उसके ऊपर बहस करने का इस सदन को अधिकार है। उसके सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण रखने का अधिकार है, हमें अपना मत प्रकट करने का और उस मत को आप पार्लियामेंट को भेजें। पार्लियामेण्ट उसको प्रेसीडेंट से पास कराये। तो, अध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी बात यह है कि माननीय मन्त्री जी इस बात को मानते हैं कि उनसे गलतबयानी हुई। जहां तक उनकी गलती की बात है उसको मैं छोड़ता हूं। हमारे यहां असेम्बली का यह रूल है कि जो भी यहां पर पास होता है, चाहे उस पर बहस हो या न हो, तो उस बिल को पास होने के बाद वह पार्लियामेंट को भेजते हैं। अगर यहां से कोई बिल पास हो गया तो उसकी

[श्री भगवानसहाय]

जानकारी सरकार को होनी चाहिये क्योंकि आप अपने नियम में देखने का कष्ट करें। हमारे नियम १८३ (४) में यह दिया है कि--

"A copy of the resolution if passed by the Assembly shall be sent by the Secretary to the Government and to Parliament. In case the resolution is not passed an intimation to that effect shall be sent."

इस तरह से बिलों को हम पार्लियामेंट को भेजते हैं और पार्लियामेंट प्रेसीडेंट को भेजती है उनकी स्वीकृति के लिये। लोक सभा बिलों को स्टेट लेजिस्लेचर्स को सरकार के द्वारा भेजती है। यह हाउस को संबोधित होती है तो हाउस को संबोधित चीज सरकार अपने पास कैसे रख सकती है? आपके पास उसको सरकार ने नहीं भेजा। उस चीज को यहां पर नहीं रखा गया और यहां का मशविरा नहीं लिया गया। अगर यहां पर वह चीज रखी जाती तो उस पर बहस-मुबाहसा होता और एक कायदे में वह बिल बहस के बाद पास होता और उसके बाद उसको आप सरकार व लोक सभा के पास राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेजते।

दूसरा अहम सवाल यह है कि अगर मेज पार्लियामेंन्टरी प्रैक्टिस के कन्टेम्प्ट के चैप्टर को देखा जाय तो उसके पेज १०९ पर यह दिया हुआ है कि--

"It may be stated generally that any act of omission which obstructs or impedes either House of parliament in the performance of its functions or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty or which has a tendency directly or indirectly to produce such results may be treated as a contempt even though there is no precedent of the offence."

इसको अगर आप देखें तो इसमें साफ तौर पर यह दिया हुआ है कि अगर हमारे विधान बनाने के फंडामेंटल राइट को डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली इम्पीड किया जाय तो, या आबस्ट्रक्ट किया जाय तो यह कन्टैम्प्ट आफ दि हाउस है। इसमें इम्पीड ही नहीं किया गया बल्कि इस बिल को विदहोल्ड किया गया। यह मैटर बहुत ज्यादा खतरनाक है और उससे इस असेम्बली के हकूक पर मौलिक रूप में कुठाराघात होता है।

आज ही नहीं, बल्कि आइन्दा के लिये भी, अध्यक्ष महोदय, एक सवाल यह भी आता है कि सरकार को यह मालूम कैसे हुआ कि अमुक बिल पर आधी स्टेट लेजिस्लेचर्स ने स्वीकृति दे दी है या नहीं। ५ महीने से यह बिल सरकार के द्वारा आप के पास आया हुआ था और यह एड्रेस हाउस को होता है। तो इस बीच में यह मैटर आपके सामने क्यों नहीं पेश किया गया। सब से पहला बीच आफ प्रिविलेज तो यह हुआ कि हाउस को सम्बोधित कागजात हाउस के पास नहीं भेजे गये। दूसरे, ३६८ का जो है उसका अगर नैरो इन्टरप्रेटेशन यह दिया जाय कि आधे लेजिस्लेचर्स स्टेटों के पास कर दें तो दूसरे स्टेट्स में रखने की कोई जरूरत नहीं है. इसके माने यह होते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आन्ध्र, बंगाल, मद्रास, मध्य प्रदेश सात स्टेट्स में न रख कर बाकी आठ स्टेट्स से पास कराते हैं तो करीब १३ करोड़ जनता के नुमाइन्दे इसे पास करा सकते हैं और ३१ करोड़ जनता के नुमाइन्दों को इस पर मत प्रकट करने का अधिकार भी नहीं रहता है। यह कैसे हो सकता है कि माइनारिटी इतने अहम मसले को मेजारिटी से अलग रख कर कानून बना दे?

श्री अध्यक्ष--

आप का समय समाप्त हो गया, आप बैठें।

श्री भगवानसहाय--

एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

इस समय अनुमति देने की स्टेज है। पूरी बहस का यह समय नहीं है। आप कृपा कर बैठ जायं।

श्री भगवानसहाय--

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस मसले पर बनारसीदास जी प्रकाश डाल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप की बहस इर्रिलिवेंट है और वह इस माने में कि आप ब्रीच आफ प्रिविलेज पर पूरी बहस कर रहे हैं और इस समय इस पर अनुमति देने का सवाल है।

श्री भगवानसहाय--

मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप इसके लिये अनुमति दें। आप से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हाउस आफ कामंस में ६ स्पीकर ऐसे थे जिन्होंने पार्लियामेंट के हुकूक को कायम रखने के लिये अपनी जान दे दी। मैं आप से यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हीं ऊंची भावनाओं को नजर में रख कर व उनसे प्रभावित होकर आप अपनी रूलिंग दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें। मैं दीपनारायण जी की बात से सहमत हूं। दूसरी बात यह है कि बनारसीदास जी न उस समय मंत्री थे और न उन पर इसका कोई उत्तरदायित्व है। महावीर प्रसाद जी ने क्षमा मांग ली है और खेद प्रकट कर दिया है। अनुच्छेद ३६८ में यह नहीं लिखा है कि ख्वाहमख्वाह हर लेजिस्लेटिव असेम्बली उस पर विचार करेगी। बल्कि संशोधन के प्रभावी होने के लिये एक शर्त रखी गयी है। कांस्टीट्यूशन के संशोधन के लिये कि उसे इन्फोर्स करने के लिये, आवश्यक होगा कि कम से कम ६ स्टेट्स उसको पास करें। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार के ऊपर कोई उत्तरदायित्व है कि उसको सदन के सामने रखे ही। यह सब ऐसी बातें हैं, कि जिनको ध्यान में रखते हुए, मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री भगवानसहाय--

एक बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनको यह कैसे मालूम हुआ कि ७ स्टेट्स ने अनुमति दे दी है? मैं गलतबयानी की बात नहीं उठाना चाहता। (व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब यह कामरोको प्रस्ताव है चन्द्रबलीसिंह जी का मैं ले रहा हूं। यह वाकया १७ अक्तूबर का है और उन्होंने ३० अक्तूबर को सूचना दी है। अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न शीघ्रतिशीघ्र पेश होने चाहिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

तो इसको नियम ५२ में ही ले लिया जाय और इस पर बयान दिलवा दिया जाय।

(व्यवधान)

गंगा की धारा से उन्नाव जिले के गांवों के कटने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ में हमें उन्नाव के बारे में सूचना मिली है कि वहां गंगा में ४२ मौजे बह गये हैं और इनमें उन्होंने गत वर्ष का भी जिक्र किया है। तो मैं चाहता हूं कि कल इस पर कुछ बयान हो जाय।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

अगर इत्तिला मिल जायगी तो कल बयान दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

इसे सचिव महोदय पढ़ कर सुना देंगे।

सचिव, विधान सभा--

"अत्यन्त विनम्रता पूर्वक आपका ध्यान गंगा की धारा बदलने से उन्नाव पर आये हुए भयंकर संकट की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन है कि इस संकट ने कटरी क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के हजारों ग्रामवासियों का जीवन दुरूह बना दिया है। इस समस्या ने कानपुर नगर के औद्योगिक क्षेत्र को जो क्षति की है उससे सम्पूर्ण प्रदेश प्रभावित और प्रकंपित हो उठा है। इस संकट के निवारणार्थ जो भगीरथ प्रयत्न किये जा रहे हैं वह सर्वथा सराहनीय हैं। स्वयं आपने, माननीय राजस्व मंत्री ने और प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस संकट का निरीक्षण किया है और इस ओर सबका ध्यान भी है किन्तु इसी समस्या से सम्बन्धित उन्नाव जिले के गंगा की धारा से कटने वाले गांवों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इन गांवों की दुर्दशा का निरीक्षण कहीं-कहीं पर कानूनगो स्तर पर अवश्य हुआ है और उससे संकट निवारण में कोई भी सहयोग नहीं मिला। गांव पर गांव कटते चले जा रहे हैं किन्तु यहां के अधिकारी हतप्रभ और हतबुद्धि बैठे हुए हैं। पता नहीं, उन्होंने शासन को पूरी परिस्थिति से अवगत किया भी है या नहीं, इतना स्पष्ट है कि उन्होंने इस हृदय द्रावक समस्या को कोई महत्व नहीं दिया है। इस उपेक्षा से यहां की जनता में असन्तोष की ज्वाला धधक रही है और उनकी मूकवाणी आप तक पहुंचाना अपना कर्तव्य समझ कर यह पत्र लिख रहा हूं।

इससे पूर्व गत वर्ष विधान सभा में एक प्रश्न द्वारा मैंने शासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया था किन्तु उसका केवल चलताऊ जवाब दे दिया गया और मेरे सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके पश्चात् अनेक बार क्षेत्रीय निवासियों के पत्रों द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया गया और समाचार पत्रों ने भी समय समय पर यह चेतावनी दी कि उन्नाव जिले की कटरी के गांव गंगा की धारा से कटते जा रहे हैं। २७ सितम्बर सन् ६३ के मेरे असेम्बली प्रश्न संख्या २१-२२ के उत्तर में राजस्व मंत्री का जो लिखित उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें केवल २१ मार्च, ६३ तक की सूचना दी गयी थी जिसके अनुसार २८ गांव प्रभावित हुए बताये गये थे जब कि आज भी गांव कटते जा रहे हैं और मेरी सूचना के अनुसार लगभग ४२ गांव कट चुके हैं और उनमें रहने वाले लोगों की संख्या लगभग २०,००० है। यह अभागे ग्रामवासी अपने भाग्य के सहारे भटक रहे हैं। इनके पुनर्वास का एक गम्भीर प्रश्न है। इसे योजनाबद्ध रूप में होना आवश्यक है। केवल खानापूरी करने के लिए एक आध गांव में दो-चार लोगों की सहायता देना पर्याप्त नहीं है। मुझे सूचना मिली है कि फतेहपुर ब्लाक में हिन्दुपुर नामक गांव कटने पर वहां के निवासियों को भुलभुलिया खेड़ा में बसने के लिए नायब तहसीलदार, सफीपुर द्वारा कहा गया था, किन्तु हिन्दुपुर वासियों के वहां जाने पर उनके सामान में आग लगा दी गयी। यह घटना अव्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण है।

मेरा निश्चित मत है कि इस कटाव को रोकने का तत्काल कोई प्रबन्ध न हुआ तो १ वर्ष के अन्दर गंगा की धारा कानपुर के पुल के नीचे से हट कर २–३ मील मगरवारा की तरफ बहने लगेगी जिससे रेलवे लाइन, कानपुर–लखनऊ रोडवेज के कटने का पूरा अन्देशा है और नई धारा पर पुल बनाने में करोड़ों रुपया खर्चा होगा। इस ओर अविलम्ब ध्यान जाना चाहिए और विशेषज्ञों से इसकी जांच करानी चाहिए।

कटाव रोकने के बारे में बांध बना कर, बिठूर से कानपुर तक एक नई नहर बना कर, ठोकरें लगा कर तथा एक फर्लांग चौड़ाई से जंगल लगा कर सफलता पाई जा सकती है। जो गांव कटे हैं वहां के निवासियों के पुनर्वास हेतु मेरा निम्न भांति सुझाव है :—

१—एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाय जो पूरा समय देकर पुनर्वास का काम करे।

२—कटे हुए गांवों के निवासियों से मिल कर उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाय।

३—मकान बनाने हेतु भूमि, सामान व रुपया दिया जाय।

४—उनकी सुरक्षा के लिए स्पेशल पुलिस दल तैनात किया जाय।

५—लघु उद्योग के लिए अनुदान व ऋण दिया जाय।

६—कम से कम १ वर्ष के लिए भोजन व वस्त्र का प्रबन्ध किया जाय, उनकी लगान, तकाबी व सब प्रकार की सरकारी वसूली माफ की जाय।

७—जो भूमि कटाव से कानपुर की तरफ कटरी के रूप में पड़ गई है यह उन भाइयों को कृषि हेतु दी जाय जिनके पास कटने के पूर्व थी। उस जमीन का लगान चाहे कानपुर के अधिकारी ही लेते रहें।

आशा है कि आप मेरे निवेदन पर ध्यान देने की कृपा अवश्य करेंगी। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में—

भवदीय,

गोपीनाथ दीक्षित।"

श्री अध्यक्ष—

इस पर कृपा करके कल बयान दे दीजियेगा। ४२–४३ गांव हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हम सूचना मंगाने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

हमारा नहीं आया, आपने २९ तारीख को कहा था।

श्री अध्यक्ष—

आपने कल भेजा था, ३१ तारीख को आयेगा, बातचीत तो हुई थी आप से।

प्रदेश में विभिन्न जिलों में पुलिस सम्बन्धी घटनाओं के विषय पर चर्चा करने हेतु नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास ५३ के सम्बन्ध में कुछ सूचनाएं आयी हैं। एक कुंवर श्रीपाल सिंह की है। एक माननीय बेचनराम और हरगैनराम की, उन्होंने बहुत-सी पुलिस सम्बन्धी घटनाओं का उल्लेख

[श्री अध्यक्ष]

किया है। कल जौनपुर के सम्बन्ध में नियम ५२ का स्वीकार किया था, अब जौनपुर का इसमें जिक्र है इस वजह से बजाय ५२ के नियम ५३ ही में सब होंगे। इसी सम्बन्ध में शारदाभक्त सिंह का देहरादून के सम्बन्ध में है। कल्पनाथ जी ने गोरखपुर के बारे में दिया है। यह सूचनाएं माननीय गृह मंत्री के पास भेज दूंगा। कल साढ़े चार बजे से साढ़े छः बजे तक इस पर विवाद होगा।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

मैं आप की आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो नियम ५२ के अन्तर्गत सवाल दिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है...।

श्री अध्यक्ष--

मैं उसको मंत्री जी के पास भेज दूंगा, आप मुझसे बात कर लें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

हड़ताल के बारे में मैंने एक नियम ५२ का प्रश्न दिया था, मैं चाहूंगा वक्तव्य ही दिला दें...

श्री अध्यक्ष--

पुराने मेम्बरों के साथ रियायत नहीं होती। (हंसी)

२५ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न २ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २५ सितम्बर, १९६३ को श्री हरीनाथ तिवारी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २ के सम्बन्ध में श्री हरिनाथ तिवारी ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "वह मुकदमा जो चल रहा था कब समाप्त हुआ?" उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "१६ जून, १९५४ को।" उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार "१ मार्च, १९६० को" है। मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १२७ पर)

बजट की घाटे की रकम की नवीन करों द्वारा पूर्ति न करने के सम्बन्ध में असरकारी संकल्प*

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, गैर-सरकारी प्रस्तावों के सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का टैक्स वाला प्रस्ताव पहले भी उपस्थित हुआ था और उस समय वे वापस लेना चाहते थे मगर इस सदन में उन्हें वापस लेने की आज्ञा नहीं दी। आइटम १२ की मद २ और ३ भी निरर्थक सी हो गयी हैं...

श्री अध्यक्ष--

यह आप बाद को कह लीजियेगा, माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी बैठे हैं, वे उसे आज भी वापस ले सकते हैं।

---

* २४ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही से।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, असरकारी दिन पर सभी प्रस्तावों पर बहस हो सके यह ध्यान में रखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय ऐसा है कि जो प्रस्तावक हैं, नेता विरोधी दलों से बात करके तय कर सकते हैं। यह तो असरकारी दिवस आप ही लोगों का है। आप मालिक हैं, जिस तरह से चाहे रख सकते हैं।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, सरकारी पक्ष तो कोई विशेष राय जाहिर नहीं करना चाहता?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अगर माननीय टम्ब्रेश्वरप्रसाद जी इसको वापस लेना चाहते हैं तो हम इसकी इजाजत दे देंगे।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद—

मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था, मगर इस प्रस्ताव के बाद भी बहुत से टैक्स पास हो गये क्योंकि सरकार का बहुमत था। पिछली बार क्लोजर मूव हुआ, लेकिन वह स्वीकार नहीं हुआ। अब इस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं रह जाता, अतः मैं उसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।)

प्रदेश में वेतन आयोग की स्थायी रूप से स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अध्यक्ष—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार प्रदेश में एक वेतन आयोग की स्थापना स्थायी रूप से कर दे जो वस्तुओं के मूल्य, वेतन की दरों तथा अन्य सामाजिक विषयों को देख कर समय-समय पर अपनी रिपोर्ट देता रहे।"—वह संकल्प अब लिया जायेगा।

(इस समय १२ बजकर ३२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुए।)

*श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार प्रदेश में एक वेतन आयोग की स्थापना स्थायी रूप से कर दे जो वस्तुओं के मूल्य, वेतन की दरों तथा अन्य सामाजिक विषयों को देख कर समय-समय पर अपनी रिपोर्ट देता रहे।"

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि पिछले वर्षों में सन् ४७ से लेकर इस समय तक, जीवन की उपयोगी वस्तुओं के मूल्य इतने बढ़ चुके हैं कि वेतन आयोग की स्थापना करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। साथ ही साथ द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में यह भी अनुभव में आया कि चीजों के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और उस वृद्धि के कारण समय-समय पर वेतन क्रमों का पुनर्निर्धारण भी करना पड़ा है। लेकिन इन पुनर्निर्धारण में सरकार ने जिन बातों को ध्यान में रखा है, उनमें उन बातों को ध्यान में नहीं रखा जिनको रखना चाहिये था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

अधिष्ठाता महोदय, आज मैं इसलिये भी इस प्रस्ताव का अधिक महत्व समझता हूं कि आज की परिस्थिति में केन्द्रीय सरकार ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि जिस समय तक इमर्जेंसी है और उसके बाद भी जब तक हमारा आर्थिक विकास उत्तरोत्तर होता जा रहा है उस समय विशेष रूप से कर्मचारियों में सन्तोष रहे और सामाजिक स्थिति ऐसी बनी रहे जिससे वे अच्छी प्रकार से जीवन-यापन कर सकें। इसके लिये उन्होंने मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के लिये एक कौंसिल की स्थापना की है। ऐसी कौंसिल का सम्बन्ध निश्चित रूप से उन कर्मचारियों से होना चाहिये जिनका सम्बन्ध उत्पादन से है या देश और प्रदेश के किसी काम से भी सम्बन्ध रखते हों। उनके संरक्षण की भावना से यह कौंसिल काम करे। इसके साथ ही साथ उसको यह भी देखना चाहिये कि कर्मचारियों को जीवन-यापन के लिये आवश्यक वेतन मिलना चाहिये। इन स्थितियों में यह आवश्यक है कि एक इस तरह के वेतन आयोग की स्थापना की जाय जो परमानेंट हो, स्थायी आयोग से काम चलने वाला नहीं है।

आज सरकार का वह रूप नहीं है जब कि सरकार केवल आर्थिक गाइडेंस ही करती थी। नव-निर्माण के कार्यों में सहायता करती थी लेकिन आज तो वह युग है जब कि सरकार स्वयं औद्योगिक इकाइयों को चलाती है और जिस प्रकार के प्रश्न मिल मालिक और मजदूरों के बीच में उठते हैं उसी प्रकार के प्रश्न मजदूरों और सरकार के बीच में भी उठते हैं। इसके अलावा इस सरकार का सम्बन्ध उन तमाम वेतनभोगी कर्मचारियों से है, चाहे वह सरकारी हों या अर्द्ध-सरकारी हों या किसी उद्योग में काम करने वाले हों या कोई कहीं काम करते हों, कुछ दिन पूर्व हमने इस बात का अनुभव किया कि सब के लिये एक निम्नतम वेतन होना चाहिये और हमने उनका निर्धारण भी किया। हमारा मिनिमम वेजेज ऐक्ट बना लेकिन हमने उस समय मिनिमम वेजेज निर्धारित की अपने सरकारी कर्मचारियों की और मिल कर्मचारियों की लेकिन वे उस समय भी कम पाते थे और आज भी कम पाते हैं। ३० रुपया निर्धारित किया गया तो आज भी सरकारी कर्मचारी २२ से आरम्भ करते हैं। तो यह एक प्रकार से हमारे सदन से पारित ऐक्ट और उसके निश्चयों का विरोधाभास है जिसके लिये कि एक स्थायी आयोग का बनाना आवश्यक हो गया है।

तीसरी बात यह है कि हमारे वेतन कमीशन अपने कुछ सुझाव देते हैं। सदन में कुछ दिन पूर्व बहस हुई थी कि सम्पूर्णानन्द अवार्ड लागू हुआ लेकिन जो सुविधायें उसमें मजदूरों को मिली थीं वह उनको नहीं दी गईं। इसी तरह से यहां यू० पी० पे कमेटी सन् ४६ में बनी, हमारी सरकार ने उसकी बहुत सी बातों को माना लेकिन उसको पूरी तरह से नहीं माना, जो मूल्यों का सूचकांक समय-समय पर आता रहा उसके अनुसार महंगाई भत्ते की सिफारिश को किसी ने नहीं माना और उन सिफारिशों को मनवाने वाला भी कोई न रहा। अगर इस तरह का कोई स्थायी आयोग होगा तो वह इस चीज को देखेगा कि उस की पुरानी सिफारिशें कहां तक लागू हुई हैं और जो यह नई सिफारिशें कर रहा है उनको वह कहां तक लागू कर सकेगा? सरकार की ओर से यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि जहां तक सिफारिशों का सवाल है उन पर तो सरकार विचार किया ही करती है और वह हुआ ही करता है और उनको देखते हुये खर्च बढ़ाने की जरूरत पड़ती है और वह कहां से बढ़े? एक चीज को निश्चित करने के लिये ४–४, ६–६ कमेटियां बैठती हैं और वह अन्तिम रूप से कोई निश्चय नहीं कर पातीं। तमाम तरह के पंचनिर्णय होते हैं और झगड़े होते हैं और हमारा विकास का क्रम ऐसा है कि जो बराबर चलता ही रहता है और इसी प्रकार यह झगड़े भी चलते ही रहते हैं निरन्तर और इनका कोई अन्त नहीं होता। इन सब बातों को निर्मूल करने के लिये यह आवश्यक है कि इस एमर्जेन्सी में भी सरकारी कर्मचारियों के सन्तोष की बात हम सोचें। जो करप्ट हैं या गिरे हुये हैं या जो टेम्पटेशन के लालच में अक्सर गलत काम करते हैं वह आज उनको शोभा नहीं देता, आज की परिस्थिति में हमें इन चीजों को सीरियसली लेना चाहिये चूंकि हम आज एक संकटकालीन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और इस समय हमें इन चीजों को बरदाश्त नहीं करना चाहिये। हमने

देखा कि इस प्रकार की कार्यवाही केन्द्रीय सरकार ने नहीं की। उस केन्द्रीय सरकार ने जिस समिति का गठन किया है उसमें उन्होंने सरकार द्वारा नियुक्त अधिक से अधिक २५ सदस्य और कर्मचारियों के मान्य संघटनों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार नामजद अधिक से अधिक ६० सदस्य होंगे। मंत्रि-मंडल के सचिव, परिषद् के अध्यक्ष होंगे और कर्मचारियों के प्रतिनिधि अपना नेता स्वयं चुनेंगे। सरकारी प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के अपने-अपने सचिव होंगे।

विभागीय परिषदों में सरकार द्वारा नियुक्त ५ से १० तक और कर्मचारियों के संगठनों द्वारा नामजद २० से ३० तक सदस्य होंगे। इससे साफ जाहिर है कि केन्द्रीय सरकार की मंशा है कि इसमें सब का प्रतिनिधित्व हो। इसी प्रकार के एक स्थायी कमीशन का सुझाव मैंने आपके सम्मुख रखा है। इस आयोग के लिये जनसंघ का एक निश्चित मत है जिसके कारण यह प्रस्ताव लाया गया है, हम चाहते हैं कि एक स्थायी बोर्ड की नियुक्ति की जाय जो कि वेतन की दरों का निरीक्षण करता रहे। इस बात का विचार करते हुए कि साधारण आदमी के जीवन-यापन का जो स्तर है वह किस प्रकार का रहे और जो एक निश्चित स्तर है उसके नीचे न गिरने पावे, इसको ध्यान में रखते हुए मैं यह कह रहा हूं कि जिसमें एक परिवार को इस प्रकार के सुलभ साधन हों कि वह अपने परिवार के जीवन-यापन के लिये न्यूनतम आवश्यकताओं को दे सकें। साथ ही साथ इसी सदन में पहले एक कांग्रेस सदस्य की ओर से एक प्रस्ताव आया था जिस पर सारे विरोधी दल ने करीब-करीब सामूहिक रूप से अपना यह मत प्रकट किया था कि कम से कम १२५ रु० से नीचे वेतन दर किसी कर्मचारी की आज की स्थिति में नहीं होनी चाहिये। सन् १९३९ का जो सूचकांक है उसके मुकाबले में आज यह ५२२ प्रतिशत है, यानी जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं का मूल्य पांच गुना से अधिक बढ़ चुका है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो यू० पी० पे कमेटी बनी थी उसके सन्दर्भ में जो उत्तर उनको प्राप्त हुए हैं चूंकि वे अंग्रेजी में हैं और जल्दी में उनका ट्रांसलेशन नहीं हो सकेगा, इसलिये मैं उन्हें अक्षरशः अंग्रेजी में ही पढ़ देता हूं। जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाय। वह इस प्रकार है—

"(*a*) The pay should be such as to enable an employee and his family consisting of a minimum of four members to maintain easily the standard of living to which he is accustomed and to meet the cost of education of his children, house rent, wages of servants and other necessary items of expenditure.

(*b*) There should be freedom from want and temptation.

(*c*) The scale of pay should be such as to give continuous incentive for honest and efficient service.

(*d*) Age of entry in service should also be taken into account. If entry is to be at a higher age, then the starting pay should be higher.

(*e*) Educational and other qualifications and previous experience required for entry into a particular service should be taken into account.

(*f*) The fact whether the Government servant has to undergo any special training before recruitment to the service should be kept in view.

(*g*) The nature of the work and the responsibilities attached to the post should be given due weight.

(*h*) Future prospects in the service, i.e. whether there are propsects of promotion to higher posts or posts carrying special pay or additional pay, should be borne in mind.

The majority of associations of ministerial service have suggested Rs. 100 as the minimum pay of clerks."

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इन तमाम सुझावों के बाद और इन तमाम मांगों के बाद जिसे आज १९४७ से लगभग १६ वर्ष हो चुके हैं, इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों की

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

जो मांगें स्वीकार की हैं, उनकी ओर अगर आप ध्यान दें और एक बार भी विचार करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि वे मांगें कितनी कम स्वीकार की गयी हैं। समय-समय पर हमारे वित्त मंत्री जी ने उसकी आवश्यकता को अनुभव करते हुये अपने बजट भाषण में कभी ढाई रुपये और कभी ५ रुपये जैसी रकम की गम्भीर घोषणा कर दी और उसे इस तरह से कहा जैसा मालूम हुआ कि कोई बड़ा भारी उपकार कर रहे हैं। जो सामान्य जीवन की आवश्यकतायें हैं, उनके बारे में नेगी जी ने इसी सदन में स्वीकार किया कि वे शुगर की ब्लैक मार्केटिंग नहीं रोक सकते हैं, व तो २ रुपये सेर ही बिकेगी। और इसका कारण उन्होंने अपनी पंगत के साथियों को ही बताया, इधर के साथियों से उसका कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ कपड़े और गल्ले के मूल्य में इतनी अधिक बढ़ोतरी हुई है जिसको वे करीब-करीब घोषित कर चुके हैं कि उसे रोकने में असमर्थ हैं, इसमें वे अपने को असमर्थ पाते हैं। जब सरकार स्वयं मूल्यों पर नियंत्रण नहीं रख सकती है तो यह निश्चित है कि इसका बुरा असर कर्मचारियों पर पड़ेगा जो कहीं काम करते हैं और इसके लिये सिवा इसके कोई रास्ता नहीं है कि सरकार मूल्यों की वृद्धि के साथ-साथ उनके वेतन और महंगाई भत्ते में आनुपातिक वृद्धि करे। श्रीमन्, मेरा आपसे निवेदन यह है कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना में टैक्स मांगने का सवाल आता है तो वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमारे प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय बढ़ी है। अब जब आय बढ़ी है तो प्रत्येक वर्ग की बढ़नी चाहिये। लेकिन होता यह है कि एक विशेष वर्ग की ही आय बढ़ी है और वह है पूंजीपति। आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश को मिलने वाला आय-कर अनुपात इसलिये घट गया है कि प्रदेश में आय-कर देने वालों की तादाद घट गई है। तो जो गरीब आदमी हैं उसकी आय निश्चित रूप से नहीं बढ़ रही है इसलिये आवश्यक है कि ऐसा कदम उठाया जाय जो एक स्थायित्व निर्माण कर सके और उनको संतोष दे सके। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों में कितनी असमानता है इसको आप यहीं देख सकते हैं, पब्लिक डेट आफिस का कर्मचारी हमारे यहां के कर्मचारी से कहीं अधिक महंगाई पाता है। हां प्रान्तीय सरकार ने कुछ बड़े-बड़े अफसरों के कुछ वेतन क्रम बढ़ाये हैं लेकिन छोटे स्तर के कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला तथा इधर महंगाई भी बढ़ी है इसलिये इस आयोग की आवश्यकता है। अब इस बात का विनिश्चय मैं सदन पर छोड़ देना चाहता हूं कि इस आयोग का गठन कैसे किया जाय, किसके प्रतिनिधि इसमें कितने-कितने हों। मैं ने जो दो-तीन बातें इस सम्बन्ध में कहीं वे केवल आधार के लिये कहीं हैं जैसे कर्मचारियों की जो असोशियेशन है उसके प्रतिनिधि भी इस आयोग में रहें। लेकिन सरकार इस बात से सशंकित है कि अगर आयोग बन गया तो सरकार पर और आर्थिक बोझ आ जायगा। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि वह आयोग ऐसा नहीं करेगा कि सरकार के साधनों को ध्यान में न रखे और ऐसा सुझाव दे जिस से सरकार घाटे में आ जाय। किसी आयोग ने ऐसा नहीं किया। इसलिये वेतन आयोग के सम्बन्ध में एक समिति का निर्माण किया जाय जो इसकी डिटेल्स में जाय कि यह आयोग किस प्रकार काम करेगा, उसके सदस्यों की क्या संख्या होगी, वित्त मंत्री तथा विरोधी दलों के सदस्य भी रहें जो निश्चय करें कि जिस आयोग का निर्माण होने वाला है वह क्या कदम उठायेगा और क्या-क्या करेगा ?

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप से एक बात, इस बात को ध्यान में रखते हुये, निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के बहुत से कर्मचारी १२, १५ वर्षों से काम कर रहे हैं परन्तु अभी तक स्थायी नहीं हुये हैं। अस्थायी रूप में कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ बहुत से राजनीतिक बंगलिंग, जो शब्द अंग्रेजी का है, भी हुआ करते हैं। कर्मचारी सोचते हैं कि यदि हम अस्थायी रूप से काम करते रहेंगे तो एक प्रकार की दुधारा तो उनके ऊपर रखी ही रहेगी। जो असमर्थ मंत्री हैं वे अपने विभागों के लोगों को अच्छा वेतन नहीं दिला पाते। अभी जो सिफारिशें हुई हैं उनका फायदा बड़े आदमियों को होगा। पुलिस के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की आवश्यकता थी परन्तु क्या कारण है कि लखनऊ के किसी और कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में पुलिस के कर्मचारियों के करप्शन के सम्बन्ध में

कोई सवाल नहीं पेश करना चाहता हूं। हमारी सरकार यह समझती है कि उनके और कर्मचारियों के जीवन-यापन के लिये अधिक वेतन की आवश्यकता नहीं है तो गलत ही होगा। सन् १९४६ में जब पे कमीशन बना था उस समय २००–२५० ग्रेड्स थे और अब ४५० (साढ़े चार सौ) तक ये ग्रेड्स बढ़ गये हैं और इनके बढ़ने का एक अनिश्चित क्रम है। ४० रुपये से बढ़कर ५०० या ६०० रुपये के वेतन में इतने अधिक ग्रेड्स हो गये हैं। अभी मैं एक कमेटी से सम्बन्धित था जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी रिपोर्ट गुप्त है। उन्होंने वहां दो ग्रेड रखे एक तो २००–४५० रु० तक और दूसरा २००–३०० रुपये तक। तो जब एक आदमी वही काम करता है जो दूसरा आदमी करता है तो उसका ग्रेड २००–३०० तक क्यों रखा गया है? मेरे पूछने पर कि इसका क्या आधार है मुझे जवाब मिला कि इस आधार का जवाब आपको सरकार द्वारा ही दिया जा सकता है। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर इन ग्रेडों को एक कर दिया जाय तो नतीजा यह होगा कि हमारे प्रपोजल्स टर्न डाउन हो जायेंगे और जो वित्तीय सहायता मिल सकेगी वह नहीं मिलेगी। इस प्रकार जो विषमतायें हैं वे दूर होनी चाहियें और जो कम से कम स्तर है उसकी ओर ध्यान करते हुये उनके अन्तर को क्रमशः दूर करने के लिये कदम बढ़ाने चाहियें। इस प्रदेशीय सरकार ने अभी तक जो कुछ भी किया है उस से भी वातावरण में एक अशान्ति पैदा हुई है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये कुछ सुझाव मैंने दिये हैं। इस समय दूसरे प्रदेशों में जिस प्रकार क्रमों में निर्धारण हुआ है, जो उन्होंने अपने यहां डी० ए० बढ़ाया है जैसे बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, केरल में, सरकार ने दूसरे वेतन आयोग का निर्माण कर दिया और साथ ही साथ उनकी दरों में जो वृद्धि हुई है उस से उनको पर्याप्त संतोष हुआ है, वैसा यहां भी होना चाहिये। ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते हैं।

दूसरा कमीशन जब यहां आया था तो उसके सामने शायद सरकार की ओर से यह कहा गया था कि अगर वेतन आयोग का पुनर्निर्माण करेंगे तो करोड़ों रुपयों का व्यय उसमें निहित है। केन्द्रीय फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट से ज्ञात होगा कि और प्रदेशों में जो वेतन में बढ़ोत्तरी के कारण व्यय अधिक हुआ है उसमें केन्द्रीय सरकार ने पर्याप्त सहायता की है। तृतीय पंचवर्षीय आयोजनाकाल में जब सरकार के सामने यह सुझाव आया था तो उन्होंने यह वायदा किया था कि वह कर्मचारियों को संरक्षण देगी। यह आयोग की सन् ५७–५९ की रिपोर्ट है, अब तो यह भी पुरानी हो गई है आज तो और भी स्थिति विकट हो गयी है। उसकी रिपोर्ट में इस प्रकार लिखा गया है:

"26. Apart from any other commitments, there are the obligations imposed by articles 38, 39, 42 and 43 of the Constitution. If it is a Directive principle of State policy that the State shall endeavour to secure all workers a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure, and social and cultural opportunities or that it shall ensure just and human conditions of work, the State must, obviously, regulate its relationship with its own employees, accordingly."

उन्होंने संविधान की धाराओं को निश्चित रूप से उल्लिखित करते हुये सुझाव रखा है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार का व्यवहार करे जिस से उनके कर्मचारियों में स्थायित्व का निर्माण हो और जिस से उनके कर्मचारी निश्चित रूप से अपना काम कर सकें।

दूसरी बात यह है कि आज हमारी सरकार इसको नहीं कर रही है या नहीं कर सकी है या इस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं है तो निश्चित रूप से संघर्ष होगा कर्मचारियों में और सरकार में और उस से इस प्रदेश के आने वाले संकटों के समय, कार्य की जो स्थिति होगी उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा और वह निश्चित रूप से हमारे लिये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। आज यदि हम उस बात को दरगुजर करते हैं और संघर्ष के बाद कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं जो हमें निश्चित रूप से करनी ही पड़ेगी, करना पड़ेगा वह जिसे आज सरकार मना कर रही है और

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

जिसकी कि आज ही आवश्यकता है, तो वह स्थिति अच्छी नहीं होगी। इस निवेदन के साथ मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वह इस प्रकार के द्वितीय वेतन आयोग के निर्माण हेतु अपनी स्वीकृति दे ताकि वह बन सके और कर्मचारियों का कल्याण हो सके।

श्री अधिष्ठाता--

हम अब जलपान के लिये उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प सदन के सामने माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह मुझे इतना अधिक महत्वपूर्ण और जन-कल्याणकारी मालूम हुआ कि उसकी भावना और विचार से सहमत होकर उसकी शब्दावली को अधिक चुस्त बनाने के सम्बन्ध में मैंने यह संशोधन रखा है जिसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं --

संकल्प कि पंक्ति २ में 'वेतन' शब्द के पहले 'सभी प्रकार के' जोड़ दिया जाय। पंक्ति ३ में 'को देख कर रिपोर्ट देता रहे' के स्थान पर 'में सामंजस्य बनाये रखने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट समय-समय पर देता रहे' रख दिया जाय।

वेतन के आगे 'सभी प्रकार के' रखने का मेरा आशय यह है कि अगर यह संकल्प सदन में पास हो जाय इसी प्रकार तो फिर सरकार संकल्प के अनुसार कार्य करने के लिये अपने मन के अनुकूल शब्दावली तथा उसका अर्थ लगाने का प्रयत्न करेगी। वेतन से मतलब बड़े-बड़े कर्मचारियों से हो सकता है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों कर्मचारियों से हो सकता है। संशोधन के द्वारा जो हमारे खेतिहार मजदूर हैं, कम वेतन भोगी हैं उनकी तरफ भी सरकार का समय-समय पर ध्यान आकर्षित किया गया है। इसलिये जो वेतन आयोग घटित हो वह सभी प्रकार के वेतनभोगी लोगों पर, चाहे बड़ा वेतनभोगी हो या छोटा हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सब के वेतन की तरफ अपनी निगाह सरकार रखे। इसलिये वेतन के आगे 'सभी प्रकार के' शब्द जोड़ने की आवश्यकता मुझे मालूम पड़ी। दूसरी बात यह कि मूल प्रस्ताव में जो कहा गया है कि 'वस्तुओं के मूल्य, वेतन की दरों तथा अन्य सामाजिक विषयों को देख कर समय-समय पर अपनी रिपोर्ट देता रहे' तो अगर यह संकल्प पास हो गया तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग वस्तुओं के मूल्य समय-समय के विभिन्न वेतन क्रम आदि की अलग-अलग सूचना समय-समय पर देता रहे और समझे कि संकल्प के अनुसार हमने काम कर लिये। लिहाजा इस संकल्प की भाषा को अधिक चुस्त बनाने के लिये और इस संकल्प को लाने का जैसा कि माननीय सदस्यों का महान उद्देश्य है उसके अनुसार सरकार को कर्तव्य में बांधने के लिये मैंने यह संशोधन किया कि वेतन आयोग वस्तुओं के मूल्य, सभी प्रकार के वेतन दरों तथा अन्य सामाजिक विषयों में सामंजस्य बनाये रखने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट समय-समय पर देता रहे।'

मैं सदन का अधिक समय न ले कर जिन माननीय सदस्यों ने इस संकल्प को रखा है उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरा संशोधन उन्हीं की शब्दावली को अधिक चुस्त बनाने वाला है और वे मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, अभी जो टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने पे कमीशन के सम्बन्ध में रेजोलूशन रखा मैं समझता हूं कि यह पे कमीशन जरूर जल्दी से जल्दी सूबे की सरकार मुकर्रर करे और उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो सिफारिशें हों उन पर अमल भी करे। इसका ज्यादा ताल्लुक जो तीसरे या चौथे ग्रेड के कर्मचारी हैं जिनको ५० रुपये या उस से भी कम या सौ, डेढ़ सौ रुपये तक तनख्वाह मिलती है उनसे है। वे किसी तरह से अपनी गुजर औकात करते हैं वह शायद इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य से छिपी हुई बात नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से याद है प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के वे अल्फाज जो उन्होंने पार्लियामेन्ट के अन्दर और उसके बाहर भी दोहराये कि हिन्दुस्तान की नेशनल इनकम तो बढ़ी है, लेकिन वह गरीब के हिस्से में नहीं आयी। उनकी इस चीज को सामने रख कर कि वह गरीब के हिस्से में नहीं आयी और क्या जो नेशनल इन्कम बढ़ी है उसमें गरीब का हिस्सा है या नहीं और अगर उस बढ़ी हुयी इन्कम में उसका हिस्सा है तो फिर हर सरकार को चाहे वह स्टेट लेविल की हो या आल इंडिया लेविल की यह सोचना पड़ेगा कि कौन-सा तरीका अख्तियार किया जाय कि वह गरीब भी उसमें हिस्सेदार बने। यू० पी० गवर्नमेंट की जो स्टैस्टिक्स पब्लिसिटी रिपोर्ट है उसके मुताबिक ५१ रुपये तक पाने वाले कर्मचारियों की संख्या २,६३,४७६ है।

अगर परसेन्टेज लगायें तो ६४ परसेंट संख्या ऐसे लोगों की है जिनको ५१ रुपये तक तनख्वाह मिलती है। इसके बाद ५२ रुपये से ले कर १०० रुपये तक की लोगों की संख्या ९४,७३७ है यानी २५ परसेंट है। हम बढ़ती हुई कीमतों को और लोगों के इस राजात को सामने रख कर गौर करें कि जरूरियात जिन्दगी की चीजों को पूरा करने के लिये कम से कम कितने रुपये की आवश्यकता है जिसमें आदमी दाल-रोटी खा सके और मोटा कपड़ा पहन सके तथा अपने बच्चों को तालिम दिला सके। आजकल के जमाने में किसी सूरत से १०० रुपये से कम वेतन में एक आदमी की जिसके एक बीबी हो और एक-दो बच्चे हों, गुजर नहीं हो सकती है। इसलिये इन बातों को सामने रख कर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने इस बात को साफ कहा है कि किसी की तनख्वाह १०० रुपये से कम नहीं होनी चाहिये।

एक तरफ तो आजकल लोग चिल्लाते हैं कि करप्शन बहुत बढ़ रहा है और इस बात से सरकारी पक्ष के लोग भी इख्तलाफ नहीं करेंगे और यह भी सब समझते हैं कि इसके बढ़ने का एक मुख्य कारण यह भी है कि कुछ तादाद ऐसे सरकारी मुलाजिमों की है जिनको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है कि वे अपनी तनख्वाह में इत्मीनान के साथ मोटे कपड़ पहन सकें, बच्चों को तालीम दिला सकें और दाल-रोटी खा सकें तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि एक पटवारी जिसको ३५ रुपये तनख्वाह मिलती है या एक मास्टर जिसको ५०-५५ रुपये तनख्वाह नहीं मिलती है ये लोग बेइमानी नहीं करेंगे और रिश्वत नहीं लेंगे और मास्टर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ायेगा। इसके अलावा दीगर मुहकमों के छोटे कर्मचारियों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे रिश्वत नहीं लेंगे।

अगर हमें करप्शन को दूर करना है तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मुलाजिमों की बेसिक तनख्वाह इतनी हो जिस से इंसान की जिन्दगी की जरूरियात पूरी हो सकें। सरकार खर्चे का ब्यौरा बना कर पेश करें कि किसी शख्स को ५०-५५ रुपये तनख्वाह मिलती है तो वह इतने रुपये में दाल रोटी खायेगा, इतने में कपड़े पहनेगा और इतने में बच्चों को तालीम दिलायेगा। इस तरह से वह स्मूथली अपना वक्त काट सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें सोचना होगा कि उनके लिये ऐसी कमेटी मुकर्रर हो जो आये दिन कीमतें बढ़ती हैं उनको सामने रख कर रिपोर्ट पेश करती रहें और तनख्वाह में बढ़ोतरी होती रहे। १९४७ में जो पे कमेटी मुकर्रर हुई थी उसने भी सजेस्ट किया था कि १० साल में कीमतों में काफी अन्तर पड़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, इसलिये वक्तन-फवक्तन कमीशन मुकर्रर होना चाहिये और उसकी सिफारिशों के अनुसार तनख्वाह बढ़ाई जाय। छोटे कर्मचारियों को ८ आने साल इंक्रीमेंट और क्लर्कों को ३ रुपये साल इंक्रीमेंट मिलता है। एक तरफ सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी का नारा लगाया जाता है और इधर नहीं देखते कि कैसे इन लोगों को सोसाइटी में एडजस्ट करेंगे? इसलिये इनके लिये वक्तन फवक्तन पे कमीशन मुकर्रर होना चाहिये। जो बढ़ी हुई कीमतों और तमाम बातों को सामने रख कर यह रिकमेंडेशन देता रहे कि अब कितनी तनख्वाह बढ़ाई जाय, कितना मंहगाई

[श्री रियासत हुसैन]

अलाउंस बढ़ाया जाय ? इसके अलावा एक परेशानी और सामने आती है। बहुत से मुलाजमीन ऐसे हैं जो आठ-आठ, दस-दस साल तक काम करते रहते हैं लेकिन आरजी रहते हैं। उसका क्या असर होगा, जब वह रिटायर होंगे तो उन्हें क्या पेंशन मिलेगी, क्या कैलकुलेशन उनकी सर्विस का होगा, कितनी मजबूती उनके गैर मुस्तकिल होने से है, जरा-सी शिकायत हुई, मुअत्तल कर दिये गये, इन्क्वायरी बाद में होती रहेगी, आठ-आठ, दस-दस साल तक गैर मुस्तकिल रहना, किसी भी कर्मचारी के लिये जो गुरबत का ही मुकाबला कर रहा हो, उसके लिये बड़ी मुश्किल का सामना है। इस चीज को भी सामने रख कर इसको दूर करने के लिये सोचें कि आखिर क्या तारीका अख्तियार किया जाय जिस से जो ५० या १०० रुपये पाने वाले मुलाजमीन हैं उनको कैसे रिलीफ पहुंचायी जाय।

इसके साथ-साथ १९४८ में जो पे कमटी हुई उसने रिकमेंडशन दी। उस वक्त जो तनख्वाह मुकर्रर की गयी थी यह समझ कर की गयी कि अब लड़ाई खत्म हो गई है, हिन्दुस्तान आजाद हो गया है, उसका असर यह पड़ेगा कि हमारे यहां खुशहाली आयेगी, १९४८ के बाद १९५१ का सस्ता जमाना लौट आयेगा। लेकिन इस के बरअक्स महंगाई बढ़ती ही गयी। जिन्दगी और ज्यादा कास्टली हो गयी। १९४७ के अन्दर जो पे कमेटी ने तनख्वाह मुकर्रर की उसके बाद दस साल हो गया, उस दस साल की रीडिंग से कितना परसेंटेज कास्ट आफ लिविंग में बढ़ गया, कितना परसेंटेज चीजों की कीमतों में बढ़ गया, इसके अलावा फेमिली के अखराजात, तालीमी अखराजात कितने बढ़ गये, इन चीजों को सामने रख कर, दस साल में जो तब्दीली हुई उसको सामने रख कर कमीशन मुकर्रर हो। मेरा यह कहना है कि वह परसेंटेज परमानेंट कमीशन हो जो हर दस साल की रीडिंग करता रहे और अपनी रिपोर्ट पेश करे कि कितने अखराजात बढ़ गये और उस पर कितनी तनख्वाह और अलाउंस बढ़ना चाहिये, क्या-क्या रिआयतें इन कर्मचारियों को मिलनी चाहिये। थर्ड और फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी बड़े परेशान रहते हैं। दोनों वक्त स्कायर मील्स के लिये परेशान रहते हैं। अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते। अगर कोई बीमार हो जाय तो परेशानी। इलाज करना भी आजकल बहुत कास्टली है। इन सब परेशानियों को सामने रखते हुये, मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य नहीं होगा जिसके ताल्लुक में इस किस्म के आदमी न हों, सब लोग महसूस करते हैं। उसके बाद अगर एक प्रस्ताव माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद की तरफ से आता है कि कमीशन मुकर्रर हो, उसकी अगर कोई मुखालिफत करे तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या वजह हो सकती है ? और कोई वजह तो हो नहीं सकती सिवा इसके कि लोग यह समझते हों कि चूंकि तनख्वाह बढ़ जायगी तो खर्चा बढ़ जायगा, नये टैक्स लगाने के प्रोपोजल सामने आयेंगे तो अपोजीशन उसकी मुखालिफत करेगा। इसलिये क्यों व्यर्थ का झगड़ा मोल लिया जाय ? ऐसी बात नहीं है। जो आपका अपना एडजस्टमेंट है तनख्वाहों के अन्दर उस ऐडजस्टमेंट में जितना फर्क है, अगर उसके फर्क को कम किया जाय, एक और दस के रेशियो में उस फर्क को लाने की कोशिश की जाय तो काफी हद तक इस मसले को हल किया जा सकता है। आज हम लोग देखते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क के अन्दर पांच रुपये का तनख्वाहदार नहीं होगा, जबकि उत्तर प्रदेश में एक चौकीदार को पांच रुपया आप देते हैं और कहते हैं कि यह तो पार्ट टाइम सर्वेंट है, लिहाजा पांच रुपया उसके लिये काफी है। यह नहीं महसूस किया जाता कि उस पार्ट टाइम सर्वेंट के ऊपर कितनी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर कहीं वारदात हो जाय और जैसी कि लालेसनेस आज फैल रही है, उसमें वारदातों का शुमार नहीं है, तो वैसी हालत में उसको दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक ड्यूटी देते हो जाता है, न रात को खाना खाने का टाइम मिलता है, न दिन को मिलता है, और किसी किस्म की सुविधा उसे नहीं मिलती। हम और आप कह देते हैं कि वह पार्ट टाइम सर्वेंट है लिहाजा पांच रुपया काफी है। अगर वह पार्ट टाइम सर्वेंट भी है तो भी पांच रुपया उसे देना बड़ी बेइज्जती की बात है कि हिन्दुस्तान में पांच रुपये पर भी गवर्नमेंट सर्विस के लिये लोग दौड़े आते हैं।

ऐसी हालत में जब हम सुबह से शाम तक इस चीज को आबजर्व करते हैं कि छोटी तनख्वाहों के आदमी किस तरह से अपनी गुजर करते हैं, सौ, डेढ़ सौ, दो सौ तक की तनख्वाह पाने वाले का यह हाल है, इतना बैलेंस्ड बजट उन लोगों का होता है कि अगर २० तारीख को बदकिस्मती से दो-चार मेहमान आ जायं या डाक्टर को लाने की जरूरत पड़ जाय तो दस दिन बाद मिलने वाली अपनी तनख्वाह के भरोसे पर उधार लेकर ही वह अपना काम पूरा कर पाता है। तो जब दो सौ तक पाने वाले का यह हाल है तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं, और आप सब जानते हैं कि पचास-साठ तक जिसे तनख्वाह मिलती है उसकी क्या हालत होगी? इसलिये अगर एक परमानेंट ढंग से पे कमेटी या पे कमीशन कायम कर दिया जाय तो दस साल तक बराबर आब्जर्वेशन करता रहे, कीमतों का बढ़ना, स्टैंडर्ड आफ लिविंग का बढ़ना, अखराजात का बढ़ना इन सब चीजों को सामने रख कर वह एक रिपोर्ट दे जिससे कि हमारे उन कर्मचारियों को जो थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड के हैं उनको कुछ लाभ पहुंच सके, उनका कुछ भला हो सके तो मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य को इसकी मुखालिफत करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर) --

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का प्रस्ताव मैंने बहुत ही गम्भीरता पूर्वक पढ़ा और उनकी स्पीच भी सुनी। इसमें कोई शुबहा नहीं कि वाह्य रूप से या फर्स्ट इम्प्रेशन में कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि यह एक बहुत ही इन्नोसेंट प्रस्ताव है और इसे मान लेने में कोई संकोच नहीं हो सकता। लेकिन अपने भाषण के अन्त में जो रिमार्क्स उन्होंने कसे उनसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति से इतना प्रभावित नहीं हैं जितना कि उसको एक राजनीतिक पहलू देना चाहते हैं और उन्होंने स्पष्ट इस बात का संकेत किया कि यदि ऐसे-ऐसे कार्य नहीं किये गये तो एक व्यापक असंतोष प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में होगा और उस असन्तोष को दबाया नहीं जा सकेगा और उसके लिये उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बातें और इस प्रकार के प्रस्ताव जो हैं यदि इनका ऐसा दृष्टिकोण हो तो हमारे प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन के लिये यह चीज बहुत ही घातक सिद्ध होगी जिससे सदन को चेतन रहने की आवश्यकता पड़ेगी। श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में समय-समय पर विचार न किया हो और ऐसे कदम न उठाये हों जिनसे उनकी स्थिति में प्रगति हो सके। अभी हमारे लायक मित्र रियासत हुसेन साहब बोल रहे थे जो स्वयं १९४७ के पे कमीशन की बात कर रहे थे। उस पे कमीशन ने कुछ सुझाव दिये और सरकार ने उनको इम्पलीमेंट किया। आज यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि बड़े वेतनभोगी कर्मचारियों की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन छोटे वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के वेतन क्रम में इधर काफी वृद्धि हुई है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वह इतना सन्तोषजनक नहीं है जिसके लिये हमें बहुत ज्यादा सन्तोष हो, लेकिन वह पे कमीशन बैठा और उस पे कमीशन ने कुछ सुझाव दिये जिनको सरकार ने इम्पलीमेंट किया। माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी इस बात को जानते हैं।

अभी हाल में पुलिस कमीशन बैठा था। उस कमीशन ने छोटे रेंक के कर्मचारियों के वेतन-क्रम के बारे में कुछ सिफारिश की जिसको सरकार ने पिछले बजट के समय इम्पलीमेंट किया है। पुलिस विभाग का जो व्यय था उसमें कुछ प्रदेश के अन्दर वृद्धि भी हुई है। उसमें हमारे लायक मित्र को वृद्धि के बारे में कुछ एतराज हुआ। मैं श्रीमन्, क्या कहूं मैं आपकी सेवा में यह संकेत कर रहा था कि जनरल पे कमीशन के अतिरिक्त भी पुलिस कमीशन ने सिफारिश की जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अभी पिछले साल हायर सेकेन्डरी स्कूल के जितने अध्यापक हैं उनके वेतन-क्रम में वृद्धि की गई है और उसको हमारे प्रदेश में लागू किया गया है। वह सभी विद्यालयों में चाहे वह सरकारी हों या गैर-सकारी सभी में लागू किया गया और अविलम्ब लागू किया गया है। सेक्रेटरियट के स्टाफ की भी वेतन वृद्धि हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की ओर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

से कदम नहीं उठाये गये हैं ? क्या समय-समय पर वेतन के बारे में कदम नहीं उठाये गये हैं ? और उनको इम्पलीमेंट करने का प्रयास नहीं किया गया है ? अब इतना अवश्य है कि वह स्थायी पे कमीशन के नियुक्त करने की बात करते हैं। उस विषय में जहां तक हमने सोचा है कि आवश्यकता के अनुसार पे कमीशन या जांच भले ही कर ली जाय, लेकिन वह पे कमीशन कुछ अपने ढंग से होगा। वह ऐसा न्यायालय होगा जिसमें हर आदमी की यह प्रवृत्ति हो जायगी कि वहां पर वह अपना प्रार्थना-पत्र लेकर जाया करे।

जहां तक श्रमिकों का प्रश्न है जहां पर पे कमीशन यदि परमानेन्ट हो तो वहां दूसरी चीज होती है क्योंकि उनका कुछ इस ढंग का कार्य होता है कि थोड़ा-सा संघर्ष वहां पर क्षमा किया जा सकता है लेकिन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है वहां प्रदेश के हर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारी की यह भावना पैदा होगी कि हमारे प्रदेश में एक पे कमीशन है तो उसके प्रति उनकी एक यूनियन की भावना पैदा होगी जो स्वाभाविक है। उनके दिमांग में एक यूनियन की स्प्रिट हो जायगी जिससे प्रदेश के कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र और फार्मूले हमेशा पे कमीशन के सामने पड़े रहेंगे।उस पर गवाही और साक्ष्य लिया जाता रहेगा और हमेशा एक आशा और लालसा बनी रहेगी कि हम लोगों के वेतन में वृद्धि हो और जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक असन्तोष रहेगा। उसके खिलाफ निर्णय होगा तब भी असन्तोष होगा और इस प्रकार हम असन्तोष का एक व्यापक क्षेत्र तैयार कर देंगे। यह कहां तक न्यायसंगत होगा इसे उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के और विरोधी दल के सदस्यों पर ही छोड़ता हूं।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सरकारी कर्मचारी, चाहे देश के हों अथवा प्रदेश के, बाहर के व्यक्ति नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि वह टम्बेश्वरी प्रसाद जी या उग्रसेन जी के निकट के लोग हों और हम लोगों से दूर के लोग हों। जितना उनका सम्बन्ध उग्रसेन जी से हो सकता है। उतना ही हम से भी उनका सम्बन्ध है और वे सार्वजनिक तथा पारिवारिक रूप से हम सब से सम्बन्धित हैं। ऐसी हालत में यदि हम लोग इन बातों को कहते हैं तो हमारी यह भावना कतई नहीं होती कि उनके जीवन-स्तर में वृद्धि न हो। लेकिन हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों और माननीय उग्रसेन जी, दोनों को यह समझना पड़ेगा कि हमारे देश और प्रदेश की जनता का आर्थिक स्तर क्या है और क्या उस आर्थिक स्तर में हम लोग इतनी प्रगति कर सके हैं कि सरकारी कर्मचारियों और जनता में एक अन्तर्द्वन्द दिखायी पड़े। क्या ऐसा है कि जनता का स्तर अधिक ऊंचा हो गया हो और सरकारी कर्मचारी जो डिस्पिलिन और अनुशासन में बंधा है उसके जीवन क्रम में प्रगति नहीं हुई है। ऐसा हो यदि तो एक अच्छा केस तैयार हो जाता है कि जनता का स्तर ऊंचा हो गया है और सरकारी कर्मचारी पिसा जा रहा है। लेकिन हर स्तर में यह अन्तर अभी दिखायी नहीं देता। मैं तो स्पष्ट रूप से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो निम्नतम वेतन है ५५ रुपये उसे पाने वाले सरकारी कर्मचारी की हालत गांव के किसान या किसी श्रमिक से कहीं अच्छा है। गांव के सरकारी कर्मचारियों और वहां की जनता के स्तर में काफी अन्तर है और इसे देख कर ही स्पष्ट लक्ष्य किया जा सकता है। तो हमें यह बात नहीं कहनी चाहिये थी। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि जब प्रदेश की जनता गरीब है और उसकी आर्थिक प्रगति हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में हम वृद्धि कर दें ताकि यह फर्क बढ़ता चला जाय। इसके अतिरिक्त उग्रसेन जी मितव्ययिता की बात हर समय सुझाया करते हैं। वह भी वेतन आयोग न बिठाने से ही संभव हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं टम्बेश्वरी प्रसाद जी के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अपना भाषण देने के बाद माननीय कृष्णानन्द जी दूसरी बातों में मशगूल हो गये। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनका ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और उनके भाषण के उत्तर में केवल एक ही दलील सदन के सम्मुख पेश करना चाहता हूं। इसी सदन में मैंने यह प्रश्न उठाया था कि यह सरकार हमें बताये कि एक ही रात में सरकार ने मुख्य सचिव का वेतन ३,००० रुपये से बढ़ा कर ३,५०० रुपये क्यों कर दिया? जब कि इस आदरणीय भवन और सदन के चपरासियों, सफाई के मेहतर, माली, चौकीदार का वेतन नहीं बढ़ा तो माननीय मुख्य सचिव का वेतन ३,५०० क्यों कर दिया गया? आई० सी० एस० और पी० सी० एस० को जो २०० रुपया विशेष भत्ता मिलता था उनका ढाई सौ क्यों कर दिया गया? प्राक्कलन समिति की जो रिपोर्ट निकली है अगर उसको कृष्णानन्द जी पढ़ें तो उस समिति ने सिफारिश की है कि इनका भत्ता काट दिया जाय और अगर केन्द्रीय सरकार के कानून के अनुसार कुछ भत्ता देना ही है तो कम से कम सौ रुपया ही दिया जाय, उससे ज्यादा न दिया जाय।

और मैं बताऊं कृष्णानन्द राय जी! केन्द्रीय सरकार से मुख्य सचिव को लिखा गया कि अपने अफसरों से कहिये कि हवाई डिब्बे, शीत-ताप नियंत्रित में वह सफर न करें तो मुख्य सचिव से लिखकर आया था कि नहीं, जब रात को माननीय अफसरान जाते हैं तो शीतल, मन्द, सुगंध समीर और वातावरण में सोते हैं तब वह काम कर सकते हैं, वह तो जरूर ही चलेंगे, फर्स्ट क्लास में नहीं चलेंगे। ठीक ही है। लेकिन कभी सोचा कि हमारी मांग क्या है? कोई नयी नहीं है, पे कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें पढ़िये। उसमें लिखा है कि १० वर्ष के बाद सरकार पुन: इसका पुनर्वीक्षण करे और इनके वेतन में जैसा उचित हो वह करे। सरकार जवाब दे कि क्यों नहीं किया गया?

कौन-कौन राज्य हैं जिन्होंने अब तक अपने यहां पे कमेटी बनाई? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, मैसूर, आन्ध्र आदि प्रदेशों ने दूसरी पे कमेटी बनाई और बताऊं संकट कालीन स्थिति में बंगाल की सरकार ने दूसरी पे कमेटी बनायी। कमेटी ही नहीं, जैसा कि उत्तर प्रदेश की सरकार करती है कि कमेटी बैठा दी, जब ज्यादा मांग हुई लेकिन उसकी सिफारिशों पर अमल नहीं करती, बंगाल की सरकार ने उसकी सिफारिशों को लागू किया। मेरा यही संशोधन था कि पे कमेटी का अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश हाई कोर्ट का जज हो। उनकी जो सिफारिशें हों वह सरकार मान ले। तो मेरा कहना यह है कि पौने चार लाख सरकारी कर्मचारी क्या अभागे हैं? उनके कोई अधिकार भारतीय संविधान में क्यों सुरक्षित नहीं हैं? अगर कहा जाय कि भाखरा नंगल बनाया है, तो आपने कौन पैसा खर्च किया?

माननीय मन्त्री जी, थर्ड फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट पढ़िये। उसमें कहा है कि अगर कोई प्रदेशीय सरकार अपने यहां कुछ वेतन बढ़ा कर ज्यादा पैसा खर्च कर लेगी और उसकी निधि में कमी होगी तो सेन्ट्रल पूल से मिलेगा। अन्य प्रदेशों ने अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पे कमेटी बैठाकर की और थर्ड फाइनेन्स कमीशन के अनुसार पैसा प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश की सरकार के पास जब चिट्ठी आयी तो कहते हैं कि अगर आप कहते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे ऐसी तो उसकी सिफारिश नहीं थी, वह तो सरकार को खुद करना चाहिये था। सेंट्रल पूल से पैसा न लेकर अगर वह गरीब कर्मचारियों के पेट काटना चाहती है तो उसमें क्या औचित्य है? कोई नहीं है। केन्द्र ने रुपया देने की बात कही, आपने नहीं लिया। थर्ड फाइनेंस कमीशन ने कहा, आपने नहीं लिया। आप करना नहीं चाहते हैं। पौने चार लाख कर्मचारियों को भूखा मारना चाहते हैं। तो मैं पौने चार लाख कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें अपनी मांगें लेनी हैं तो गैर सरकारी प्रस्ताव लाकर वह ध्येय पूरा नहीं होगा। यहां तो माननीय सुचेता की सरकार विराजमान है, वह उसको उलट ही देगी। अगर मांग लेनी है तो उसको लड़कर लो। हड़ताल तुम्हारा संघर्ष है, हथियार है। रोज-रोज टी० बी० के मरीज बन कर रोग-शय्या पकड़ते हैं, मगर रोग-शय्याओं का भी इन्तजाम नहीं।

मैं आपको बताऊं इसी सेक्रेटेरियट में सौ रुपया पाने वाले लोगों से मैं मिलता हूं। वह कहते हैं कि हम दोनों वक्त खाना नहीं खाते हैं। एक चार आने की पाव रोटी ले लेते हैं और भुंजिया ले लेते हैं और सेक्रेटेरियट में खाते हैं और अगर माननीय अली जहीर साहब के

[श्री उग्रसेन]

कुत्ते पर साढ़े ४ रुपया रोज खर्च होता है। आज जो आपके कर्मचारी हैं, लिफ्ट मैन हैं, चपरासी हैं, या और जो छोटे कर्मचारी हैं उनको आपने टी० बी० का मरीज बना दिया है। दूसरी ओर आपके यह सचिवों की संख्या बढ़ती जा रही है। सचिव, अनुसचिव, छोटे सचिव आगे सचिव, पीछे सचिव, पदेन सचिव, पता नहीं कितने प्रकार के सचिव बढ़ते जा रहे हैं। १०–१० साल से सचिव उसी सचिवालय में काम कर रहे हैं। कोई कभी शिक्षा सचिव है तो कभी रसद विभाग का सचिव है, तो कभी किसी और विभाग का सचिव है। उसका कहीं और ट्रान्सफर नहीं होता। प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पढ़िये, प्रशासन के खर्च का ४०फीसदी खर्च इन सचिवों पर ही होता है। यहां पर ११–११ वर्ष से लोग अस्थायी हैं। स्थायी नहीं किये गये। डिसिप्लीनरी इन्क्वायरी कमेटी ने यह कहा है कि ३ साल के बाद एक कर्मचारी को स्थायी कर देना चाहिये। आप चाहते तो दूसरा पे कमीशन बिठा सकते थे और कितनी जगह पे कमीशन बैठा। आपके यहां क्यों नहीं बैठा? एक रेलवे का मेहतर १०० रुपये पाता है, उसको साल में महंगायी ३–४ रुपये मिलती है, यहां पर उसको मंहगायी ५० नये पैसे मिलते हैं। रेलवे का मेहतर साल में ५–७ रुपये अपने जूतों की पालिश में खर्च कर देता है। वहां क्या है? आप कहते हैं यह प्रधान मन्त्री का प्रदेश है, मगर उसकी हालत तो जरा देखिये।

श्रीमन्, महाराष्ट्र के कर्मचारियों के बीच मैंने काम किया। वह लड़ने की ताकत अपने में रखते हैं। आपने अपने यहां के कर्मचारियों को मार-मार करके इतना कमजोर बना दिया है कि वे लड़ नहीं सकते अपनी मांगों के लिये।

दूसरी बात, श्रीमन्, यह है कि जब मूल्य सूचनांक १९४७ में ३१० था तो आप मंहगायी ३३ रुपया दिया करते थे। आज जब वह ५४० है तो आप ४० रुपये दे रहे हैं। यानी ७ रुपये आपने बढ़ाये हैं। मालूम होता है कि इस सरकार का हिसाब बहुत कमजोर है, मन्त्री लोग हिसाब सही नहीं लगा पाते। केन्द्रीय सरकार पे कमीशन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब सूचनांक १० बढ़ेगा तो उसी हिसाब से मंहगायी भी बढ़नी चाहिये। इस को लेकर बम्बई में २० लाख मजदूरों ने हड़ताल की। उनकी मंहगाई बढ़ गयी। मैं आपसे कहता हूं कि आप पे कमीशन बैठाइये। जब तक उसकी सिफारिशें आयें, आप २५ फीसदी मंहगाई तुरन्त बढ़ा दीजिये, फिर जब रिपोर्ट आये, उस पर आप कर्यवाही करें।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जब तक सरकारी कर्मचारियों का डंडा सरकार पर नहीं पड़ेगा, यह सरकार मानेगी नहीं। यह पाजी सरकार है...

श्री उपाध्यक्ष—

यह 'पाजी' शब्द असंसदीय है।

श्री उग्रसेन—

कई बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यह संसदीय है।

श्रीमन्, जो यह सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन दे रही है वह किस किस्म का वेतन है? यह आर्थिक वेतन है, या निम्नतम वेतन है, या कौन किस्म का वेतन है? सरकार यह नहीं बता सकती है कि वह किस किस्म का वेतन दे रही है? और जो सरकार जीने योग्य वेतन अपने कर्मचारियों को नहीं देती है वह कैसे सरकार कहलाने योग्य अपने को कहती है? और यह सरकार तो अपने को सोशलिस्ट सरकार कहती है, समाजवाद स्थापित करने का दावा करती है। जयपुर कांग्रेस में तो समाजवाद को डिफाइन ही कर दिया जायगा। सरकार अपने को आदर्शवादी भी कहती है लेकिन जहां प्राइवेट कंपनियों पर उसका डंडा जोरों से चलता है वहां उसके रोडवेज का चौकीदार ५ रुपया पाता है। हमारे प्रदेश में ८१० थाने हैं उसके मेहतर को ३ रुपया १० आना माहवार मिलता है। दरोगा जी का

कोई रिश्तेदार आता होगा तो वे तो यूंही पाखाना धुलवा लेते होंगे, और लोग भले कुछ उसको दे देते हों। रोडवेज में एक सफाई वाला कंडक्टर होता है उसको २२ रु० माहवार से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती जब कि केन्द्रीय सरकार की मंहगाई ही ८० रुपया माहवार है। बंबई के कर्मचारियों की मंहगाई १०० रु० माहवार है लेकिन यहां के कर्मचारी को मिलता है २२ रुपया। सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि बाम्बे में तो बड़ी-बड़ी मिलें है लेकिन यहां भी तो चीनी मिलें हैं लेकिन आपके यहां निम्नतम वेतन ५ रुपया है।

बहुत से ऐसे विभाग भी हैं जो पे कमीशन के बाद बने। जैसे परिवहन विभाग है। उसके कर्मचारियों का वेतन आपने कैसे आंका? क्या अन्दाजे से आंका। उसके लिये तो पे कमीशन बैठाना अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन माननीय मंत्री जी कहते है कि पे कमीशन बैठाने से हमारा पैसा खर्च हो जायगा।

गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने एक इन्टीग्रेशन कमेटी बनायी। उसकी रपट के अनुसार वे इंजीनियरी, मैडीकल और जंगल विभाग की सेवाओं को हिन्दुस्तानी सेवा बनाना चाहते हैं। कदाचित् उस कमेटी की रिपोर्ट को केन्द्रीय सरकार ने लागू कर दिया है। तो जिन विभागों की सेवा केन्द्रीय सेवा हो जायगी उनकी तो तनख्वाह आप बढ़ा देंगे लेकिन अपने पौने चार लाख कर्मचारियों की तनख्वाह आप बढ़ायेंगे नहीं। अपने कर्मचारियों के लिये आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, संकटकालीन स्थिति है। लेकिन संकटकालीन स्थिति केवल कर्मचारियों के लिये है, मंत्रियों और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज के लिये नहीं है जो बराबर बढ़ते जा रहे हैं। वहां पैसे की कभी नहीं है। बड़े-बड़े राज्य कर्मचारी हवाई डिब्बों में चलेंगे उनके लिये भी कोई रोक नहीं है। मैं कर्मचारियों से कहता हूं कि यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कर्मचारियों में संघर्ष करने वाली यूनियनों की कमजोरी है। वे अगर बहादुर हों तो आगे आयें और सरकार से जबरदस्ती अपनी मांगों को मनवायें। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग उनकी हिमायत करेंगे।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद ने अपने प्रस्ताव द्वारा जिस प्रश्न को हमारे सामने रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरी पूरी सहानुभूति उसके साथ है। मगर साथ ही साथ प्रश्न बहुत आसान भी नहीं है, यह एक जटिल प्रश्न है। जैसा कि अभी बतलाया गया हमारे प्रदेश में करीब पौने ४ लाख सरकारी कर्मचारी है, जिनमें ३ लाख से ज्यादा ऐसे लोग है जिनकी तनख्वाह बहुत कम है। तो, मान्यवर, यह विषमता जो स्टेट सर्विसेज में है वह आपस में एक दूसरे के प्रति है। अगर हम उसकी तुलना आल इंडिया बेसिस पर करें तो डिस्पैरिटी और बढ़ती चली जाती है और अगर देहाती जिन्दगी से उसकी तुलना करें तो और भी वह डिस्पैरिटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बहुत कम यानी २६८ रु० है। तो आज प्रश्न यह है कि विषमता चारों तरफ बढ़ती जाती है। यह और भी दुख की बात है कि आजादी के १६ साल बाद और दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त होने के बाद भी विषमता बजाय कम होने के बढ़ती ही जाती है। तो आज जो प्रश्न हमारे सामने है, यह सोचने की बात है कि इसके लिये क्या किया जाय? जो परमानेन्ट पे कमीशन बनाने की बात कही गयी है मैं समझता हूं कि उससे उसका समाधान नहीं होने वाला है।

इस संबंध में मैं दो-तीन बाते कहना चाहता हूं। कोई भी शासन हो, यह सही बात है कि उसके निम्न श्रेणी के कर्मचारी जो उसके बुनियाद और बैकबोन होते हैं, अगर वे असन्तुष्ट हों तो शासन का काम बहुत अच्छी तरह से नहीं चल सकता है, लेकिन इस संबंध में मैं निवेदन कर दूं कि हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान के एकाध प्रदेशों को छोड़कर सब स्टेटों से आर्थिक मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो हमारे सामने यह भी एक कठिनाई है। अभी कुछ दिन पहले ही २५ प्रतिशत की लेवी को वापस ले लिया गया है। साथ ही हमारा जो प्लान बना है उसके लिये अभी ५०–६० करोड़ रुपये की और आवश्यकता है अपने साधनों द्वारा शेष तीन साल

[श्री नवलकिशोर]

के लिये, तो यह समस्या भी हमारे सामने है । मान्यवर, मैं तो इस बात को मुनासिब समझता हूं, कि कम तनख्वाह पाने वाले साथियों से कहता हूं कि वे अभी इस तरह की मांगे न पेश करें लेकिन जैसी कुछ मिसालें पेश की गयीं उनसे मालूम होता है कि हमारी नीति के अन्दर यूनिफार्मिटी नहीं है । माननीय उग्रसेन जी ने जो बात कही वह सही बात कही कि एक तरफ तो हम सेक्रेटरीज के एलाउन्स को बजाय २५० रु० के ३०० रु० करते हैं, चीफ सेक्रेटरी को या बोर्ड आफ रेवेन्यू के सदस्य को ५०० रु० एलाउन्स देते हैं, अगर कोई सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया में जाने लगता है तो स्टेट गवर्नमेन्ट उसे ५०० रु० अधिक देकर उसे कमिश्नर का ग्रेड दे देती है और दूसरी तरफ हमारी नीति यह है कि जब छोटी तनख्वाह के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो यह कहकर उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ायी जाती कि इसका बोझ टैक्सेशन के रूप में जनता के ऊपर पड़ेगा । मैं इस बात को सही मानता हूं कि टैक्सेशन का बोझ जनता पर पड़ेगा और इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन साथ जो नीति में कंट्राडिक्शन है उसको दूर होना चाहिये ।

एक बात मैं और निवेदन कर दूं और इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि एक ही तरह का काम जो आदमी स्टेट सर्विस में करता है और वही काम दूसरा आदमी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की सर्विस में करता है तो उन दोनों की तनख्वाह में काफी अन्तर है । मैं समझता हूं कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया में काम करने वाले कर्मचारियों को स्टेट सर्विस के कर्मचारियों से एक ही काम के लिये ज्यादा पैसा मिले ।

माननीय उग्रसेन जी ने आल इंडिया सर्विसेज की ओर संकेत किया । मैं उनमें से हूं जो आल इंडिया सर्विसेज की आइडिया को पसन्द नहीं करता । मेरा खयाल है कि सारे स्टेट के अन्दर एक यूनिफार्म पे स्केल होनी चाहिये । क्योंकि आपस में डिस्पैरिटी बढ़ने से कर्मचारियों मे असन्तोष बढ़ता जाता है । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सन् १९४६ में जो पे कमीशन बना उसकी रिपोर्ट को अगर आप देखें तो सेक्रेटरिएट वालों की तनख्वाह काफी बढ़ी, मगर जो और डिपार्टमेन्ट्स में काम करने वाले हैं उनकी उतनी नहीं बढ़ी । मिसाल के लिये सेक्रेटेरिएट के स्टेनोग्राफरों की तनख्वाह काफी बढ़ी, लेकिन जो डिपार्टमेन्टल हेड्स के यहां स्टेनोग्राफर्स है उनकी उतनी तनख्वाह नहीं बढ़ी जब कि वे भी उसी काम को करते हैं । तो यह एक कंट्राडिक्शन पैदा हुआ, यह एक एनोमाली उसके अन्दर पैदा हुई । तो मेरा निवेदन यह है कि यह कंट्राडिक्शन व एनोमाली कम से कम अवश्य दूर होनी चाहिये । इसका कारण यह है कि एक आदमी सेक्रेटरिएट में वही काम करता है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में वही काम करता है तो दोनों में जो डिस्पैरिटी होती है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जिस तरह से गवर्नमेन्ट आफ इंडिया सर्विस और स्टेट सर्विस में एक ही काम करने वाले की तनख्वाह में डिस्पैरिटी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। उसी तरह से सेक्रेटेरिएट के स्टेनोग्राफरों और डिपार्टमेंटल हेड्स के स्टेनोग्राफरों की तनख्वाह में डिस्पैरिटी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है । इस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि चाहे वे सेक्रेटेरिएट में काम करते हों चाहे किसी डिपार्टमेन्ट के अन्दर काम करते हों, एक ही तरह का काम करने वाले के लिये एक यूनिफार्म पे स्केल होनी चाहिये ।

एक बात जोरों से कही गई कि सौ रुपये कम से कम और हजार रुपये अधिक से अधिक होना चाहिये । उग्रसेन जी कैसे इस बात को भूल गये गोकि यह उनकी पार्टी का मेग्नाचार्टा है । मैं इस सिद्धान्त से तो इत्तिफाक करता हूं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अगर १ हजार तनख्वाह घटाकर कर दी जाय तो ५५ या ६० लाख रुपये की बचत होगी और उसी के साथ कम से कम सौ रुपये सब की तनख्वाह बढ़ा कर कर दी जाय तो १७ या १८ करोड़ रुपये का व्यय होगा । तो सिद्धान्ततः सहमत होते हुए भी मौजूदा स्थिति में उसको कहां तक कार्यान्वित किया जा सकता है इसमें मुझे पूरा सन्देह है । फिर इधर कभी केन्द्रीय सरकार को ही पहले कदम उठाना होगा तभी बड़ी तनख्वाहें कम की जा सकेंगी । मैं जरूर इस चीज को कहना चाहता हूं कि यह जो पे कमीशन की बात बार-बार कही जा रही है तो मैं परमानेन्ट पे कमीशन के हक में

नहीं हूं। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को इस बात का अधिकार है कि वे अपनी मांगें पेश कर सकें। यह बात भी सही है कि आज जो वस्तुओं की कीमतें हैं उनमें यह जरूरी हो गया है कि जो फर्क बढ़ता जा रहा है उसको ठीक करने के लिये हर दस साल के बाद स्केल्स का रिवीजन होना चाहिये, लेकिन एक परमानेन्ट कमीशन बना दिया जाये और एक ट्रेड यूनियन की स्प्रीट गवर्नमेंट्स सर्वेंट के अन्दर पैदा की जाय उसको मैं कतई सही नहीं मानता। यह चीज मैं मानता हूं कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं चाहे गवर्नमेन्ट सर्विस में हों या उससे बाहर, आजकल की बढ़ती हुई कीमतों में काफी कठिनाइयां उनके सामने आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने शासन का है। जब कमीशन बैठेगा तो तनख्वाहें बढ़ेंगी। पहला पे कमीशन बैठा दिया, फिर पुलिस कमीशन बैठा तो और चाहे कोई काम हुआ हो या नहीं, लेकिन तनख्वाहें बढ़ीं, अच्छा हुआ, क्योंकि पे कमीशन बैठने के बाद आशायें पैदा हो जाती हैं और स्वाभाविक है कि तनख्वाहें बढ़ती हैं। इस संबंध में सबसे बड़ा प्रश्न रिसोर्सेज का साधन हमारे सामने आता है। इस संबंध में मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। देश की आजादी के बाद जो डिपार्टमेन्ट्स का बढ़ना शुरू हुआ तो मान्यवर हैफहैजर्ड-वे में डिपार्टमेन्ट्स बढ़ते चले गये। कोई रेशनलाइजेशन डिपार्टमेन्ट्स के बनाने में हमारे यहां नहीं है। हमने यह निश्चय किया था कि सोशल वेलफेयर और हरिजन वेलफेयर डिपार्टमेन्ट्स को एक साथ कर देंगे और कर भी दिया इसी तरह से बहुत से डिपार्टमेन्ट्स हैं जिनको मर्ज किया जा सकता है। तो पहली बात तो डिपार्टमेन्ट्स का रेशनलाइजेशन होना चाहिये, और स्टाफ का रेशनलाइजेशन होना चाहिये कि कितने स्टाफ की कहां जरूरत है। मान्यवर, एक कम्पेटीशन सा होता है जब बजट आता है। ६० लाख के खर्च की जरूरत होती है ८० लाख रुपया चाहते हैं और वह कट कटाकर ६५ और ६४ लाख तक ही हो जाता है। तो सही तरीके से स्टाफ की स्क्रूटिनी हमारे यहां नहीं होती। हमारे यहां कोई मिनिमम वर्कलोड फिक्स नहीं है। अब तो मैं नहीं जानता लेकिन जब मैं एस्टीमेट्स कमेटी में एक्जामिन किया करता था उस वक्त तक कोई मिनिमम स्टैन्डर्ड वर्क लोड का फिक्स नहीं था। तो कोई कमेटी हो या कोई और तरीका हो जिससे यह निश्चय हो सके कि कितने आदमी किस डिपार्टमेन्ट्स में जरूरी है और कितना उनका मिनिमम वर्कलोड हो ताकि हम उनका जो आउटपुट आफ वर्क है वह मैक्सिमाइज हो सके। साढ़े १० बजे गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स वक्त पर आयें, वक्त पर जायें, बेकार न बैठें, शिकायत होती है कि वे ऊंघते रहते हैं वह खत्म हो। तो उनकी एफीशियेंसी का स्टैन्डर्ड बढ़ना चाहिये ताकि हम उनसे मैक्सिमम काम लें और उनको मेक्सिमम तनख्वाह भी दें।

इसके साथ ही साथ, मान्यवर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो वेस्टेज होता है उनकी मैं एक्जाम्पिल नहीं दूंगा लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट में जो मामूली ट्रान्जेक्शन्स होते हैं उनमें लाखों रुपये का फर्क पड़ जाता है खर्चे के अन्दर। अगर जरा फायनेंशल कंट्रोल टाइटेन किया जाय तो लाखों की बचत हो सकती है। ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें ८०, ८० लाख रुपये का फर्क पड़ गया है। तो खर्चों को अगर टाइटेन करें तब बचत हो सकती है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एकोनामी पर बहुत जोर दिया गया और मुझे खुशी है कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री, माननीय चन्द्र भानु गुप्त जी ने बड़ी कोशिश की एकानामी करने में। मुझे याद है कि जब ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स कान्फ्रेन्स हो रही थी एक साल पहले तो उसमें सवाल यह आया कि कितने परसेन्टेज खर्चा कम किया जा सकता है। मेरा खयाल था कि इससे १० करोड़ की बचत हो सकती है लेकिन उस कांफ्रेन्स में जो कमिश्नर और जिलाधीश आये थे उन्होंने इस बात को माना कि शुरू करने के लिये ५ करोड़ की बचत का लक्ष्य कायम किया जाय। मैं नहीं जानता कि उसके फलस्वरुप कितनी बचत हुई लेकिन मेरा आज भी यह निश्चित विश्वास है कि बचत की काफी गुंजाइश है और अगर यह ५ करोड़ की बचत ही हो जाय तो नीचे के लोगों के वेतन बढ़ने के लिये कुछ पूरक रिसोर्सेज मिल सकते हैं। मैं केवल सेक्रेटेरिएट की बात नहीं कहता जो भी कमीशन बैठे हम चाहते हैं कि उस के सामने सारे कर्मचारी जो सरकार के हैं उनका मामला रखा जाय और यहां तक कि जिलाबोर्ड के जो

[श्री नवलकिशोर]

टीचर्स वगैरह हैं उनका भी सवाल रखा जाय और उसके सामने एक इन्टेग्रेटेड पिक्चर आना चाहिये ताकि कोई डिसपेरिटी न रहे। माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने दूसरा पे कमीशन बिठाया है और कुछ स्टेट्स ने भी बिठाया है और कई स्टेट्स में यहां से मंहगाई भत्ता अधिक है गोकि वह स्टेट ज्यादा एडवान्स नहीं है। मैं भी कहता हूं कि कुछ प्रदेशों में ऐसा है और मैं तो यहां तक कहता हूं कि यह केस ऐसा नहीं है कि कोई केस न बनाता हो, कठिनाइयां सरकारी कर्मचारियों की हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ कठिनाइयां सरकार की भी हैं और यह आवश्यक है कि ऐसी स्थिति में दोनों के बीच का कोई रास्ता निकले ताकि उनकी सही और उचित मांगें पूरी की जा सकें और स्टेट की जो तीसरी प्लान हमारे सामने हैं जिसके लिये पैसे की दिक्कत है, कोई परेशानी उसके सामने ऐसी न पैदा हो जाय कि हमारे विकास के कार्य रुक जायं।

अब एक दो बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा जैसा कि माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि इस दिशा में गवर्नमेन्ट ने वक्तन फवक्तन कदम उठाये हैं और अपने नीचे के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये हैं, यहां ५ रुपये अभी बढ़ाये गये गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने भी दो तीन साल तक पैसा दिया हमने उससे कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये लेकिन आज जो यह वेतन का प्रश्न है और जो यह सेक्रेटेरिएट की एफीशियेंसी का प्रश्न है यह सब एलाइड प्रश्न हैं चाहे जो कमेटी बैठे मेरी प्रार्थना है कि इन सब प्रश्नों को उसके सामने रखा जाय। इस बात को भी देखे कि जो पिछली एनामलीज है वह क्या हैं? गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स का इस तरह की मांग रखना आज की एकनामिक कन्डीशन्स में जायज है लेकिन इस चीज को किसी तरह से भी एजीटेशन की शक्ल नहीं देना चाहिये न इसमें राजनीति ही आना चाहिये। सेक्रेटेरिएट में कोई पोलीटिकल सेल्स नहीं बननी चाहिये और किसी तरह की इन्ट्रीग्स सेक्रेटेरिएट में इस को लेकर नहीं होनी चाहिये। एक चीज को हमें सब को ध्यान में रखना चाहिये और विरोधी पक्ष की ओर से भी यह कोशिश होना चाहिये कि केवल गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स ही स्टेट के मुख्य अंग नहीं हैं बल्कि यहां की जो साढ़े ७ करोड़ जनता है उस सब के ही जीवन स्तर को हमें उठाना है। यह सही है कि सेक्रेटेरिएट और एटेट सर्विसेज में या गवर्नमेन्ट आफ इंडिया और स्टेट सर्विसेज में या डिस्ट्रिक्ट या हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट्स की सर्विसेज में जो डिसपेरिटी है वह नहीं होना चाहिये और वह खत्म होना चाहिये। मेरी राय है कि इसके लिये अगर कोई पे-कमीशन बैठाना पड़े तो उचित होगा और वह बैठाना चाहिये।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि जितना कि इस वक्त यह प्रस्ताव सही है उतना पहले किसी समय पर भी नहीं हो सकता था, हमारा अन्दाजा था कि सरकार की ओर से बिना आपत्ति किये इसको माना जायगा। मैं यह बात इसलिये कहता हूं कि खुद श्री गुलजारी लाल नन्दा ने जो केन्द्र में होम तथा प्लानिंग मिनिस्टर हैं, बताया था कि पिछली इमर्जेन्सी के जमाने में २५ प्रतिशत से ३५ प्रतिशत तक महंगाई बढ़ी है। जब मंहगाई बढ़ रही है तो चाहे स्थायी पे कमीशन हो या अस्थायी हो वह बिठाया जाय, इतना हम सरकार से चाहते हैं कि जो मंहगाई बढ़ी उसी के मुताबिक इम्प्लाईज की, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों या पब्लिक सेक्टर के, उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये। माननीय नवल किशोर जी ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे खुशी है कि उन्होंने पे कमीशन बैठाने की सिफारिश की, परमानेंट नहीं, टेम्पोरेरी ही रही। पार्लियामेंट में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि अगर १० प्वाइंट महंगाई बढ़े तो उसके लिये एक कमीशन हो जो फौरन उस कमी को पूरा कर दे। सरकार को दो बातें करनी पड़ेंगी। पहली तो यह कि या तो चीजों के दाम तय कर दे कि इस इस भाव से चीजें बिकेंगी, उसकी लिस्ट हर दुकानदार के यहां रहे और जो उसे डिनाई करे उसके खिलाफ कार्यवाही हो। लेकिन मैं जानता हूं कि सरकार इसको नहीं कर सकती है। क्यों ऐसा कहता हूं?

इसलिये कि चीनी का कंट्रोल हुआ तो आप देख लें हर जिले में सप्लाई आफिस से ले कर दुकानदार तक भ्रष्टाचार फैला है । ब्लेक मार्केट के खिलाफ सरकार कड़ी कार्यवाही करे, पर वह सरकार कर नहीं सकती । इसलिये एक ही बात हो सकती है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़े उसी हिसाब से कर्मचारियों का भत्ता बढ़ना चाहिये । बम्बई में ज्यों-ज्यों दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे मंहगाई बढ़ जायगी । चीजों के दाम कम होंगे तो महंगाई भी कम हो जायगी । माननीय उग्रसेन जी मिसाल दे रहे थे और वह सही है और सरकार के हित में है कि बम्बई और कानपुर में एक मजदूर को १०० रु० और ६५ रु० महंगाई मिले और ४० और ३५ रुपया मिनिमम वेज मिले तो कौन आदमी होगा जो आपके यहां चपरासी का काम करेगा, कौन आपके यहां मेहतर का काम करेगा जिसको आप मजदूर से कम तनख्वाह देंगे ? जाहिर है इस तरह से पढ़े लिखे कर्मचारी भी आपके यहां नहीं आयेंगे और जितने अच्छे आदमी हैं वे प्राइवेट सर्विसेज में जायेंगे और आपको खराब स्टाफ मिलेगा । जब ऐसी कंडीशन्स हैं तो आपको पे कमीशन या कमेटी बैठानी पड़ेगी । सरकार की तरफ से ज्यादा लोग नहीं बोले, मुझे एक बात का जवाब दे दें कि १९३९ में बेस था १००, जो १९४७ में जब पे कमेटी बैठी ३१० प्वाइंट हो गया, प्राइस इंडैक्स का बेस । वह आज ५४० हो गयी है । इतनी महंगाई बढ़ गयी है । इसको कम्पैन्सेट होना चाहिये और अगर नहीं होगा तो वेज इन्डायरेक्ट तरीके से काट लिया गया है । तो इस समय पे कमेटी का बैठाना लाजमी हो गया है । हमारे माननीय कृष्णानन्द जी ने कहा कि बहुत परेशानी हो जायगी । कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां इस प्रकार की परेशानी नहीं हुई है । वास्तव में आपको (सरकार को) तो मौका ही नहीं देना चाहिये कि आपको परेशान होना पड़े । आपको ऐसा इंतजाम करना चाहिये कि जिससे किसी को कहने का ही मौका न मिले । मेरा तो ३० साल का एक्सपीरियन्स है कि जब आप नहीं सुनते हैं तभी एम्पलाइज नोटिस देते हैं और उस समय तक नहीं सुनते हैं जब तक मामला क्राइसिस पर नहीं आ जाता। जब रेलवे और, डिफेंस के कर्मचारियों ने झगड़ा उठाया तभी गवर्नमेंट ने १० प्वाइंट की दर निश्चय की । ऐसी हालत में यह मांग बिलकुल जायज है और इसे स्वीकार कर लेना चाहिये । हमारे सूबे में सन् १९४७ में पे कमीशन बैठा था । तमाम सूबों में दुबारा पे कमेटी या पे कमीशन बैठे हैं । एक सूबे में तो कमीशन की रिपोर्ट लागू भी हो गयी है । परन्तु यहां यह सरकार कहती है कि प्रदेश की एकोनोमी में गड़बड़ हो जायगी और खर्चा कहां से करेंगे ।

यदि स्टेट की सरकार चाहती है कि उन्हें अच्छे आदमी मिलें बमुकाबले प्राइवेट सेक्टर के तो ये आपको उसी समय मिल सकते हैं जब आप अच्छी तनख्वाहें देंगे । दूसरी बात यह है कि तीसरी प्लान में वेलफेयर स्टेट का सिद्धांत है और ज्यों-ज्यों सोसाइटी की आमदनी बढ़े तो उसी हिसाब से सरकार के एम्पलाइज को भी मिलना चाहिये । सरकार खुद कहती है कि पैदावार बढ़ी है, लोगों की आमदनी बढ़ी है तो क्या यह सब २०–२५ बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेबों में चली गयी है ? इसके लिये कुछ ऐसा इन्तजाम करो कि उनकी जेब में न जाकर जो मामूली आदमी हैं उसकी जेब में जाये और उसकी आय बढ़े । तीसरी चीज यह है कि भ्रष्टाचार की बातें कहीं जाती हैं । भ्रष्टाचार बड़े आदमी तो ऐशोआराम के लिये करते हैं और गरीब करते हैं पेट के लिये । उसके खिलाफ तो आप कार्यवाही करते हैं परन्तु उनके खिलाफ कुछ नहीं । एक कांन्सटेबिल ६० रुपया तनख्वाह पाता है, एक डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिस का क्लर्क ६०, ७० या १०० रुपया पाता है । अगर आप उसके वेतन को नहीं बढ़ाते हैं तो इन्डायरेक्टली आप उसको घूसखोरी करने के लिये इन्करेज करते हैं । इन सब बातों को सोचते हुए सरकार को चाहिये कि वह अपने कर्मचारियों का लिविंग वेज कम से कम १५० रु० कर दे । आप अपने एम्पलाइज को ६०–७० रुपये दें और फिर उसके बाद शिकायत करें ।

एक सदस्य––

खेतिहर मजदूर को तो उतनी भी नहीं मिलती ।

[श्री संतसिंह यूसुफ]

खेतिहर मजदूर को भी मिलनी चाहिये। जब पेश करेंगे तो वह भी लिया जायगा। अगर प्राइवेट सैक्टर में ज्यादा वेतन मिलेगा तो सरकार की कैसे एफिशियेंसी बढ़ेगी, कि यह बात सदन में और बाहर उठाई जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज और स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाईज में जो डिस्पेरिटी है उसके कारण एफिशियेंसी नहीं बढ़ सकती है। यहां पर ४५० पे स्केल्स बना दिये गए हैं। आपको ५,६ केटेगरीज रखना चाहिये। कमिश्नर किसी सेक्रेटरी को बनाना है तो एक दम से ५०० रुपये तनख्वाह बढ़ा दी जाती है, क्या इससे समाजवाद बनेगा? समाजवाद का सिद्धांत यही है कि ऊपर वाले को नीचे लाइये और नीचे वाले को ऊपर उठाइये। गांधी जी ने कहा था कि ५०० रुपये अधिक से अधिक तनख्वाह होना चाहिये लेकिन आज महंगाई बढ़ गयी है तो आप १,००० रख लीजिये और नीचे वालों को ऊपर उठाइये। ऐसा करने पर ही डिस्पैरिटी दूर होगी। हिन्दुस्तान के अन्दर आमदनी बढ़ गयी उसका शेयर हर आदमी को मिलना चाहिये। लेकिन यह सब नहीं हो रहा है, यह कैसा समाजवाद है? गवर्नमेंट सर्वेंट को मेडिकल इलाज के लिये रिइम्बर्समेंट मिलता था लेकिन उसे आपने खत्म कर के अस्पताल से दवा दिलाना शुरू कर दिया। आज उसे अस्पताल में दवा नहीं मिलती।

आपने पुलिस के लिये पुलिस कमीशन नियुक्त कर दिया और पुलिस वालों के वेतन बढ़ा दिये। जो दूसरे आर्डिनेरी एम्पलाईज हैं उनके लिये कुछ नहीं किया। तो ऐसा क्यों किया गया कि स्टेट को चलाने के लिये डंडे की जरूरत है तो डंडेवालों को आपने खुश कर दिया। मेरा कहना है कि डंडेवालों को खुश रखते हैं तो योजना चलानेवालों को भी खुश रखिये, जो निर्माण का काम करनेवाले हैं उनको भी खुश रखिये जैसे टीचर, चपरासी, पटवारी और क्लर्क।

हम किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते लेकिन यदि सरकार नहीं सुनेगी तो ये झगड़े हमारे न चाहने पर भी होंगे, हड़ताल भी होगी, सरकार के खिलाफ भी भावना उठेगी और इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी।

श्री बसंतलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का संकल्प है उसके बारे में उनके भाषण को और जो संशोधन प्रस्तुत करते समय उग्रसेन जी और रियासत हुसेन जी ने बातें कहीं उनको मैंने ध्यान से सुना। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रस्ताव का संबंध हमारे प्रदेश के शासन की जो रीढ़ है कर्मचारी वर्ग, जिनके ऊपर शासन चलता है उनके जीवन से संबंध रखने वाला यह प्रस्ताव है और उनके जीवन संबंधी समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना हम सब का कर्त्तव्य हो जाता है। ज्यों-ज्यों महंगाई बढ़ती जा रही है त्यों-त्यों उनके खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और उनके वेतन की तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो वास्तव में यह एक विचारणीय प्रश्न हो जाता है। लेकिन इस प्रस्ताव के द्वारा जो एक स्थायी वेतन आयोग की मांग की गयी है मैं समझता हूं कि इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हम प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करते हैं, और अपने विचारों को उस अवसर पर व्यक्त करते हैं। समय समय पर पे कमीशन बैठे हैं और उन्होंने अपने प्रतिवेदन दिये हैं। यह स्वाभाविक है कि यदि स्थायी वेतन आयोग की स्थापना की जायगी तो उसका खर्चा बढ़ेगा और जब खर्चा बढ़ने का प्रश्न आयेगा तो उसके साधन भी जुटाने होंगे और साधन जुटाने में यह भी आवश्यक है कि हमें किसी न किसी रूप में जनता पर कर बढ़ाने होंगे या नये कर लगाने होंगे। जो थोड़ी ही देर पहले विरोधी पक्ष की ओर से प्रस्ताव वापस हुआ है उसमें यह कहा गया था कि इस वर्ष कोई नये कर न लगाये जायं और न कोई मौजूदा करों में वृद्धि ही की जाय। लेकिन साथ ही साथ यह मांग भी की जाती है कि एक नया खर्चा शासन के ऊपर लाद दिया जाय। तो यह बात कुछ समझ में नहीं आती। जो दलीलें दी गयीं उनको सुन कर बड़ा आश्चर्य सा हुआ। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तरफ ध्यान ज्यादा आकर्षित कराया गया। यह सही है कि उनकी संख्या बहुत है। माननीय उग्रसेन जी ने तो बड़ी उग्रता के साथ इस बात पर जोर दिया कि मुख्य सचिव के ५०० रुपये क्यों बढ़ा दिये गये और वह भी एक ही रात में बढ़ा दिये गये।

हमारा देश एक बड़ा देश है और उसके अन्दर अनेकों राज्य हैं। मानव समाज के अन्दर श्रमजीवी और बुद्धिजीवी, दो वर्ग प्राकृतिक रूप से बंटे हुये हैं । तो जिनसे शासन का कार्य चलना है, जिनके ऊंचे मस्तिष्क की आवश्यकता है यदि उनका हम सारे देशीय स्तर पर वेतन नहीं रखेंगे तो यह स्वाभाविक है कि उनकी मांग जब और जगह से होती है तो वे हमारे यहां से चले जायेंगे और हमारा शासन ठीक से नहीं चल पायेगा । मैं समझता हूं कि ऐसे सुन्दर प्रस्ताव के लाने में जब राजनीतिक दृष्टिकोण लाया जाता है तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । एक तरफ तो आप चाहते हैं कि शासन अच्छा चले और दूसरी तरफ आप उसके लिये लूपहोल्स पैदा कराना चाहते हैं कि अच्छे मस्तिष्क हमारे यहां न रहें जिससे शासन में ढिलाई आये और आपको आलोचना करने का मौका मिले। उच्च अधिकारियों के बारे में बार-बार यह तर्क प्रस्तुत होता है इधर से और उधर से भी। पौने चार लाख की संख्या सरकारी कर्मचारियों की बतायी गयी। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस संख्या के अन्दर यदि परसेंटेज लिया जाय तो तीन सौ से ऊपर के वेतन वाले ६ प्रतिशत कर्मचारी आते हैं । उनके बारे में माननीय नवल किशोरजी ने अभी काफी आंकड़ों के साथ दलीलें दी हैं कि यदि उन का वेतन बढ़ता है तो उससे फर्क अधिक न होगा। यह कहा जाता है कि आज ५ गुना दाम बढ़ गये हैं उसके हिसाब से वेतन बढ़ना चाहिये। भाई रियासत हुसेन जी ने लेखपालों का उदाहरण दिया तो मैं उनसे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पुराने पटवारी की तनख्वाह १२ रुपये थी और आज उनका सिलेक्शन ग्रेड ८५ रुपये है तो यह पांच गुने से भी बहुत ज्यादा है । इतनी तनख्वाह होते हुये लांछन लगाते समय सोचने की आवश्यकता है। चाहे जिस तरह से कहने का इनको अधिकार है लेकिन यह शोभा नहीं देता है। पुलिस के सिपाहियों का भी वेतन काफी बढ़ा है। वेतन मात्र बताया जाता है लेकिन महंगाई भत्ते का जिक्र नहीं किया जाता है और बीमारी वगैरह के लिये कहा जाता है । लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि दरख्वास्त देने पर सरकारी कर्मचारी को आर्थिक सहायता दी जाती है और १५०–२०० रुपये की कई किस्तें दी जाती हैं । जितनी सहानुभूति उनसे विरोधी दल को है उससे अधिक सरकारी पक्ष के लोगों को भी है ।

आज स्थायी वेतन आयोग की मांग के बजाय अगर ऐसा प्रस्ताव होता कि केंद्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में काफी अन्तर है और सरकारी कर्मचारियों की जो चार श्रेणियां हैं उनका एक लेबिल सारे देश में स्थापित कर दिया जाय तब तो हमको इसका स्वागत करने में हर्ष होता क्योंकि यदि रुपये की कमी होती तो केंद्रीय सरकार उसे पूरा करती ।

हमारे प्रदेश की ७॥ करोड़ जनता में से ८० प्रतिशत जनता खेतिहर है । हमारे बुजुर्ग दोस्त यूसुफ जी ने कहा है कि गेहूं की कीमत ३ सेर फिक्स कर दी जाय। लेकिन किसान इसके लिये कहां तैयार होता है । वह तो चाहता है कि उसका गेहूं डेढ सेर का बिके। हमारा सम्पर्क गांवों से रहता है । वह लोग अनाज डेहरियों में भरे रखते हैं और उसको निकालना नहीं चाहते हैं। पौने चार लाख जनता का ही ध्यान क्यों रखा जाय? सारे प्रदेश की जनता की आय का ध्यान क्यों न किया जाय? गांवों में लोग किसानों के यहां काम करते हैं । उन्हें क्या वेतन मिलता है। जैसे हमारे भाई उग्रसेन जी को ही ले लिया जाय। वे अपने यहां के हलवाहे को ६० रुपये भी नहीं देते होंगे। जब तक साधारण गांव की जनता का लेविल १०० रुपये पर हम नहीं ला सकते हैं तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा देने से हम उस प्रकोप को, उस बाढ़ को कैसे रोक पायेंगे? जब एक वेकेंसी होती है तो हजारों दरख्वास्तें आती हैं। सरकारी कर्मचारियों को तो अवकाश प्राप्त करने के बाद पेंशन भी मिलती है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करनेवालों को, किसानों के यहां काम करने वालों को कोई भी पेंशन नहीं मिलती है। जितने दिन वे काम करते हैं उतने दिन की उनको मजदूरी मिलती है । जब लोगों के सामान्य स्तर को न उठा पावें तो क्या यह आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारियों के चतुर्थ वर्ग का हम वेतन बढ़ा दें? मैं चाहता हूं कि तनख्वाह जरूर बढ़े लेकिन उसका एक स्तर देखना होगा। हमें अपने आय के साधन देखने होंगे। इस इमर्जेंसी के पीरियड में जब हम किसी प्रकार की आवश्यक मांगों को रखते हैं तो उधर से घोर विरोध होता है । एक तरफ हम स्थायी कमीशन को

[श्री बसंतलाल शर्मा]

स्थापना करें, लाखों रुपया खर्चा बढ़ाने की बात कहें, तो उसके लिये कोई साधन भी बताने की आवश्यकता थी। मैं उत्तम समझता अगर विरोधी पक्ष की तरफ से पे कमीशन की स्थापना के प्रस्ताव के साथ-साथ यह भी कहा जाता कि इस के आय के साधन इस प्रकार जुटाये जायेंगे, यह नये टैक्स लगाइये हम उसमें सहयोग देंगे, तो वह कुछ बात अच्छी जान पड़ती। केवल एक मांग करके एक वर्ग का ध्यान अपनी तरफ खींच लेने से लाभ नहीं होता।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करवा दीजिये। हम पूरा सहयोग देंगे।

श्री बसंतलाल शर्मा—

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण में जितना खर्चा पड़ेगा, मिलों को जितना मुआवजा देना पड़ेगा, उसका जो हिसाब-किताब बैठेगा, उसके बारे में जब-जब वह प्रश्न आया है तब-तब हमारे अनेक साथियों ने उत्तर दिये हैं। राष्ट्रीयकरण एक सुन्दर चीज है। समाजवाद में राष्ट्रीयकरण होना चाहिये लेकिन एकदम से एक साथ किसी राष्ट्रीयकरण की भावना ज्यादा लाभप्रद नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर में लोग टूटी-फूटी मोटर गाड़ियां ले जा कर अच्छा खासा पैदा कर लेते हैं। उनसे जितना पैसा वह कमा लेते हैं उतना हमारे परिवहन विभाग की नयी गाड़ियां नहीं कमा पातीं। हमारे परिवहन विभाग की पुरानी गाड़ियां ले जा कर वह अच्छा खासा पैसा पैदा करते हैं लेकिन सरकारी स्तर पर हम वह नहीं कर पाते। अनेकों कठिनाइयां हैं। तो वेतन कमीशन की जो मांग की गयी है यह समयानुकूल नहीं है। समय समय पर हमारी स्टैंडिंग कमेटियों ने मांग की है। सिपाहियों के वेतन बढ़ाये गये हैं। शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की गयी है। लेकिन जिस रूप में यह लाया गया है वह सुन्दर नहीं है। हमारी भी कर्मचारियों के प्रति सद्भावनायें हैं, कोई उनके विरोध में हम नहीं हैं। मैं इन शब्दों के साथ इस संकल्प का विरोध करता हूं।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह गैरसरकारी प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। मुझे खुशी हुई माननीय नवलकिशोर जी के भाषण को सुन कर। मुझे खुशी है कि माननीय नवलकिशोर जब गवर्नमेंट में नहीं रहते तो सच्ची बात कहते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार में पहुंच जाते हैं कुछ उनकी मजबूरियां हों, अंकुश हों, सही बात नहीं कह पाते। (व्यवधान) श्रीमन्, आंखें बदल जाती हैं। यह तो माननीय सदस्य जानते हैं कि जब वह सरकार में थे तो किस तरह से सरकार को बचाने की कोशिश करते थे और आज दिन बदल गया तो वह भी बदल गये, कुर्सी बदल गयी तो वह भी बदल गये। खुशी है कि उन्होंने सही बात कही।

श्रीमन्, हमने इस सदन में बारबार सुना है कि हम सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास धन नहीं है। हमने सदन में यह भी दलीलें सुनीं और बार-बार सुनीं कि हम समाजवादी समाज की रचना करने के लिये दृढ़प्रतिज्ञ हैं। हमने यह भी सुना कि पंचवर्षीय योजनायें जो हमने चलायी हैं वे सफल होंगी। हमारा धन बढ़ेगा और हमारे कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ेगा। श्रीमन्, स्वर्गीय माननीय पंत जी के दिल में जब यह भाव उत्पन्न हुआ कि हमको छोटे कर्मचारियों के प्रति भी कुछ न कुछ करना चाहिये तो उन्होंने १९४६ में सर्वप्रथम एक वेतन आयोग बनाया और उस वेतन आयोग के सदस्य हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त जी भी थे। वह एक समाजवादी कहे जाते हैं और मैं मानता हूं कि वह समाजवादी हैं लेकिन जब शासन की बागडोर उनके हाथ में आयी तो जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत यहां शासन करती थी कि चन्द उच्च अधिकारियों को वह तनख्वाहें बहुत अधिक देती थी और तमाम सुविधायें प्रदान करती थी, उसी प्रकार हमारे समाजवादी कहे जाने वाले माननीय गुप्त जी ने भी शासन की बागडोर सम्हालने पर चन्द सरकारी अधिका-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रियों की तनख्वाहें बढ़ायीं, पुलिस के अधिकारियों का वेतन बढ़ाया, सिविल सर्वाइज के आफिसर्स का वेतन बढ़ाया और श्रीमन्, जिनसे उनको काम लेना था, जिन कर्मचारियों के द्वारा अपनी कुर्सी को मजबूत करना था, केवल उन्हीं की तरफ उनका ध्यान सीमित रहा। श्रीमन्, डाक्टर सम्पूर्णानन्द के सभापतित्व में वह आयोग बना था जिसके वह सदस्य थे और उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में एक यह भी था कि जो डिस्पैरिटी है स्केलों में उसको कम किया जाय। लेकिन श्रीमन्, बजाय डिस्पैरिटी को कम करने के माननीय गुप्ता जी ने और डिस्पैरिटी को बढ़ाया। जैसा अभी माननीय सदस्यों ने कहा जितने सेक्रेटरीज या ज्वाइंट सेक्रेटरीज वगैरह हैं उनकी तनख्वाहें तो बढ़ायीं, पुलिस के कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ायीं, श्रीमन्, आप देखें एक स्पेशल पे की बुकलेट है जिसमें कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसके सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी या दूसरे सेक्रेटरीज को कोई स्पेशल पे न दी जाती हो। उधर दूसरी तरफ हमारे प्रदेश में लगभग ४ लाख कर्मचारी हैं जिनमें से श्रीमन्, तीन चार हजार कर्मचारी ऐसे हैं जो काफी तनख्वाह पाते हैं बाकी पौने चार लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह साढ़े चार सौ या चार सौ से भी कम है। उनको महंगाई भत्ता जो सौ या दो सौ तक पाते हैं ३० या ३५ रुपये मिलता है और २०० से ४०० तक को शायद ४० रुपया महंगाई भत्ता मिलता है। साढे चार सौ के ऊपर तो कोई महंगाई भत्ता ही नहीं है। इधर महंगाई ४० प्रतिशत बढ़ गई। श्रीमन्, आज यह प्रश्न क्यों सदन के सामने आया? इसलिये आया कि जिस वक्त इमर्जेंसी की घोषणा हुई ब्लैकमार्केटियर्स ने, व्यापारी वर्ग ने कीमतें बढ़ायीं। सरकार कीमतों को कंट्रोल न कर पायी और इधर तनख्वाहें उतनी ही रहीं। आप देखेंगे कि १ हजार करोड़ का सेचुरेशन था लोन का वह २ हजार करोड़ का गया हो गया और ४० प्रतिशत जो वस्तुयें थीं वह महंगी हो गईं और भत्ता केवल ३० प्रतिशत बढ़ा। माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के २ साल व्यतीत हो चुके लेकिन हम न तो प्रोडक्शन उतना बढ़ा पाये और न इनकम बढ़ा पाये। तो प्रश्न यह होता है, माननीय नवलकिशोर जी स्वयं सोचें, वह गवर्नमेंट के एक स्तम्भ हैं और कांग्रेस दल के एक प्रमुख नेता हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों हमारी योजनायें सफल नहीं हो पायीं। श्रीमन्, उन्होंने जिक्र किया कि हमने एकोनामी करने की कोशिश की, और डिपार्टमेंट को कम करने की कोशिश की गई।

श्रीमन्, हमारे डाक्टर अहमद साहब ने जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें आप देखेंगे कि जितने बजट यह सरकार बनाती है उसमें इनकम को तो कम एस्टीमेट करेगी और खर्च बहुत ज्यादा दिखायेगी। आप पेज ५ पर देखें ४४ ग्रांटों में २५ करोड़ ५५ लाख की बचत हुई है। एक तरफ तो श्रीमन्, कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब कर्मचारियों की तनख्वाहों को कैसे बढ़ायें, दूसरी तरफ हमारी इतनी बैड बजटिंग होती है। आमदनी कम दिखायेंगे और खर्चा ज्यादा दिखायेंगे और अन्त में आप देखेंगे कि डेफिसिट बजट पेश करके ज्यादा खर्चा दिखायेंगे और बाद को वह जाकर सरप्लस हो जायगा। २५ करोड़ की बचत हो जाय तो यह क्या सरकार के निकम्मेपन या इन्एफिशियेंसी का सबूत नहीं है? मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जानबूझ कर डेफिसिट बजट पेश किये जाते हैं कि सरकारी कर्मचारी जब अपनी मांग प्रस्तुत करें कि हमारा वेतन बढ़ाओ तो हम उनसे यह कह दें कि हमारे पास रुपया नहीं है। डेफिसिट बजट पेश किये जाते हैं। हम नया टैक्स लगाते हैं क्योंकि हमको तरक्की करना है। हमको रुपये की जरूरत है तो टैक्स लगाने की बात करते हैं और रुपये की बात करते हैं जिससे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह न बढ़ने पाये। अपनी बातों को छिपाने के लिये और अपनी बात को मजबूत करने के लिये इस तरह की दलील और बजट पेश किये जाते हैं। माननीय वित्त मंत्री, अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ तो भारतवर्ष के पत्रों में ही नहीं बल्कि विदेशी पत्रों में भी यह लिखा गया कि वित्त मंत्री जी समाजवादी हैं। आपके पास सरकारी कर्मचारी आये और उन्होंने यह कहा कि माननीय कमलापति जी अगर आप मुख्य मंत्री हो गये तो हमको उम्मीद है कि वेतन आयोग बन जायगा। अगर वे मुख्य मंत्री बनते तो उन लोगों का वेतन बढ़ जाता क्योंकि आप समाजवादी हैं। आप समाजवादी होने के नाते मशहूर हुये। तो ये कर्मचारी और इस सदन के सदस्य यह चाहते हैं कि कम से कम आप आज यह घोषणा कर

[श्री नेकराम शर्मा]

कि "आपकी मांग उचित है और आपके वेतन में वृद्धि होनी चाहिये और हम यह कोशिश करेंगे कि ऐसा वेतन बन सके जिससे अधिक से अधिक रुपया दे सकें।" माननीय नवलकिशोर जी ने सही बात कही। अगर एस्टीमेट कमेटी, इकोनामी कमेटी की रिपोर्ट को इम्पलीमेंट किया जाय तो कुछ इकोनामी हो सकती है। इकोनामी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि २० करोड़ रुपये की बचत हो सकती है लेकिन वह व्हाइट पेपर सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि किस तरह से स्कीम को काटकर २० करोड़ की बचत करने का विचार है। मेरी निश्चित राय है कि आप नया टैक्स न लगायें और आप यह सब बचत से पूरा करने का प्रयत्न करें। माननीय नवल किशोर जी ने सही कहा कि वेस्टेज को रोक कर बचत हो सकती है। उनका आरोप सही है। इकोनामी हो सकती है। उन्होंने कहा कि एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट और इकोनामी कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उन रिपोर्ट का अनुमान १० करोड़ का था लेकिन आपके अफसरों ने कहा कि ५ करोड़ की बचत हो सकती है। उन्होंने वेस्टेज होते हुये भी यह बात कही। तो जो इन छोटे कर्मचारियों की मांग है इससे यह मांग और मजबूती पकड़ती है। यह मजबूती इसलिये पकड़ती है कि आपके पास रुपया है, बैड बजटिंग है, डेफिसिट बजट पेश करते हैं और फिर टैक्स लगाने का बहाना निकाल लेते हैं जो बाद को बचत में चला जाता है। अगर आप इन लोगों को सही-सही वेतन दें तो देश का काम और भी अधिक हो सकता है। मार्क्स के कहने के अनुसार according to needs and according to capacity सब को मिलना चाहिये। यह आप किसी को नहीं देते हैं। ये यहां पर पत्रकार बैठे हुये हैं। इनसे मालूम किया जाय कि जब अंतिम सप्ताह होता है महीने का तो कहते हैं कि अंतिम सप्ताह है एक पैसा भी पास में नहीं है। सारी गाड़ी तब उधार से ही चलती है। १५ तारीख के बाद यह हालत हो जाती है। १०० रुपया पाने वाला भी उसी भाव से चीनी खरीदता है और हजार रुपया पाने वाला भी उसी भाव से चीनी खरीदता है और तीन हजार पाने वाला भी उसी भाव से खरीदता है। इसके लिये कोई आप तरीका निकालिये। दूसरे देशों में कम वेतन पाने वालों के लिये सबसिडी मिलती है। मगर यहां पर ३०, ४० रुपया पाने वाला भी आपकी रिलीफ शाप से उसी भाव में गेहूं खरीदता है और ३ हजार पाने वाला भी उसी भाव खरीदता है।

यह सदन में घोषणा की गई थी कि बड़ी इकोनामी की जायगी। पूरा कम्पार्टमेंट नहीं लिया जायगा, पूरी वैगन नहीं ली जायगी, यह भी घोषणा की गई थी कि छोटी गाड़ी रखेंगे और पुलिस गार्ड नहीं रखेंगे। लेकिन मान्यवर, क्या देखते हैं कि पुलिस गार्ड रहते हैं। हमको तो जरूरत इस बात की थी जब इमर्जेंसी आई तो हमारे पुलों पर और नहर के पुलों पर पुलिस रहती लेकिन माननीय मंत्री जी, जो अपने को समाजवादी कहते हैं, उन्होंने पुलिस गार्ड अपने घर पर रख छोड़ा है और पुलिस गार्ड को नहीं हटाया है। इस तरफ सरकार ने कोई इकोनामी नहीं की। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि उनको न तो शैडो की जरूरत है और न गार्ड की। जब मंत्री नहीं थे तब भी कोठी में रहते थे और हो गये हैं तब भी उसी कोठी में रहते हैं। श्रीमन्, मैं निवेदन करता हूं कि सरकार को जितनी इकोनामी हो सकती है वह करनी चाहिये। वह सोचते सही हैं लेकिन वह कर नहीं पाते, लेकिन वह समय दूर नहीं है और आपको वह शुभ अवसर जरूर प्राप्त होगा और उस समय जैसा नवलकिशोर जी ने कहा, आप एक आयोग को जरूर बनायें।

श्रीमन् दूसरी तरफ आप देखें कि हम लोगों ने एक बार मांग की थी कि सरकार यह स्पेशल पे को समाप्त कर दे। इमर्जेंसी है, हमें इकोनामी करनी है और इन हालात में आप इनको क्यों नहीं समाप्त कर देते? यह कहना कि अमुक अफसर गवर्नमेन्ट आफ इंडिया में जा रहा था इसलिये उसको हमने स्पेशल पे देकर रोक लिया। क्या इसके माने यह नहीं हैं कि वह ही केवल एफीशियेन्ट है और बाकी अफसर इनएफीशियेन्ट हैं? अगर वह जाता है तो उसे आप जाने दीजिये, लेकिन प्रलोभन दे कर, तनख्वाह बढ़ा कर उसे रोकना ठीक नहीं है। यह स्पेशल पे कई लाख रुपये महीने की बात है जिसकी बचत की जा सकती है। इसके

बाद जो सुपरफ्लुअस विभाग बन गये हैं, जैसे बदरीनाथ टेम्पिल विभाग, उनको भी आप समाप्त करिये। रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन आदि विभागों को वित्त विभाग में ही शामिल किया जा सकता है। अलग-अलग विभाग होने से तमाम अलग-अलग अफसर होते हैं और खर्च बढ़ता है। कम से कम विभाग रखिये और उच्च अधिकारियों की तनख्वाह कम रखिये। अफसरों की स्पेशल पे समाप्त कर के गरीब कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाइये। आपने देखा होगा कि दारुलशफा के कर्मचारियों की तनख्वाह पठान जो दरवाजे पर ही खड़े रहते हैं, उन से छीन लेते हैं। उन पर हमारी कोआपरेटिव का ३२ लाख रुपया कर्ज है और वह इस बात का प्रतीक है कि उनकी हालत खराब है। दयनीय दशा है उनकी और खास कर इसलिये कि ४० फीसदी महंगाई बढ़ गयी उनकी मांग जायज है। इसलिये मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि वे एक ऐसे आयोग की स्थापना करें जिसे वेतन निश्चित करने का पूरा अधिकार हो, सर्विसेज का केडर तय करने का अधिकार हो, यह भी उसे देखना चाहिये कि कौन-कौन टैक्स देने के योग्य है क्योंकि हमारे ७४ फीसदी आदमी गांव में रहते हैं और उनकी कैपेसिटी टैक्स पे करने की नहीं है। उनका सर्वे होना चाहिये। वह आयोग मूल्यों का, वेतन का, किसान की पैदावार का निर्णय करे, किसान टैक्स देने के योग्य है या नहीं यह देखे, इस सब के लिये उसे व्यापक अधिकार मिलना चाहिये। हमने समाजवादी समाज की स्थापना की है लेकिन इन १५ सालों में हम वहीं के वहीं हैं। नेहरू जी कहते हैं कि पता नहीं हमारी आमदनी कहां चली गयी। हम पिछड़े ही हैं। तो ऐसी हालत में जरूरी है कि ऐसे आयोग की, भले ही हम उसका कुछ भी नाम रखें, स्थापना करें और वह अपनी रिपोर्ट हमें दे।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के विचारों को मैंने प्रस्तुत संकल्प के विषय में सुना। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जो लोग अपनी ईमानदारी को छिपाकर अपनी लंगड़ी दलीलों को सदन में रखना चाहते थे वह नहीं रख पाये, क्योंकि "It is the substance which counts and not the form of it." कोई भी तर्क और दलील हो उसके सब्सटेंस को जिन शब्दों में रखा जाता है, आवरण उसको कैसा ही पहना लीजिये, लेकिन असलियत सारे सदन में दिखलाई देती है। माननीय कृष्णानन्द जी जो इस सदन के सदस्य हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके लिये बड़ा मुश्किल हो गया सच्चाई को छिपाना। उन्होंने कहा कि मैं प्रस्तुत संकल्प का विरोध करता हूं, लेकिन मैंने देखा कि उनके तर्जे स्पीच से जाहिर था कि वह भी इस बात से मुत्तफिक राय रखते थे कि इस संकल्प के साथ उनकी सिम्पैथीज हैं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने बड़ी ईमानदारी के साथ जहां तक हो सकता है इस संकल्प पर विचार प्रकट किये और अपने-अपने विचारों को इस सदन में रखने की कोशिश की। हमारे नवल किशोर जी ने जो कुछ कहा है, बड़ी ईमानदारी के साथ कहा है। उन्होंने सब कहीं ईमानदारी करने की कोशिश की, केवल एक ईमानदारी वह छोड़ गये कि मैथेमेटिक्स और अरिथमेटिक के साथ उन्होंने ईमानदारी की बात नहीं की। क्योंकि वह जानते तो हैं और उनके तर्क से मालूम होता था कि वह इस अरिथमेटिक को समझते हैं और मैं समझता हूं कि किसी भी भाई के दिमाग में कोई दो राय इस के सम्बन्ध में हो नहीं सकती। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं महंगाई की ओर। यानी सेंट्रल सर्विसेज के जो नौकर लखनऊ में स्थित हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के नौकर जो लखनऊ में स्थित हैं दोनों के महंगाई भत्ते में फर्क है। क्या कोई भी अरिथमेटिक का ज्ञाता इस बात को समझा सकता है? हिन्दुस्तान का या ग्रीक का मैथेमेटिक कोई अलग हो तो बात दूसरी है, लेकिन क्या दुनिया के परदे में कोई मैथमेटिशियन बता सकता है कि देहली सरकार के एम्प्लाई के लिए लखनऊ में बाजार भाव चीजों के ऊंचे हैं और यहां की सरकार के एम्प्लाई के लिए लखनऊ में भाव नीचे हैं? यह कैसे हो सकता है? अगर महंगाई है तो एक ही कैडर के लिए एक ही बाजार है। एक ही सामान उस बाजार में मिलता है। वह कौन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

मैथेमेटिशियन है जो कहता है कि दो अलग-अलग महंगाइयां होनी चाहिये। मुझे बड़ा खेद है कि जिस हिन्दुस्तान में गणेशप्रसाद जैसे मैथेमेटीशियन पैदा हुए हों उस मुल्क के लोग अगर इस प्रकार की अरिथमेटिक से मुल्क के मसलों को हल करने में मदद लेते हैं तो मैं समझता हूं कि वह दिमाग के अंधे हैं, दिमाग के रांडे हैं और कामनसेंस से बिलकुल खारिज हैं। (तालियां) अगर कोई सेंस जैसी चीज है तो उनके अन्दर वह सेंस ही नहीं, वह तो नान-सेंस है। (तालियां)। हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी लिखा-पढ़ा इसको जस्टिफाई कर नहीं सकता।

क्या कोई इन्कार कर सकता है कि पहले पे कमीशन ने सन् १९४६ में बाजार भावों के अनुसार अलग-अलग तनख्वाहों की अलग अलग कैटेगरीज बना दीं? जो सन् १९४६ में बाजार भाव थे और जो बाजार भाव आजकल हैं, उनसे उनका मुकाबिला किया जाय। वह कौन-सा फाइनेन्स है, वह कौन सा दिमाग है जो इसमें कोई फर्क नहीं देखता और अगर फर्क देखता है तो कमीशन की नियुक्ति में क्या दिक्कत है। अगर फर्क है तो पे स्केल जरूर रिवाइज होना चाहिये, पे कमीशन बैठना चाहिये। इसके साथ साथ यह जरूर है कि जब हम पे स्केल बढ़ाने की बात करें तो उसके फाइनेन्सेज कहां से आयेंगे, उस पर भी विचार करना चाहिये। उसके लिये माननीय कमलापति त्रिपाठी, वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे उसका उत्तर देंगे कि कहां से फाइनेन्सेज को इकट्ठा किया जा सकता है। यह काम उनका है।

एक बात और कहना चाहता हूं। हम लोग कांग्रेस के कैन्डीडेट हैं। पुराने जमाने में हमने एक घोषणा की थी कि मुल्क के अन्दर जो डिसपैरीटीज हैं उनको खत्म होना चाहिये, हम उसको खत्म कर देंगे। आज हम उस डिसपैरीटीज को खत्म करने के बजाय और बढ़ाते चले जा रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है। हमें यह देखना चाहिये कि आखिर जिन सूबों ने अपने यहां पे कमीशन की नियुक्तियां कीं, वेतनों को बढ़ाया, क्या उनका दिमाग खराब था? आज यहां भी उसी प्रकार अगर मंहगायी का भत्ता नहीं बढ़ता, तो यह यहां के लोगों के साथ अन्याय होगा। जो भी छोटे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये। जिनको ३ हजार रुपया मिलता है उनका वेतन हरगिज नहीं बढ़ना चाहिये। ऐसे लोग, मैं समझता हूं, पढ़े लिखे लोग हैं। उनको स्वयं समझना चाहिये और अपने वेतनों में से स्वयं, वालन्टीयरिली, कट कर देना चाहिये। मैं पूछता हूं कि एक तरफ उनको ऊंची-ऊंची तनख्वाह देना, दूसरी ओर इतनी कम तनख्वाह देना, इसका क्या आर्थिक मापदंड आपने रखा है? मैं बड़े अदब के साथ यह दरख्वास्त करना चाहता हूं, और खास कर उन सरकारी अधिकारियों से जो ऊंची-ऊंची तनख्वाह पाते हैं, भगवान ने उनको बहुत ऊंचा स्थान दिया है, वे मुल्क के गरीब लोगों के साथ न्याय करें, अपने वेतन में स्वयं कटौती करें और बढ़े हुये वेतन को घटा दें। ऊंची तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों का वेतन बढ़ाने का प्रश्न मुल्क में उठना ही नहीं चाहिये और अगर कोई उठाता है तो वह मुल्क के साथ अन्याय करता है।

एक बात और कहना चाहता हूं वह यह कि केवल हमदर्दी दिखा देने से काम नहीं चलेगा। यह कोरी हमदर्दी है जो मैंने और मेरे मित्रों ने बखेरी है इसलिये जब तनख्वाहों के बढ़ाने के बाद टैक्स लगाने की बात आये तो हमको उसका समर्थन करना चाहिये कि टैक्स बढ़ाये जायं। हम कहते हैं कि टैक्स लगाये जायं, लेकिन उन लोगों पर टैक्स लगाये जायं जिन लोगों की टैक्सों को देने की कैपेसिटी है। छोटे लोगों पर टैक्स लगाने का मैं घोर विरोधी हूं। हमेशा गरीबों को कुचला जाना ठीक नहीं है। यह बात बिलकुल सही है कि बड़ी आमदनी वाले सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की चोरी करते हैं। उनके ऊपर सरकार का करोड़ों रुपया है, लेकिन फिर भी सरकार उनसे कुछ नहीं कहती। सरकार उनको इन्डस्ट्री चलाने के लिये कर्जा भी देती है, लेकिन उनसे रुपया तो क्या ब्याज भी वसूल नहीं कर पाती है, जबकि दूसरी ओर गरीब लोगों को ८-८ रुपये के लिये जेल भेज दिया जाता है। किसी पूंजीपति को जेल नहीं भेजा जाता है। मैं अपने अधिकारियों और साथियों से पूछना चाहता हूं कि एक ही बाजार में न्याय के दो भाव क्यों हैं। इसलिये मेरा कहना है कि सब लोगों पर इक्विटेबिल टैक्स लगाया जाय। हर एक की पेइंग कैपेसिटी अलग-अलग है। इन सब बातों को देखते हुए मैं

बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो कोई भी भाई मुल्क के साथ न्याय करता है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ में यह भी बता देना चाहता हूं कि हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि यह रुपया कहां से आयेगा नहीं तो इस सिम्पैथी के कोई मानी नहीं रहेंगे।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी इस सदन की बधाई के पात्र हैं। जिनकी पार्टी समाजवाद के विरोध में बोलती हो, उन्होंने समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित प्रस्ताव लाकर इस सदन में अपने को समाजवादी घोषित कर दिया है, यह छोटी बात नहीं है। एक बात और देखने सुनने में आयी कि उस तरफ की बड़ी-बड़ी हस्तियां जब गुप्ता मंत्रिमंडल में बंधी हुई थीं तो ऐसी थीं जैसे शेर पिंजड़े में बंधा हो, जब वह बंधन टूट गया तो उन्होंने दहाड़ना शुरू कर दिया। इसी सदन में 'मां की पुकार' पर माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद और माननीय नेकराम जी अलग-अलग बोले थे। लेकिन आज वे दोनों एक हैं। मैं तो कहता हूं कि यह प्रस्ताव टम्बेश्वरी प्रसाद जी का नहीं है। यह प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता का है, यह पुकार इस सदन की ही नहीं है भारत मां की पुकार है। माननीय मुख्य मंत्री जी जो इस समय नहीं हैं, उनको यह पुकार सुननी पड़ेगी जो माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद और नेकराम जी ने मिल कर उठाई है। यह मैं क्यों कहता हूं, मैं ने अभी एक दोहा बनाया है—

पद पर रहते और कुछ, पद से हटते और,
रावत नवलकिशोर पर, अब कर लो तुम गौर।

अगर यही सिलसिला जारी रहे तो उधर जो बन्द हृदय के किवाड़ हैं वे खुलते हुए नजर आयें और इस सदन के ४३१ सदस्यों की सही आवाज जनता के सामने आ जाय। मैं कहता हूं कि कामराज प्लान को आप और सख्त करें तो हमारे शास्त्री जी जो पहले इधर थे अब उधर चले गये हैं जिससे उनके खुले किवाड़ अब बन्द हो गये हैं, वे उधर से इधर आ जायं तो फिर वही आवाज उठाने लगें जो हमारी है। श्री कृष्णानन्द राय जो अभी उम्मीद अपने लिए लगाये हुये हैं, उनसे भी मेरा कहना है कि अगर उनकी वह उम्मीद खतम हो जाय तो वे भी श्री टम्बेश्वरी प्रसाद के इस संकल्प का ९९ प्रतिशत समर्थन करेंगे। आप देखें कि इस स्टेट का वेतन आयोग सन् १९४६ में बना था, उसके बाद १९६३ में क्या परिस्थितियां पैदा हुई हैं। अन्य राज्यों में वेतन आयोग कायम हुए लेकिन यहां नहीं कायम हुआ। जिनकी आमदनी ज्यादा है उनकी वह तो बढ़ती गयी और जिनकी आमदनी कम है वह घटती गयी। अर्थशास्त्र के बनाने वाले और माननीय वित्त मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी जी जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूप हैं, वे जरा इस पर सोचें कि इस प्रदेश की लक्ष्मी तथा इस भारत की लक्ष्मी उत्पादन से है। उन चीजों के रूप में है जिनका सही माने में हम उपभोग करते हैं। जैसे खाना, कपड़ा, दवा, शिक्षा आदि। उन चीजों को किसान व श्रमिक पैदा करते हैं जिनसे सरमायेदार लेकर जखीराबाजी करते हैं और महंगाई को बढ़ाते जाते हैं। उद्योगपति अपने कारखाने में जो चीजें पैदा करते हैं उनको महंगे दामों पर बेचते हैं। वे तो मसनूई (बनावटी) कीमतें दिखलाते हैं और अपने यहां पैदा की हुई चीजों की जखीरेबाजी व मुनाफाखोरी भ्रष्ट नौकरशाही के बल पर करते हैं। माननीय जयराम जी मुस्करा रहे हैं लेकिन वे जानते हैं कि आई० सी० एस० व आई० ए० एस० जिस घोड़े पर वे सवार हैं वे उनको उछाल कर फेंक देते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि तुम क्या सवारी कर पाओगे? इसीलिये मैं कहता हूं कि उद्योगपतियों द्वारा इन अधिकारियों को लम्बी-लम्बी रकमें रिश्वत के रूप में दी जाती हैं और उनके सेल्स टैक्स व इन्कम टैक्स में कमी कर दी जाती है। इसका नतीजा यह है कि जो मोटा है वह तो और मोटा होता जा रहा है और जो गरीब है उसकी गरीबी बढ़ती जा रही है। आज तो मुनाफाखोरी और मंहगाई बराबर बढ़ती जा रही है।

श्रीमन्, २० अक्तूबर, १९६२ को जब चीन ने हमारे देश पर हमला किया तो हमारे राष्ट्र ने एक हुंकार ली कि हम चीनी आक्रान्ता को अपने देश से बाहर निकाल देंगे। उस मौके पर क्या इन नौकरशाहों ने अपनी तनख्वाह कम की? रिपोर्ट में आता है कि यह इमर्जेन्सी पीरियड

[श्री दीपनारायणसिंह]

है, तो क्या ऐसे मौके पर वे १००० या ५०० रु० में अपना गुजारा नहीं कर सकते थे ? कर सकते थे, लेकिन वे इसके नीचे नहीं आये, इनके नीचे जो क्लर्क बेचारा है वही असली काम करता है और वही मरता गया। ओवरसियर से ऊपर तक नहर और पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर लूटते हैं। वेतन १५० रु० से २०० रु० तक की हैसियत वाले का क्या हाल है. यह महंगाई उन्हीं की पैदा की हुई है। शक्कर पर आपने कंट्रोल लगाया उससे इन पूंजीपतियों ने कम से कम ४४ करोड़ का मुनाफा तो कर ही लिया होगा। जिनके पास कंट्रोल की दूकान हों और इंस्पेक्टर और सप्लाई वालों ने कितना कमाया है उसकी आप सी०आइ०डी० से इन्क्वायरी करावें तो पता चल जायेगा। दिखाने के लिये वह १०० रुपये में काम करते हैं और कहते हैं कि हम तो कम से कम वेतन में काम करना चाहते हैं जैसे कि माननीय श्रीपाल सिंह के यहां जमींदारी के जमाने में उनका सिपाही उनके पास ४ रुपये मासिक पर काम करता था लेकिन समझावन बुझावन लगा कर किसानों को लूटता था वैसे ही आप की यह समझावन बुझावन वाली नौकरशाही नीचे से ऊपर तक आज जनता को लूट रही है। दूसरी तरफ आप अपना समाजवाद लिये बैठे हैं। जरा आप दिल से बोलिये और असलियत को देखिये। आज जब रावत जी बोले तो मालूम होता था कि पहाड़ की कन्दरा से निकल कर चीता बोला है। सही बात कही लेकिन जरा आप सच्चाई को देखिये सेक्रेटरियट असोशियेशन वालों ने जो पर्चा बांटा है उसमें इस समय ४२२ प्वाइंट महंगाई का जिक्र है और ऐसी हालत में क्या कोई २०-२५ या ३० रुपया मासिक में गुजर कर सकता है ? हमारे यहां फतेहपुर नगरपालिका का मेहतर मय महंगाई के आज २५ रुपया मासिक पाता है जबकि उस के बीबी बच्चे सब को काम करना पड़ता है, तो वह किस तरह से अपनी गुजर कर सकता है ? अगर कोई एम० ए०, बी० ए० तक किसी अपने लड़के को पढ़ाता है तो उसके १००-१५० रुपया मासिक खर्च होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके भी लड़का होगा और आपने भी उसे एम० ए०, बी० ए० तक पढ़ाया होगा तो आपको मालूम होगा कि १००रु० से काम नहीं चला होगा और आपने उसको १५० रुपया मासिक दिया होगा और अगर वह सिनेमा जाता होगा तो २०० रु० भी आपसे लेता होगा। लेकिन अगर कोई सिफारिश न हो तो आज एम० ए०, बी० ए० को १०० रुपये से ज्यादा नौकरी नहीं मिल सकती है। आप ईमानदारी से देखें कि आपके समाजवाद के नारे के साथ यह कीमतें क्यों बढ़ीं हैं और उनका बोझ किस तबके पर कितना बढ़ा है, चाहे आप छटनी करें या बढ़ावें लेकिन आप एक सामंजस्य अवश्य स्थापित करें। अगर आप सही बात का पता लगावें तो आपको नारद जी की तरह अपनी तस्वीर साफ शीशे में नजर आयेगी, जब वह इंद्र के यहां से आये तो साफ पानी में उन को अपनी शक्ल बन्दर की सी दिखाई दी। यह समाजवाद की शक्ल में पूंजीवाद का चेहरा है। इतना कहने के बाद मैं बैठता हूं और अन्त में कहता हूं कि भारत मां की इस पुकार को सुनें जिस पर बड़ा बवंडर उठा था।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री बेचनराम....।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

मैं आप की आज्ञा से श्री दीपनारायण सिंह जी से एक स्पष्टीकरण चाहता था, उन्होंने कहा कि समाजवाद बढ़ा तो महंगाई बढ़ी है लेकिन महंगाई तो समाजवाद आने से बढ़ी है, पहले तो वह नहीं थी। तो महंगाई समाजवाद का फल है उसको सिर से उतार लिया जाय तो महंगाई अपने आप भाग जायगी।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

श्रीमन्, कुछ लोग तो रोज बोलते हैं, और कुछ का नम्बर महीने में भी नहीं आता है, आप प्रोसीडिंग्स देख लें। मैं पूरी फोर्टनाइट में गायब रखा गया हूं।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

माननीय सदस्य ने जो कहा है वह बिलकुल गलत मालूम होता है।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---

माननीय हरी सिंह जी ने क्या कहा वह मैं समझ नहीं पाया।

श्री उपाध्यक्ष---

हटाइये उसे, जब समझे ही नहीं तो क्या बात है।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, जो गैरसरकारी प्रस्ताव है वह बहुत ही व्यापक मालूम देता है, लेकिन जो बहस हो रही है उसका मुख्य उद्देश्य राज्य के कर्मचारी वर्ग का विषय हो गया है। प्रस्ताव इस प्रकार है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार प्रदेश में एक वेतन आयोग की स्थापना स्थायी रूप से कर दे जो वस्तुओं के मूल्य, वेतन की दरों तथा अन्य सामाजिक विषयों को देख कर समय-समय पर अपनी रिपोर्ट देता रहे।" इसका उद्देश्य है कि सरकार वेतन आयोग स्थापित करे जो वस्तुओं के मूल्य तथा वेतन की दरों तथा सामाजिक स्थिति को देख कर समय-समय पर अपने विचार प्रस्तुत करे। मुझे कहना है कि इस आयोग की परिधि क्या होगी, यह देखने की बात है उन तमाम कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में जो यहां काम करते हैं, चाहे सरकारी हों, गैर सरकारी हों, स्थानीय निकायों में हों, चाहे कम्पनीज में हों, चाहे श्रमिक हों देहात के, उन सभी पर इसकी परिधि रख सकते हैं तथा इस आयोग की परिधि इतनी विस्तृत होगी, कितने सदस्य होंगे, किन-किन विषयों पर कितना समय देंगे, कैसी सिफारिश होगी यह सब काफी विस्तृत विषय है। यदि ऐसा कोई आयोग बनता है तो ठीक है, बढ़ती हुई इकोनामी में उनका वेतन निर्धारित होना चाहिये, लेकिन जैसा प्रस्ताव का आशय है उससे लगता है, तथा जैसा विरोधी सदस्यों ने कहा है, कि उसका मुख्य उद्देश्य केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---

मैं साफ कर दूं कि केवल इतना ही अर्थ नहीं है।

श्री बेचनराम---

जो सदस्यों ने मुख्य रूप से स्ट्रेस किया है वही बता रहा हूं। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, अपना जीवन-यापन नहीं कर पा रहे हैं और उनका वेतन बढ़ना चाहिये। माननीय उग्रसेन जी ने तो उनको अप्रत्यक्ष रूप से क्रान्ति करने को कहा है कि वह राजनीति में भाग लेकर अपनी लड़ाई लड़ें। यह मैं समझता हूं उनकी कंडीशन आफ सर्विस के तथा संविधान के खिलाफ है जिसकी वह शपथ लेते हैं। जो कुछ उनको कहना है वह अधिकारियों से अनुमति लेकर अपनी असोसियेशन कायम करके संवैधानिक लड़ाई लड़ सकते हैं और इसका अधिकार उनको सदैव है, लेकिन यह प्रदर्शित करना कि हम तो केवल आपके लिए ही कर रहे हैं, हम ही आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, ठीक नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह मन्तव्य शुद्ध नहीं है। हमारे माननीय सदस्य ने एक बात कही कि सरकारी कर्मचारियों को चाहिये कि वे सोशलिस्ट मूवमेंट में हो जायें तो उसका मतलब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेचनराम]

होगा कि वे हमारे संविधान के प्रति निष्ठावान् नहीं हैं। यह सब अनौचित्यपूर्ण बात है, जो किसी माननीय सदस्य को नहीं कहनी चाहिए।

श्रीमन्, सरकारी कर्मचारियों के बारे में मैंने एक निवेदन पहले भी किया था कि यह एक बहुत ही टैक्नीकल बात होती है। हमारे प्रदेश में इतने विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेन्ट हैं, उदाहरणार्थ इंडस्ट्रीज, हाइडिल, एजूकेशन, और हमारे प्रशासकीय डिपार्टमेन्ट, मिलिटरी और तरह-तरह के विभाग हैं। सब की तरह-तरह की अपनी टैक्नीकैलीटीज अपनी-अपनी प्राविधिक स्थिति भिन्न-भिन्न हैं। उन स्थितियों में कोई प्राविधिक (एक्सपर्ट) ही उन बातों को देख सकता है कि कौन-कौन से कर्मचारी कठोरतम कार्य करते हैं और उनके क्या स्केल हो सकते हैं, इसलिये यह उचित नहीं होगा कि एक वेतन बोर्ड हो और वह सारे सरकारी कर्मचारियों की टैक्नीकल और नान टैक्नीकल, मिलिटरी और सिविल की जांच करे और सब की मांग की पूर्ति करे।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने समय-समय पर कमेटियां और वेतन बोर्ड बैठाये कि वे इस प्रकार की इंक्वायरी करें और रिपोर्ट दें। बहुत-सी कमेटियों की रिपोर्ट सरकार के सामने आती हैं। उन कर्मचारियों की सुविधाओं के बारे में उनकी वैधानिक स्थिति के बारे में, उनके परिवर्तन के बारे में। उनकी सेवा नियमावली सरकार के सामने आती रहती हैं।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि सरकार के पास एक इंस्पेक्टर आफ औफिसेज है। यह एक ऐसी पोस्ट है जिसका काम यह है कि प्रत्येक कार्यालय में, प्रत्येक संस्था में जाकर यह पता लगाये कि उस कार्यालय में कर्मचारियों के पास कितना-कितना वर्कलोड है. कितना वेतन मिलता है। उन तमाम बातों पर जाने का उन्हें अधिकार है और वे अपनी रिपोर्ट, अपनी टिप्पणियां सरकार के पास भेजते हैं। इसी प्रकार से एक आडिट आफिसर जो हैं वे भी कर्मचारियों के वर्कलोड के बारे में, उनके वेतन की, सुख-सुविधाओं की रहन-सहन की, क्वार्टर आदि के सम्बन्ध में उनकी मेडिकल और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेजते हैं और सरकार उनके ऊपर समय-समय पर उनके वेतन को बढ़ाती है।

श्रीमन्, हमारे माननीय सदस्य को फोर्थ क्लास एम्प्लाइज के बारे में बहुत बड़ी आपत्ति है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार भी चाहती है कि उनका स्तर बढ़ावे, परन्तु उनके पास कोई मापदंड नहीं कि ऐसा न्यूनतम वेतन रखे जिससे उनकी आवश्यकता पूरी हो सके। फोर्थ क्लास एम्प्लाई का कार्य भी इतना ही होता है कि वे सामान्यतः कुछ फाइलें ले जावें। उनका कोई टैक्निकल काम नहीं होता है, न उनकी विधि सम्बन्धी उत्तरदायित्वों की जिम्मेदारी होती है कि जिसके लिए एक बहुत बड़ा वेतन आयोग बैठाया जाय। उनके बारे में कोई न्यूनतम वेतन रख दी जाय जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इतने से ही समस्या का हल होने वाला नहीं कि फोर्थ क्लास के एम्प्लाईज की तनख्वाह बढ़ा दी जाय और ४ १/२ लाख कर्मचारियों के लिए एक वेतन बोर्ड बैठा दिया जाय, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के अलावा और भी कर्मचारी हैं चाहे वे जमींदार के हों चाहे किसी सरकारी अफसर के हों आदि आदि, उन सब का ध्यान रखना है, इसमें एक बड़े क्रान्तिकारी आर्थिक प्रश्न की बात आती है जिसके बारे में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में एक नीति निर्धारित की गयी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एम्प्लायमेंट और प्राइसेज के बारे में स्पष्टतया नीति का निर्धारण कर दिया गया है। हमारे प्लानिंग कमीशन की क्या धारणा है और कांग्रेस की क्या नीति उस बारे में है वह मैं आपसे निवेदन कर दूं। सेकेन्ड फाईव ईयर प्लान में ८ मिलियन एम्प्लायमेंट क्रियेट की गयी है जिसमें ६.५ मिलियन एम्प्लायमेंट नान-ऐग्रीकल्चरल क्षेत्र में था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी इसी तरह से किया गया और १५ वर्षों में उसके अन्दर ७० मिलियन एम्प्लायमेंट पैदा करने की क्षमता हमारे प्लान के बना-

ने वालों ने रखी थी। २३ मिलियन चतुर्थ में, १७ विलियन तृतीय में और ३० मिलियन पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। हमारे योजना के निर्माताओं ने आगामी वर्षों में एक्सपोर्टेबिल कमोडिटीज के बारे में कहा कि इनकी प्राइसेज बढ़ जायेंगी जिससे हम अधिक मुद्रा कमा सकेंगे और हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले सालों में गेहूं की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। खाद्यान्नों के मूल्यों के बारे में कांग्रेस सरकार का स्पष्ट एलान रहा है कि उसकी कीमतें बढ़ने नहीं दी जायेंगी। तब फिर वेतन आयोग बनाने की आवश्यकता समझ में नही आती, क्योंकि समय-समय पर विभागीय कमेटियों द्वारा हमें सुझाव मिलते रहते हैं और सरकार उन सुझावों को कार्यान्वित करने पर कटिबद्ध रहती है।

एक बात और कहना चाहता हूं। सन् १९४८ का न्यूनतम वेजेज ऐक्ट लागू हुआ है वह गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर और जिला के स्तर पर भी लगाया जाय। यहां शहरी लोगों से गुनी चौगुनी हमारे किसानों में है। केवल शहरी कर्मचारियों के लिये इस प्रकार लाभ का प्रस्ताव लाकर रखना उचित नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, हमारे मित्र काशीनाथ जी मिश्र कुछ कह रहे हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। समाजवाद की जितनी परिभाषायें हुई हैं उनमें सोशलिस्ट पार्टी की अपनी अलग परिभाषा है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस भी अब जयपुर में डिमोक्रेटिक सोशलिस्म की परिभाषा करने जा रही है, समाजवाद क्या है इसकी जानकारी अभी तक कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस बेंचेज से कुछ लोगों ने जो प्रस्ताव आया है उसको पसन्द किया है और कुछ ने उसकी नुक्ताचीनी भी की है। मैं नहीं जानता कि कांग्रेस पार्टी आज कितने विचारों में बंटी हुई है?

एक चीज साफ है, कांग्रेस पार्टी के अन्दर हर पार्टी के व्यूज आज हैं, हर पार्टी की विचारधारा के लोग आज इसमें हैं। इस मिली-जुली पार्टी को आज यह जरूरत महसूस हुई कि वह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का नारा दे सके। पे कमीशन की बात जो कही जा रही है मेरे खयाल से इसमें दो राय नहीं है कि उसे बैठना चाहिये। आखिर आपकी तनख्वाहों का बेस क्या है? १९३९ की तनख्वाहों पर ही वह बेस है। आज एसेंशियल कमोडिटीज के दाम किस हद तक बढ़ चुके हैं? जैसा कि मेरे एक लायक दोस्त ने कहा पटवारी की, चौकीदार की छोटे क्लर्कस् की तनख्वाह कितनी थी और आज कितनी है? इन सबकी तनख्वाह ५०, ६० रुपये माहवार के बीच में ही आती है। इन तनख्वाहों को रख कर आप समाजवाद के पैटर्न को लाना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा कि १०० रुपये से कम और १,००० रुपये से ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिये और इससे ज्यादा जिसकी तनख्वाह है उसे काटने में आपको क्या दिक्कत है? बढ़ाने के लिये आप कहते हैं कि पैसा कहां से आयेगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि काटने में आपको क्या दिक्कत है?

पार्लियामेंट में बहस हुई। उसमें डाक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने एक बहुत अच्छी बात छेड़ी और कहा कि देश के अन्दर आज २७ करोड़ आदमियों की आमदनी ३ आने से ज्यादा नहीं है। कांग्रेस बेंचेज की तरफ से १०, १२ आने बताई गयी। मेरा यह खयाल है कि ६, ७ आने के बीच यह आमदनी होगी। अगर यह ६ आने रोज की आमदनी हर इंसान की देश के अन्दर २७ करोड़ आदमियों की है तो वे इस मुल्क के अन्दर कैसे गुजारा करते होंगे? १५ साल हो गये आपको समाजवादी ढांचे के स्वप्न देखते हुए। आज १९६३ में आप प्रजातांत्रिक समाजवाद का ढांचा बनाने जा रहे हैं। ३ पंचवर्षीय योजनाओं में साढ़े १७ अरब रुपये खर्च करने के बाद आज औसत आमदनी वही है जो पहले थी, तो यह प्लानिंग क्या है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवानसिंह]

कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने ठीक कहा कि जब से समाजवाद का नारा चला है तब से आमदनी कम हुई है, तो यह मखौल है समाजवाद का, उसके ऊपर एक तमाचा है और यह समाजवाद की बदनामी नहीं, बल्कि कांग्रेस की बदनामी है। समाजवाद के मानी यह हैं कि मेहनत करने वाला जो है उसका एक्सप्लायटेशन न हो, लेकिन आज खुलेआम यही हो रहा है, इसलिये कि आपके शासन का ढांचा उसी पुराने अंग्रेजी जमाने के कानूनों के फ्रेम वर्क पर निर्भर है। उसके ऊपर आज आप पैटर्न आफ सोशलिज्म को लादने की कोशिश करते हैं इसी वजह से हमारे जनसंघी दोस्त समाजवाद को गाली देते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने दस साल पहले से आपसे कहा कि कम से कम गल्ले की कीमत आप मुकर्रर कर दें। आज धान रुपये का चार सेर बिका है देहातों में और भी सस्ता है और ठीक तीन महीने बाद यही धान १५, १६ रुपये मन बिकेगा। क्या मैं कांग्रेस पार्टी वालों से पूछ सकता हूं कि दस रुपये मन धान बेच कर क्या किसान अपनी बीबी-बच्चों के लिये कपड़े वगैरह लेने के योग्य हैं? हिन्दुस्तान में ७५ फी सदी लोग गांवों में रहते हैं। इनके लिये आपने कभी नहीं सोचा। अगर पे कमीशन के साथ-साथ किसानों की चीजों के दाम भी तय करने की आप कोशिश करें तो यह कांग्रेस की सब से बड़ी मेहरबानी होगी और समाजवाद लाने की ओर सब से बड़ा कदम होगा। दुनिया में किसान के अलावा कोई और भी ऐसा तबका है जो अपनी मेहनत का दाम न मांगता हो? साल भर मेहनत करने के बाद किसान जब अपना अनाज बाजार में लाता है तो उसका कोई दाम मुकर्रर नहीं होता। अगर आप पैटर्न आफ सोशलिज्म की बात करते हैं तो सब से पहले गल्ले की कीमत मुकर्रर कीजिये। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने सालों से कहा है कि दो फसलों के बीच में १ आना रुपया से ज्यादा दाम नहीं बढ़ना चाहिये। उधर से कहा जाता है कि विरोधी दल के लोग कोई सुझाव नहीं देते। मैं आपको यह सुझाव देता हूं कि ६ परसेंट से ज्यादा मुनाफा आप लूटखोरों को, दलालों को न दीजिये। मैं यह नहीं कहता कि आप लोग समाजवाद नहीं जानते; आप जानते हैं और समाजवादी ढांचे को भी जानते हैं, लेकिन आज कानपुर में पद्मपत सिंहानिया एक लाख रुपया रोज पैदा कर रहा है। वहां आटे की मिलों की तीन हजार रुपये रोज आमदनी है। क्या आप जानते नहीं कि वहां सैकड़ों लोगों के पास करोड़ों की दौलत है? यह सिर्फ चार लाख नौकरों का सवाल नहीं है। यह साढ़े सात करोड़ इन्सानों का सवाल है। अगर कांग्रेस पार्टी सोशलिज्म की ओर अग्रसर होना चाहती है तो आप इस ढांचे को बदलिये। मैं आप से कहता हूं कि अभी एक सरक्यूलर केसा के कर्मचारियों ने दिया था, उसमें एक मांग थी और वह जायज मांग थी। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह के औसत को बांध दिया जाय। कम से कम १०० रुपये और ज्यादा से ज्यादा १,००० रुपये कर दी जाय। इसी बुनियाद पर और इसी रेशियो से कपड़ा-लत्ता, गल्ला, नमक और सारी चीजों की दर निश्चित कर दी जाय। आजकल छोटी-छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी ७० फीसदी कपड़ा और गल्ले पर खर्च करते हैं। इतनी तनख्वाह इसी पर खर्च हो जाती है। यह कोई १०-१५ रुपये का सवाल नहीं है बल्कि सवाल यह है कि पांच व्यक्ति वाले परिवार के लिये स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को देखते हुये तनख्वाह निश्चित होनी चाहिये। यह खेतिहर मजदूरों के लिये भी सवाल हो सकता है।

श्रीमन्, अभी हमारे जो पुराने मिनिस्टर हैं उनकी आवाज आई थी और माननीय दीपनारायण सिंह जी ने नवल किशोर जी के ऊपर कहा था। मेरा ऐसा खयाल है कि आज जो मिनिस्टर नहीं हैं वह सब महसूस करते हैं। आज जो मिनिस्टर हैं अगर उनके लिये कोई नया कामराज प्लान आ जाय तो हो सकता है कि वे भी हमारी आवाज में आवाज मिलाने लगें। जो लोग गद्दी पर नहीं आते हैं उनको समाजवाद की अच्छी तरह से याद आती है। मैं मुख्य मंत्री जी के लिये क्या कहूं। वह तो हमारी पार्टी में १९५५ तक रही हैं और मुझे आशा है कि वे समाजवाद की ओर बढ़ेंगी। लेकिन जिस तरह से आवाज आ रही है उससे तो हमारे विरोधी दल की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। मैं कहता हूं कि यह सरकार सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की एक भी मिसाल दे। करप्शन कम करने या किसी चीज से तो यह मालूम हो कि यह राज्य

समाजवाद की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपने इस चेतावनी को नहीं माना तो ठीक नहीं होगा।

आज खेती की पैदावार गिर रही है और साढ़े सत्तरह करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद इंडस्ट्रीज में वही पैदावार है। अगर हमारे यहां करप्शन बढ़ गया तो जनता से समाजवाद के खिलाफ आवाज आयेगी और उस समय जनसंघ जैसी पार्टी के लोग आ जायेंगे और सोशलिस्ट खयाल के लोग नहीं रहेंगे। समाजवाद के नाम पर पे कमीशन मुकर्रर कीजिये और इतना दीजिये ताकि लोग इंसानियत के साथ अपनी गुजर-बसर कर सकें।

श्री जे० पी० मिश्र--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने कृपा करके मुझे समय दिया। जो प्रस्ताव टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है उसके संबंध में आपके द्वारा मुझे निवेदन करना है कि अब समय आ गया है इस बात पर विचार करने के लिये कि इस प्रदेश की कम से कम और अधिक से अधिक आमदनी क्या हो, इसके ऊपर इस सदन को गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा और विरोधी दल के लोगों तथा कांग्रेस के लोगों को एक जगह बैठ कर यह तय करना पड़ेगा कि कितनी कम से कम और कितनी अधिक से अधिक आमदनी रखी जाय, क्योंकि परिस्थितियां विवश कर रही हैं। सर्व साधारण की कर देने की क्षमता चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सर्वसाधारण अब और टैक्स का बोझा बरदाश्त करने की क्षमता नहीं रखता। उत्तर प्रदेश ७ करोड़ ७० लाख का बना हुआ है, पौने चार लाख का प्रदेश नहीं है। आप ऐसा प्रस्ताव लाएं जो ७ करोड़ ७० लाख के लिये लागू हो सके। ७ करोड़ ७० लाख में से पौने चार लाख आप निकाल लें तो ७ करोड़ सवा ६६ लाख का क्या हो? इसकी तरफ भी आपको विचार करना पड़ेगा। एक तरफ सरकार की तरफ से काश्तकार से यह मांग की जाती है कि वह बढ़ती हुई आबादी और फौज के लिये अधिक अन्न पैदा करे। आज काश्तकार और वह वर्ग जिसके पास भूमि नहीं वह मजदूर आज प्रदेश की जनता का पेट पालन करने में पूरी शक्ति से लगा हुआ है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर किसान सौ मन की जगह डेढ़ सौ मन पैदा करे और आप उससे अन्न मांगें और वह अधिक अन्न पैदा करके दिखाये तो अगर यह काश्तकार आपके सामने डिमांड पेश करे उसको २५ फीसदी बोनस दिया जाय तो आप कैसे इंकार करेंगे? आप इनकार नहीं कर सकेंगे। अगर मिल का मजदूर उत्पादन बढ़ाता है तो उसको बोनस मिलता है। तो मैं एक किसान कार्यकर्ता के नाते माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर किसान १० लाख टन की जगह पर १५ लाख टन आलू पैदा करे तो वह २५ फीसदी बोनस का अधिकारी है या नहीं? इस पर भी आप को निर्णय करना पड़ेगा। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश विधान सभा को यह निश्चय करना होगा कि कम से कम आमदनी और अधिक से अधिक आमदनी क्या हो, ऊंची तनख्वाह पाने वालों में और नीची तनख्वाह पान वालों में कितना भेद हो और दोनों की सहूलियतों में कितना अन्तर हो। पहले इस तरफ आपको एक कमीशन बिठाना पड़ेगा। जब कमसे कम और अधिक से अधिक आमदनी और सहूलियतें निश्चित कर देंगे उसके बाद यह प्रस्ताव आये तो वह समय के उपयुक्त होगा, आज नहीं। आज यह प्रस्ताव समयानुकूल नहीं है, उचित समय नहीं है इस प्रस्ताव के लाने का जब तक आप कम से कम और अधिक से अधिक आमदनी न निश्चित कर दें। और पौने चार लाख के लिये अगर आप इस तरह इस प्रस्ताव को प्रेस करते हैं तो वह पैसा कहां से आयेगा? मैं बाबू नवलकिशोर जी की बात की ताईद करता हूं कि अगर खर्चे में कमी हो, पांच करोड़ का खर्चा उन्होंने बताया और मेरे खयाल से २० करोड़ रुपया इस प्रदेश के बजट से उसके खर्च में कमी करके बचाया जा सकता है और आप यह पैसा बचायें। श्रीमन्, कामन मैन अब पैसा देने से मजबूर है। कामन मैन के ऊपर टैक्स बोझ बढ़ने से उत्तर प्रदेश की जनता को परेशानी होगी। खेतिहर देश है, ८० प्रतिशत से ऊपर यहां काश्तकार रहते हैं। सारा बोझ उन्हीं पर पड़ेगा। लगान बढ़ाते हैं तो, बस का किराया बढ़ाते हैं तो, रेल का किराया

[श्री जे० पी० मिश्र]

बढ़ाते हैं तो वह सब उसी किसान पर पड़ेगा। तो एक समाजवादी विचारक के नाते मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब किसान के ऊपर आप कृपा करें और किसी किस्म का कर का बोझ न बढ़ायें, कामन मैन के ऊपर कृपा करें। यह पौने चार लाख के वेतन की जो बात है जब तक प्रदेश की जनता की कम से कम और अधिक से अधिक आमदनी निश्चित न कर दें तब तक इसको न उठायें। अगर ऐसा पे कमीशन कोई मुकर्रर करना है तो आप एक लिमिट कर दें और १०० रुपये तक हम न्यूनतम वेतन वालों को पहुंचा सकें। अगर तीन रुपया रोज तक हम अपने छोटे से छोटे कर्मचारी को दे सकें तो मैं समझता हूं यही एक बहुत लम्बा खर्चा हो जायगा, १०० रुपये से ऊपर विचार करना हमारे लिये इस समय संभव नहीं है। आप पैसा लायें, रास्ते निकालें, खर्च में कमी करें यह बात तो बिल्कुल ठीक है। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का अगर साढ़े तीन हजार रुपया मासिक पाता है और उसके साथ-साथ उसके और एमाल्यूमेंट्स और टी० ए०, डी० ए० वगैरह हैं तो एक बहुत बड़ा अन्तर है उसमें और जो वर्तमान चपरासी है उत्तर प्रदेश का या जो पुलिस स्टेशन का मेहतर है जिसका कि जिक्र उपसेन जी ने किया। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप न्यूनतम आमदनी की हद तक जबतक पूरे प्रदेश की जनता को न पहुंचा दें तब तक आप इस किस्म के प्रस्तावों को मेहरबानी करके रिजेक्ट कर दें। इसको स्वीकार करने का यह समय नहीं है। जब तक न्यूनतम आमदनी सात करोड़ सत्तर लाख इन्सानों की आप न निश्चित कर दें तब तक पौने चार लाख के लिये इतना समय और इतनी बहस मेरे विचार से ठीक नहीं है। इसलिये अगर यह कमीशन की मांग दो साल बाद इस सदन में विचार करने के लिये आये तो यह सदन उस पर विचार करे। अभी यह वेतन आयोग का प्रश्न बनता नहीं। इससे पहले कहां से पैसा आये और क्या स्रोत हैं हमारे आमदनी के, उन पर भी विचार करना पड़ेगा। एक समाजवादी विचारक होने के नाते आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके पास पैसा बहुत है। काफी पैसा टैक्सों की चोरी के रूप में बड़े-बड़े लोगों के पास है। दो किस्म के बही खाते हैं। अगर उन सब पर कब्जा आपका हो जाय और एक्सचेंडीचर में कुछ कमी हो जाय तो इस तरह जो रुपया मिले उससे आप पंचायत सेक्रेटरी और प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का कम से कम १०० रुपया वेतन कर दें। पंचायत सेक्रेटरी और प्राइमरी स्कूल के अध्यापक ऐसे कर्मचारी हैं कि जिनके निम्नतम वेतन को आपको ऊपर लाना पड़ेगा। पैसा कहां से आये इसके लिये हमको दिन प्रतिदिन विचार करना पड़ेगा। राष्ट्रीयकरण, अभी कानपुर में माननीय केशवदेव मालवीय जी ने कहा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना होगा। उसको चाहे आप आज करें या साल भर के बाद करें या ४ वर्ष के बाद करें या ५ वर्ष के बाद करें लेकिन आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना होगा तभी आप नेशनल सम्पत्ति के ऊपर काबू कर सकेंगे। जब सारा काबू आपका हो जायगा तो आप न्यूनतम वेतन फिक्स करने के बाद इस वेतन आयोग की तरफ आप और पूरा सदन विचार करेगा। मैं टम्बेश्वरी प्रसाद जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका यह वेतन आयोग का प्रस्ताव असामयिक है और इस प्रस्ताव को वह कृपया वापस लें और इसको सन् १९६५ में पेश करें जब सारी परिस्थितियां इसके अनुकूल बन जायं।

श्री प्रेमसिंह—

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपकी इजाजत से गरीबों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुये एक शेर पढ़ देना चाहता हूं:—

दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इन्सान को,
वरना तात के लिये कुछ कम न थे करो बियां।

यह ५० या १०० रुपये गरीबों के लिये क्या चीज हैं। मैं इस बात को बहुत उचित समझता हूं कि अगर हमारे सामने बैठने वाले और इधर बैठने वाले तनख्वाह न लें तो सरकार

का इसमें कितना फायदा होगा। अगर हम लोगों के दिल में गरीबों के लिये जरा भी दर्द है तो हम लोग यहां पर मुफ्त काम करें तो बहुत अच्छा है .....

श्री जे० पी० मिश्र—

आपने तो जमींदारी से बहुत रुपया पैदा कर लिया है।

श्री प्रेमसिंह—

वह मेरे लिये नहीं, बल्कि मेरे बाप-दादा के लिये था और उन्होंने ही पैदा किया था। अगर हम लोग इन्सान हैं और हमारी गवर्नमेंट इन्सान है तो उसको चाहिये कि वे त्याग करे। आप मुझको जमींदार कहेंगे, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि आप मुझको भीतर से देखिये, मैं जमींदार नहीं हूं। मैं गवर्नमेंट से यह जोरदार मांग करता हूं कि हर शख्स को यह महसूस करना चाहिये कि हम आजाद हैं और आजादी कोई मामूली चीज नहीं समझना चाहिये।

उस आजादी के लिये हमने बहुत त्याग किये हैं और बहुत बलिदान किये हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं और चाहता हूं कि हर शख्स मोटर पर चढ़ता है और मौज करता है उसको अपनी मौज कुछ कम करनी चाहिये बजाय इसके कि हम लोग गरीबों पर कुछ टैक्स लगायें। आप हमसे लीजिये, मेरी चमड़ी से उसको वसूल कीजिये, मैं अपनी चमड़ी उधेड़ने के लिये तैयार हूं लेकिन आप गरीबों का ध्यान कीजिये। यह न सोचिये कि आप बच जायेंगे। अगर आप अपनी चमड़ी को बचायेंगे तो आप भी जमींदार कहलायेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को खर्चे की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके कोई औलाद नहीं है और न आगे को औलाद की उम्मीद है। मैं यह समझता हूं कि सरकार की औलाद ७॥ करोड़ है। उसके लिये सरकार को खर्चे की जरूरत है और उसके लिये हमको भी अपनी मौज में कमी करना चाहिये। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यह खुदा जाने। हम यह देखते हैं कि अब भी गांव अपनी जगह पर बहुत खत्म हो रहे हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाय। हमारा और आपका कर्त्तव्य है कि उनका हम खयाल करें ताकि हम और आप गरीबों के लिये कुछ कर सकें। अब गरीब पर इसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो रहा है। जिसके पास एक दर्जन बच्चे हैं वह क्या करेगा। वह कहां से खायेगा वह फैमिली प्लानिंग वहां भी होना चाहिये और उनके लिये भी वह इम्पलीमेंट होना चाहिये। अब मैं सको छोड़ता हूं और फिर अपनी शेर पर आ जाता हूं। यह बहस तो सदा होती ही रहती है। वह शेर यह है कि :

भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम,
जब से नफरत हमने की वह बेकरार आने को है।
थक गये हैं करते करते इन्तजार,
हाय उनका आना एक कयामत हो गया ॥

"प्रेम"

*श्री हरीसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि दो घंटे की उठक-बैठक के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने बहुत से माननीय सदस्यों के वक्तव्य को सुना और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो प्रस्ताव वेतन आयोग बिठाने के लिये किया गया है वह सही नहीं है। जिन गरीबों के लिये वेतन बढ़ाने की मांग हमारे माननीय साथियों ने की है उनमें से कितने ऐसे हैं कि जो अपने नौकरों को उस हिसाब से वेतन दे सकते हैं? वे ही माननीय साथी कहते हैं कि टैक्स तो न बढ़ाया जाय लेकिन वेतन बढ़ा दिया जाय। मैं वेतन बढ़ाने वालों का हामी हूं, चाहता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाय और जैसा बापू ने कहा था कि १०० रुपये से कम और ५०० रुपये से ज्यादा किसी को नहीं मिलना चाहिये, उस बात का मानने वाला हूं, लेकिन इस प्रस्ताव को लाने वाले साथी क्या इस बात पर चलने के लिये तैयार हैं ? क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों का वेतन इस हिसाब से तय किया है ? एक तरफ कहा जाता है कि टैक्स कम है और यह भी ठीक है कि जो प्रदेश के सरमायादार हैं वे टैक्स बहुत कम देते हैं और इसके बाद उनसे वह टैक्स भी ठीक समय पर नहीं मिलता। टैक्स तो हरिजनों, गरीब किसानों और मजदूरों से लिया जाता है जिनके पास खाने को अन्न नहीं है। (व्यवधान) अगर आप ऐसी बातें कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा । जहां तक टैक्स का संबंध है, माननीय सदस्यों ने बार बार कहा कि टैक्स अवश्य लगना चाहिये, लेकिन उसके लिये एक सही नीति होनी चाहिये और उसकी उगाही की ठीक व्यवस्था होनी चाहिये। वह सही नीति नहीं अपनायी गयी है। यहाँ बड़े सरमायेदारों को इंडस्ट्री के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं जो कि टैक्स देने में आनाकानी करते हैं और जिन पर करोड़ों रुपये टैक्स का बकाया रहता है। अगर हमारे प्रदेश में छोटी इंडस्ट्रीज होतीं तो टैक्स वसूलयाबी में हमें इतनी दिक्कत न पड़ती। पंजाब और मद्रास में छोटे-छोटे उद्योग धंधे फैले और उनसे सरकार को वहां टैक्स भी ज्यादा मिला । लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिला। यहां छोटा वर्ग सरकारी नौकरी की ओर दौड़ता है भले ही वह चपरासीगिरी हो, कुलीगिरी हो अथवा क्लर्की हो। उसके पास जीविका के अन्य साधन नहीं हैं और सरकार ने उस तरफ कोई खास ध्यान भी नहीं दिया है। हमारे यहां बड़े-बड़े फार्म हैं और बे फार्म वाले इधर भी हैं और उधर भी। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वे अपने कर्मचारियों को क्या वेतन देते हैं ? जो वेतन सरकारी चपरासी को मिलता है क्या उतना वेतन भी वे अपने कर्मचारी को देते हैं ? वह उनका शोषण करते हैं जो कि जमींदारी के जमाने में था । आपसे मुझे शिकायत है कि उन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला जो जानते थे कि वेतन आयोग सही है या नहीं। वह तो सर्व-प्रथम उन खेतिहर मजदूरों के लिये बैठाना चाहिये जिनकी राय के द्वारा यह सरकार बनती है और जो कि ७ करोड़ में से ६ करोड़ मजदूर कहलाते हैं, लेकिन उधर ध्यान नहीं। जब भी प्रस्ताव आता है वह यही है कि सरकारी कर्मचारियों के लिये पे कमीशन बैठाया जाय, लेकिन जहां बाढ़ आयी है वहां तो मजदूरों के मकान नहीं रहे, पेड़ों के नीचे पड़े हुये हैं उनके लिये तकावी की कोई गुंजायश नहीं है कि सौ रुपये भी उनकी हैसियत तकावी के लिये सरकार माने। जो स्वयं शोषण करते हैं वह इस प्रकार के प्रस्ताव लाते हैं, जिनके यहां नौकर हैं उनका जिस तरह से शोषण होता है वैसा तो अंग्रेजी राज्य में भी शायद ही हुआ हो। जब इस प्रान्त की बेकारी दूर हो गयी होती और पे कमीशन आते तो किसी को एतराज नहीं होता और प्रत्येक व्यक्ति नौकरी की तरफ नहीं दौड़ता। हो उल्टा रहा है कि बड़ी-बड़ी मिलों के लिये रुपया कर्ज दिया जाता है, पता नहीं मिलें भी कहां खुलीं और समय से वह उगहाया भी नहीं गया। उनसे बिक्री-कर नहीं आ रहा है, लेकिन किसान से तुरन्त मालगुजारी वसूल करने के लिये उसके बैल गाड़ी नीलाम हो जाते हैं, झोपड़ी नीलाम हो जाती है, उसके लिये आज तक इस सदन में कोई प्रस्ताव नहीं आया और न कोई कमेटी बैठी है। यदि गरीबी और नौकरशाही की समस्या हल करनी है तो बड़ी बड़ी पे कम हों। गांधी जी ने ५०० रुपये ऊंची पे रखी थी, आप हजार रख लें और सौ से कम नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े कारखानों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा आप लाख आयोग बैठाइये, बेकारी दूर नहीं हो सकती। अगर बेकारी, गरीबी, बेरोजगारी निरक्षरता आप दूर करना चाहते हैं तो छोटे उद्योग-धंधों में कर्जा दीजिये जैसा कि पंजाब और मद्रास में है । आज सब प्रान्तों से हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। आज जो कहते हैं वह गलत नहीं कहते कि हम सरमायेदारों को सपोर्ट करते हैं।

जहां तक तनख्वाहें बढ़ने का संबंध है अब तक जहां छोटी तनख्वाह वालों के ५ बढ़े, १० बढ़े वहां बड़े-बड़े अफसरों के सौ-सौ, दो-दो सौ बढ़ गये और इस कमीशन से जितना लाभ हुआ वह बड़े-बड़े उंचे-ऊंचे अधिकारियों को हुआ, छोटे कर्मचारियों को नहीं। इसलिये मेरी सम्मति

है कि वेतन तो बढ़ाया जाय, लेकिन यह कि स्थायी कमीशन हो या वेतन आयोग इस बात के लिये बैठे वैसी बात लाकर क्यों गरीबों के ऊपर लांछन लगाकर अपने स्वार्थों को हल करना चाहते हैं ? मैं तो इस पक्ष में हूं कि सौ से कम न हो और हजार से ज्यादा न हो. . .बैठ जाइये ।

श्री प्रेमसिंह--

अगर ५०० रुपया और कम से कम २०० रुपया हो तो ठीक है ।

श्री हरीसिंह--

प्रेमसिंह जी गरीबों के बारे में क्या जानें । मैं कह रहा था कि जिस चीज से प्रदेश की जनता का लाभ हो, उसका कल्याण हो, गरीबों को लाभ हो, उस पर हमें विचार करना चाहिये । गरीब मजदूरों की हैसियत आज तक मुकर्रर नहीं की गयी, उनकी हैसियत मुकर्रर होनी चाहिये क्योंकि उन्हीं के वोटों से चुन कर यह सरकार यहां आयी है । बड़े-बड़े लोगों पर, जिन पर इन्कमटैक्स का रुपया बकाया है, सेल टैक्स का रुपया बकाया है, वही मौज कर रहे हैं । आप अधिक से अधिक, टैक्स लगाइये, मगर बड़े-बड़े आदमियों पर लगाइये, गरीबों पर नहीं । आज इस आयोग की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह तय करने की आवश्यकता है कि हम अपने नौकरों को अधिक वेतन देंगे, और सरकार यह तय करे कि किसी का वेतन भी १०० से कम और हजार से अधिक न हो। आप छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाने की तरफ ध्यान दें, बड़े बड़े लोगों के बजाय छोटे लोगों को कर्जा दें, इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और प्रदेश का भला होगा ।

श्री प्रेमसिंह--

मैं चाहता हूं कि यह लूट और डिस्ट्रीब्यूट का मसला तभी तय होगा जब यह लिमिट २०० कर दी जाय ।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मैंने विभिन्न माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना । सरकारी पक्ष के भाषणों को सुन कर मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने प्रस्ताव को मूल रूप में पढ़ा ही नहीं । जैसा कि माननीय जे० पी० मिश्र अकसर कहते हैं, यह बड़ा ही मासूम प्रस्ताव है । वह यह है कि यह सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार प्रदेश में एक वेतन आयोग की स्थापना स्थायी रूप से कर दे जो वस्तुओं के मूल्य, वेतन की दरों तथा अन्य सामाजिक विषयों को देख कर समय-समय पर अपनी रिपोर्ट देता रहे । हमने इस प्रस्ताव में यह कहीं नहीं कहा है कि आप वेतन बढ़ा दीजिये । यह तो इसलिये है कि वह यह देखें कि उस समय दशा क्या थी, आज क्या है, और इन सब बातों पर विचार करके वह अपनी रिपोर्ट सरकार को दिया करें । फिर सरकार जैसा उचित समझे वह करे, लेकिन अभी से यह कहना कि वह पैसा कहां से आयेगा, कैसे होगा, यह उसी प्रकार की बातें हैं जैसे कि बजट भाषण के समय कही जाती हैं जब कि नये टैक्स आदि को लगाने की बात होती है । इस समय उसका कोई स्कोप नहीं है ।

श्रीमन्, सरकारी पक्ष आज डरता है कि अगर हमने आयोग की स्थापना कर दी तो उसकी काली करतूतों का परदाफाश हो जायेगा । आज सरकार जो चाहते हुये भी नहीं कर पा रही है, उसका परदाफाश हो जायेगा । उससे जनता के सामने सही पोजीशन आ जायेगी, यह सरकार उससे डरती है कि कीमतें इतनी बढ़ गयी हैं वेतन इतना होना चाहिये । कर्मचारी भी मांग करने लगेंगे और उनको भी यह अनुभव हो जायगा कि वास्तव में वेतन कम है । यह भी लोगों को पता चलेगा कि मूल्यों का स्थायीकरण होना चाहिये, वेतन भी बढ़ाये जाने चाहिये,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

साथ ही साथ सामाजिक दशा पर भी प्रकाश पड़ेगा, इसलिये सरकार उसको करने से घबराती है, नहीं तो प्रस्ताव बहुत ही सीधा सादा है और उसकी भावना भी सीधी सादी है। हमारे संविधान में जो राज्य के नीति निर्धारण के तत्व हैं उनमें साफ कहा गया है। आप धारा ३९ को देखें —

"The State shall, in particular, direct its policy towards securing (*a*) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood ;"

धारा ४१ इस प्रकार है—

"41. The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement. and in other cases of undeserved want."

धारा ४३ इस प्रकार है—

"43. The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural , industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas."

इसके अनुसार स्टेट के लिये यह लाजिमी होता है कि वह प्राइसेज को कन्ट्रोल करे, वर्कर्स और कर्मचारियों की दशा की देखभाल करे, काटेज इन्डस्ट्रीज वगैरह को प्रोमोट करे। स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिये बाध्य किया गया है कि वह कर्मचारियों के वेतन और सामाजिक व्यवस्था की ओर हमेशा ध्यान देती रहे, लेकिन आपका उस ओर कोई कदम नहीं उठा। इसलिये टम्बेश्वरी प्रसाद जी को यह प्रस्ताव लाना पड़ा।

कांग्रेस के १९६२ के इलेक्शन मैनीफेस्टो में आपने यह साफ लिखा है कि प्राइसेज को स्टेबिलाइज करने के लिये और जहां पर भी मुमकिन होगा स्टेट ट्रेडिंग की जायगी, इसके लिये कदम उठाये जायेंगे। तो आपने मूल्यों का निर्धारण नहीं किया, इसलिये यह प्रस्ताव लाया गया।

माननीय हरीसिंह जी ने पूंजीपतियों की पार्टी जनसंघ को बताया, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि पूंजीपतियों की पार्टी सिवाय कांग्रेस के और कोई नहीं है। चाहे आप कानपुर के पूंजीपतियों की लिस्ट देख लीजिये, चाहे भारत के पूंजीपतियों की लिस्ट देख जाय और उसमें देख लिया जाय कि कितने कांग्रेस में हैं और कितने उसमें चन्दा देते हैं और उनके ऊपर कितना टैक्स बकाया है, उससे सब बात साफ हो जायगी। केवल जनसंघ को कोसने से काम नहीं चलेगा।

अब जनसंघ के चुनाव घोषणापत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वास्तव में हमारे देश में कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, मूल्यों का भाव ऊंचा चढ़ता जाता है, इसकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकारी पक्ष वाले जनसंघ के घोषणा-पत्र को पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं है अपने आपसी लड़ाई झगड़े से, इसलिये मैं आपकी आज्ञा से जनसंघ के घोषणा-पत्र को पढ़ देना चाहता हूं।

"The taxation policy of the Government is also inconsistent with their declared objective of raising the standard of living of the common man and reducing economic irregularities. Indirect taxes, which mainly affect the

common people have increased much more than direct taxes. Even essential commodities of life are not free from the levy of such taxes as excise duty, sales-tax, purchase taxes. etc." .

मतलब यह है कि गवर्नमेंट की जो कर निर्धारण नीति है वह उससे मेल नहीं खाती जिससे हम जीवन के स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को ऊपर उठा सकें। एक तरफ तो डाइरेक्ट कर के सिवा इनडाइरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स आदि आदि, जिसका सारा बोझ जनसाधारण पर पड़ता है और इसीलिये यह सब गड़बड़ी है कि जो वास्तव में गरीब है वह और गरीब होता जाता है। इसलिये हमारे जनसंघ का जो यह सुझाव है कि इसके लिये परमानेंट पे कमीशन बैठाया जाय यह बहुत ही मूल्यवान् है। अगर आप इन सुझावों को पढ़ें तो निश्चित रूप से आपको पता लग जायगा कि जनसंघ सुझाव देने में कितना नियमित है। अगर आप इन सुझावों पर गौर करें तो आपको पता लग जायगा कि हमारी ठोस पालिसी क्या होनी चाहिये।

पहली बात तो यह कि जो गवर्नमेंट में खराबी है उसमें काफी कमी कर देनी चाहिये और उनमें इसकी काफी गुंजायश है। जैसा कि माननीय नवलकिशोर ने भी मेरी बात से सहमति प्रकट की, मेरा ख्याल है कि तमाम मिनिस्टरी को अमालगेट कर देना चाहिये और गवर्नमेंट को चलाने के लिये १० मिनिस्टर्स काफी होंगे।

दूसरी बात यह है कि जनता को यह अधिकार होना चाहिये कि राज्य सरकार ने जो व्यवस्था चला रखी है, कारखाने चला रखे हैं, जो अन्डरटेकिंग्स गवर्नमेंट के हैं उनमें पब्लिक का भी हिस्सा हो, लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट के ही हाथ में रहे इसलिये ज्यादा शेयर्स सरकार के हो सकते हैं।

तीसरी बात यह कि जो प्लान हमने अपने सामने रखे हैं, उनका पीरियड ५ वर्ष के लिये न होकर कम से कम ७–८ साल के लिये होनी चाहिये।

चौथी बात यह कि जो हमारे प्रोजेक्टर्स हैं, योजनाएं हैं वे जल्दी पूर्ण हो जायं तो उनसे हमें फायदा हो सकता है बजाय उन योजनाओं के जो २० साल के बाद पूरा कर पायेंगे। पांचवीं बात यह है कि जो इम्पोर्ट होता है, बाहर से जो सामान यहां आता है उसे कम करना चाहिये और जो सामान यहां बनाया जाता है उस भारतीय सामान का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें।

जिन व्यक्तियों को २,००० रुपये से अधिक वेतन मिलता है उन सबसे ऊपर के वेतन के नेशनल प्लानिंग बान्ड खरीदवाये जायं और वह रुपया सरकारी ट्रेजरी में जाय। यह सुझाव है कि जो मैंने खास तौर से आपके सामने रखे इसलिये कि अक्सर माननीय सदस्य उधर से कहते हैं कि कांस्ट्रक्टिव सजेशन इधर से नहीं दिये जाते इसीलिये मैंने यह रखे ताकि उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सके। यह नहीं होना चाहिये कि चूंकि यह जनसंघ ने विचार दिये हैं इसलिये इन पर विचार करने की जरूरत नहीं है, ऐसी कृपा कम से कम आप न करें।

श्री गंगासिंह (जिला अल्मोड़ा)—

नेशनेलाइजेशन के लिये क्या आप की राय है ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह किताब आप खुद पढ़ लें, इसका चैप्टर तो आप उसको देख लें, आप उसे पढ़ लें वर्ना आप मेरे चेम्बर में आ जायं।

माननीय हरीसिंह जी ने एक बात कही कि लाइसेन्स और कर्ज उन्हीं मिल ओनर्स को दिये जाते हैं कि जिनके ऊपर सरकारी टैक्सेज की बकाया होती है और जो हर तरह का इवेजन करते हैं और जनसाधारण को नहीं दिये जाते। मैं उनकी इस बात की कद्र करता हूं कि पहली बार आज माननीय सदस्य ने सही रूप से एक बात को कहा, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि कृपा करके अगर वह अब इस तरफ आ जायं तो वास्तव में वह यह कहने लगे कि ऐसे सब काम करने वाली उन

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

की वह सफेद टोपी वाली सरकार ही है, हम लोग नहीं हैं जो ऐसा कर रहे हैं, हमने किसी पर बकाया नहीं रखी है। हमने किसी को लाइसेंस और कर्ज नहीं दिये हैं अगर उनसे लैन्ड रेवेन्यू की तरह बकाया को वसूल नहीं किया गया तो इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है, इसमें कोई जनसंघ या विरोधी दलों का दोष नहीं है। एक बार वह अपने गिरहबान में मुंह डाल कर देखें और अच्छी तरह से इन अनियमितताओं का निराकरण करें जो वह पूंजीपतियों की फेवर में करते हैं और ऐसा कर के देखें कि किस तरह से वास्तव में इस प्रस्ताव की महत्ता को समझा जायगा।

मैं आप को बताना चाहता हूं कि वास्तव में रुपया किस तरह से इन वेतनों के लिये आ सकता है। अगर मान लिया जाय कि आप इस वेतन कमीशन की स्थापना कर दें तो रुपया आने के कई तरीके हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि सरकार के द्वारा प्रदेश में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है और जिस तरीके से आज धन अवैधानिक तरीके से एक जेब से दूसरी जेब में जाता है उसको रोक दिया जाय और सरकार कोई ऐसा कानून बनाकर ड्रास्टिक मेजर्स इसके खिलाफ ले जैसे कि पाकिस्तान में जनरल अयूब की सरकार ने अपने यहां मोबाइल कोर्ट्स कायम किये और उन्होंने जाकर मौके पर मिलावट आदि के केसेज पकड़े और उनके मोबाइल वान में वहीं पर उनके सेम्पल टेस्ट कर के लोगों को ६–६ और ७–७ साल की सजा दे दी। इस तरह की चीज अगर यहां की सरकार भी स्थापित कर के भ्रष्टाचार को दूर करे तो आधे से ज्यादा रुपया जो रिश्वत और इस तरह से बरबाद होता है वह बच जायगा। इस से प्रदेश की जनता को बहुत राहत मिल सकती है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है अगर हम वहां से ही अपने यहां की तुलना करें तो वहां पर आज भी इम्पोर्ट ड्यूटी हमारे मुकाबले में कम है, लेकिन वहां के रुपये की वैल्यू में कोई अन्तर नहीं है, लेकिन वहां पर भी चपरासी का वेतन अगर ५० रुपया है तो मिनिस्टर का वेतन १००० रुपया है, इससे अधिक का अन्तर नहीं है। आप इसकी छानबीन करें और मैंने सुना है कि श्री बनारसी दास जी इस प्रकार की छानबीन कर रहे हैं। अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो इस तरह से हमारा जीवन स्तर उठ सकता है और हमारे यहां मूल्य भी स्थिर हो सकेंगे और वेतन कमीशन की स्थापना से कर्मचारियों को भी राहत मिल सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब साढ़े ५ बज चुके हैं। अब हम उठते हैं और कल १० १/२ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३० अक्तूबर, १९६३।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर]

प्रश्न संख्या ११ के मूल उत्तर में उल्लिखित निलम्बित पंचायत निरीक्षकों की सूची

पंचायत निरीक्षक का नाम	निलम्बन की तिथि	निर्वाह भत्ते का भुगतान किस तिथि तक हो चुका है	कब से भुगतान होना शेष है	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
१—श्री उमाशंकर राय, जिला झांसी।	८ जुलाई, १९६१	३१ जुलाई, १९६३ तक	मास अगस्त १९६३ तक	अगस्त, १९६३ मास के निर्वाह भत्ते के भुगतान की कार्यवाही हो रही है।
२—श्री कृपाशंकर दूबे, जिला झांसी।	७ अगस्त, १९६१	..	..	निदेशक, पंचायत राज ने १७ अगस्त, १९६३ तक की अवधि का सम्पूर्ण निर्वाह भत्ता दिये जाने के आदेश दे दिये हैं।
३—श्री दीनदयाल चौरसिया, जिला हमीरपुर।	२ मई, १९६१	३१ अगस्त, १९६३ तक	..	..
४—श्री गजेन्द्रदत्त अग्निहोत्री, जिला बांदा।	१३ मार्च, १९६१	३१ अगस्त, १९६३	..	..
५—श्री भगवान दास यादव, जिला बहराइच।	२५ सितम्बर, १९६१	३१ अगस्त, १९६३	..	..
६—श्री इन्द्रप्रसाद यादव, जिला बस्ती।	२७ अक्टूबर १९६१	३१ जुलाई, १९६३	मास अगस्त, १९६३ तक	श्री यादव को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से पदारूढ़ कर दिया गया है। कार्य-भार ग्रहण करने पर मास अगस्त, १९६३ के निर्वाह भत्ते का भुगतान कर दिया जायगा।
७—श्री रमाकान्त मिश्र, जिला कानपुर।	२९ अप्रैल, १९६०	३१ अगस्त, १९६१	..	..
८—श्री शिवकुमार मिश्र।	१ फरवरी, १९६२	३१ अगस्त, १९६३	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्न संख्या ११ के संशोधित उत्तर में उल्लिखित निलम्बित पंचायत निरीक्षकों की संशोधित सूची

पंचायत निरीक्षक का नाम	निलम्बन की तिथि	निर्वाह भत्ते का भुगतान किस तिथि तक हो चुका है	कब से भुगतान होना शेष है	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
१—श्री उमा शंकर राय, जिला झांसी।	८ जुलाई, १९६१	३१ जुलाई, १९६३ तक	मास अगस्त, १९६३ का	अगस्त, १९६३ मास के निर्वाह भत्ते के भुगतान की कार्यवाही हो रही है।
२—श्री कृपा शंकर दूबे जिला झांसी।	७ अगस्त, १९६१	..	..	निदेशक, पंचायत राज ने १७ अगस्त, १९६३ तक की अवधि का संपूर्ण निर्वाह भत्ता दिये जाने के आदेश दे दिये हैं।
३—श्री दीनदयाल चौरसिया, जिला हमीरपुर।	२ मई, १९६१	३१ अगस्त, १९६३ तक	..	..
४—श्री गजेन्द्रदत्त अग्निहोत्री, जिला बांदा।	१३ मार्च, १९६१	३१ अगस्त, १९६३	..	..
५—श्री भगवानदास यादव, जिला बहराइच।	२५ सितम्बर, १९६१	३१ अगस्त, १९६३	..	..
६—श्री इन्द्रप्रसाद यादव, जिला बस्ती	२७ अक्टूबर, १९६१	३१ जुलाई, १९६३	मास अगस्त, १९६३ का	श्री यादव को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से पदारूढ़ कर दिया गया है। कार्य-भार ग्रहण करने पर मास अगस्त, १९६३ के निर्वाह भत्ते का भुगतान कर दिया जायगा।
७—श्री रमाकान्त मिश्र, जिला कानपुर।	२९ अप्रैल, १९६०	३१ अगस्त, १९६३	..	..
८—श्री शिवकुमार मिश्र	१ फरवरी, १९६२	३१ अगस्त, १९६३	..	..

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर]

श्री हिम्मतसिंह, सदस्य विधान सभा के प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के क्रम में उन व्यक्तियों के नामों की सूची जिन्हें १९५७ से आज तक सिलाई मशीनें बांटी गईं :

(क) हरिजन कल्याण विभाग की कुटीर उद्योग योजना के अन्तर्गत

क्रमांक	नाम गृहीता			पिता या पति का नाम	ग्राम
१	श्रीमती चम्पादेवी	..	..	श्याम लाल	मांगराले
२	श्री खचेरु	..	..	गंगाराम	अछेजा घाट
३	श्री झम्मन सिंह	..	..	निद्दा	चित्साने
४	श्री बहोरी सिंह	..	..	मोहन	मीरपुर
५	श्रीमती केला देवी	..	..	छोटेलाल	खुरजावली
६	श्रीमती गंगा देवी	..	..	हर शरन शर्मा	पारसौल
७	श्री पूरन सिंह	..	..	रामचरन	घमैंडा कीरत
८	श्री हरी सिंह	..	..	राम लाल	जाडौल
९	श्री हर गुलाल	..	..	पूसा राम	खाद मोहन नगर
१०	श्रीमती माता देवी	..	..	फतह चन्द	खैंदोई
११	श्री इन्दर सिंह	..	..	रामदास	गढ़वा शेखपुर
१२	श्री रामजीलाल	..	..	तिरखा सिंह	नया गांव
१३	श्री नेपाल सिंह	..	..	घासी राम	घमेंडा कीरत
१४	श्री बिघी चन्द	..	..	बलदेवसिंह	कनैनी बेदरामपुर
१५	श्री लक्ष्मी चन्द	..	..	उमराव सिंह	रसूलपुर
१६	श्री मेघ सिंह	..	..	खचेड़ा	अटरेना
१७	श्री सोनपाल	..	..	गरजी सिंह	अरसियों
१८	श्री राम सिंह	..	..	करनसिंह	मूढा करीमपुर
१९	श्री रामजीलाल	..	..	तेजसिंह	सैदानपुर
२०	श्री परशादी	..	..	बल्देव	बढ़पुरा
२१	श्रीमती सुनहरी देवी	..	..	बंशीराम	फरेंदा
२२	श्री किशोरी	..	..	कन्ना	बड़ौदा
२३	श्रीमती रामकली	..	..	नौबत	गंगावास पहाड़ा
२४	श्री नत्थी राम	..	..	गंगाराम	नगला जगत
२५	श्री प्रताप सिंह	..	..	शिब्बन सिंह	बलीपुरा
२६	श्री मक्खन सिंह	..	..	वेदराम	मूढ़ा करीमपुर
२७	श्री प्रभू	..	..	दुर्गा	सुरजावली
२८	श्रीमती दयाल कौर	..	..	गर्जेसिंह	थौना
२९	श्री लाल जी	..	..	सुखराम	गालिमपुर
३०	श्रीमती भगवान देवी	..	..	अमरदास	कसेर कलां
३१	श्रीमती भगवान देवी	..	..	डाल चन्द	परवाना
३२	श्री पाली	..	..	किशन लाल	शुजापुर

नाम गृहीता		पिता या पति का नाम		ग्राम
३३—श्री राम स्वरूप	..	..	घासीराम	राहतगंज
३४—श्रीमती प्रताप कुमारी	..	..	एदलसिंह	कुरली
३५—श्री राम चरन	..	..	भदई राम	मुनी की नगलिया
३६—श्री पूसा राम	..	..	—	होशियारपुर उर्फ अचियार
३७—श्री नैतराम	..	..	—	”
३८—श्री राम फल	..	..	—	सदरपुर
३९—श्री सुमेरपुर	..	..	—	सहनापुर जागीर
४०—श्रीमती शान्ती देवी	..	..	—	गफारगढ़ी
४१—श्री सुरजन सिंह	..	..	—	जौली
४२—श्री बदलू सिंह	..	..	—	सराय घासी

(ख) उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें बुलन्दशहर में सिलाई उद्योग हेतु ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत के उद्योग विभाग द्वारा मशीन खरीदने हेतु अनुदान वितरित किया गया

४३—श्री जगदीश कुमार राठौर				
४४—श्री बाबू गिरि	..	..	—	—
४५—कुमारी शकुन्तला कुमारी बंसल		..	—	—
४६—श्रीमती कृष्णा कान्ता	..	..	—	—
४७—श्रीमती जगदीश गौर	..	..	—	—
४८—श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल		..	—	—
४९—श्रीमती प्रेमवती शर्मा	..	..	—	—
५०—श्रीमती वीरबाला गोयल	..	..	—	—
५१—श्री जय प्रकाश	..	..	—	—
५२—श्रीराममूर्ति देवी गुप्ता	..	..	—	—
५३—श्रीमती रामरती देवी	..	..	—	—
५४—श्रीमती सुभद्रा देवी	..	..	—	—
५५—श्रीमती विशन देवी	..	..	—	—
५६—कुमारी कमला जैन	..	..	—	—
५७—कुमारी प्रेमवती	..	..	—	—
५८—श्रीमती शकुन्तला देवी अग्रवाल		..	—	—
५९—श्रीमती मुन्नी देवी	..	..	—	—
६०—श्रीमती कृष्णा कुमारी	..	..	—	—

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर)

उन व्यक्तियों की संख्या का विवरण (अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या सम्मिलित करके) जिन्होंने १–४–५३ से ३१–८–६३ की अवधि में सेवायोजन कार्यालय फतेहपुर द्वारा विभिन्न कार्यालयों तथा व्यवसायों में काम पाया।

कार्यालय का नाम	व्यवसाय	काम पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	उनमें से अनुसूचित जाति कबीले के व्यक्तियों की संख्या
१	२	३	४
१—सिविल सर्जन, फतेहपुर	वार्ड वाय	२	—
	स्वीप्रेस	१	१
	फैनपुलर	१	—
	क्लर्क	१	—
	चौकीदार	१	—
	योग ..	६	१
२—तहसीलदार सदर, फतेहपुर	फैनपुलर्स	६	—
	पियूंस	४०	४
	योग ..	४६	४
३—तहसीलदार, बिन्दकी फतेहपुर	फैनपुलर्स	४	१
	पियूंस	११	२
	योग ..	१५	३
४—एन्टीमलेरिया आफिसर, फतेहपुर	आई० एफ० डब्लू०	२	—
	एस० एफ० डब्लू०	१	—
	हाउस विजिटर्स	९	१
	अर्दली पियून	१	—
	योग ..	१३	१
५—सिविल डिफेंस आफिसर फतेहपुर।	क्लर्क्स	३	—
	पियून्स	२	—
	योग ..	५	—

१	२	३	४
६—डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर, फतेहपुर।	फैनपुलर्स	३	—
	क्लर्क्स	१	—
	योग ..	४	—
७—डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स, फतेहपुर।	क्लर्क्स	१	—
	पियू स	३	—
	योग ..	४	—
८—डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ, फतेहपुर।	स्वीपर कम चौकीदार	१	१
	फैनपुलर्स	२	—
	लैम्प केरीयर्स	५	—
	वैक्सीनेटर्स	५	—
	योग ..	१३	१
९—मेडिकल आफिसर, बी० सी० जी० टीम नं० ६, ७ फतेहपुर।	पियून	१	१
१०—डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर फतेहपुर।	क्लर्क	२	२
११—एक्सीक्यूटिव इंजीनियर, एल० जी० सी०, फतेहपुर	बरकन्दाज	१	—
	स्वीपर	१	१
	चौकीदार	—	—
	योग ..	२	१
१२—सेटेलमेंट आफिसर (सी) फतेहपुर।	फैनपुलर्स	३	२
	चौकीदार	२	२
	योग ..	५	४
१३—सीनियर आडिटर्स कोआपटिव, फतेहपुर।	अर्दली पियून	१	—
१४—हेड मास्टर गवर्नमेंट नार्मल स्कूल, फतेहपुर।	चौकीदार	१	१

१	२	३	४
१५—डिस्ट्रिक्ट प्रोवेजन आफिसर, फतेहपुर।	पियून	१	१
	फैनपुलर्स	१	—
	योग ..	२	१
१६—डिस्ट्रिक्ट इम्प्लायमेंट आफिसर, फतेहपुर।	अर्दली पियून	१	१
	स्वीपर कम चौकीदार	१	१
	योग ..	२	२
१७—सहायक कमानडेन्ट, प्रादेशिक शिक्षालय, फतेहपुर।	चौकीदार	१	—
१८—आफिसर इन्चार्ज, कलेक्टरेट, फतेहपुर।	फैनपुलर्स	११	१
१९—एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ओ० जी० सी० ११, फतेहपुर।	रनर	१	—
	पियून	१	—
	मिस्त्री	१	—
	क्लर्क	१	—
	योग ..	४	—
२०—डिस्ट्रक्ट एग्रीकल्चर आफिसर, फतेहपुर।	कामदार	३	—
	सर्वे मेट	१	—
	योग ..	४	—
२१—एसिस्टेण्ट ब्रांच मैनेजर, एल० आई० सी०, फतेहपुर।	टाइपिस्ट	१	—
२२—ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर, फतेहपुर।	मैसेंजर	१	—
२३—आफिसर इंचार्ज, क्लक्शन, फतेहपुर।	अमीन	१	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४
२४—सिविल एण्ड सेशन जज, फतेहपुर।	प्रोशेस सर्वर्स	१	—
२५—ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर, अगौली।	डाक रनर	१	—
२६—तहसीलदार खागा, फतेहपुर।	फैनपुलर	१	—
२७—प्रेसिडेण्ट, म्युनिसिपल बोर्ड बिन्दकी, फतेहपुर।	स्वीपर	१	१
२८—डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टाक, आफिसर फतेहपुर।	बुल अटेनडेंट	१	—
२९—स्टैटिसटिक आफिसर, फतेहपुर।	क्लर्क	१	—
	कुल योग ..	१५१	

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९ पर)

परिशिष्ट—क—(१) मूढ़ा पांडे

वर्ष १९६२–६३ में अनुदान का जो धन विकास क्षेत्र मूढ़ा पांडे को मिला है, बिक्री विभाग से प्राप्त हुआ है जो निम्नलिखित ग्राम सभाओं को स्कूलों के निर्माण के हितार्थ में वितरित किया गया है :—

क्रमांक	किसको अनुदान दिया गया	धनराशि जो दी गई	नाम कार्य
		रु०	
१	प्राइमरी स्कूल सिरसा खेड़ा ..	१०००.००	योजना ३ के अन्तर्गत खोली गई पाठशालाएं।
२	प्राइमरी स्कूल, रामपुर, थीला ..	१०००.००	,,
३	प्राइमरी स्कूल, किरनपुर ..	१०००.००	,,
४	प्राइमरी स्कूल, पीत खेड़ा ..	१०००.००	,,
५	प्राइमरी स्कूल, रकाबपुरा ..	२५००.००	योजना ४ के अन्तर्गत, प्रारम्भिक पाठशालाओं की अध्यापिकाओं के आवास गृह का निर्माण।

परिशिष्ट क—(२) भगतपुर टांडा

वर्ष १९६२–६३ में अनुदान का जो धन विकास क्षेत्र भगतपुर टांडा को मिला है शिक्षा विभाग से प्राप्त हुआ है जो निम्नलिखित ग्राम सभाओं को स्कूलों के निर्माण के हितार्थ वितरित किया गया है :—

क्रमांक	किसको अनुदान दिया गया	धनराशि जो दी गई	नाम कार्य
१	प्राइमरी स्कूल रायपुर टांडा ..	१०००.००	योजना ४ के अन्तर्गत खोली गई पाठशालाएं।
२	प्राइमरी स्कूल, हमीरपुर ..	१०००.००	,,
३	प्राइमरी स्कूल, कोलाकी ..	१०००.००	,,
४	प्राइमरी स्कूल, बीलावाला ..	२५००.००	योजना ४ के अन्तर्गत प्रारम्भिक पाठशालाओं की अध्यापिकाओं के आवास गृह का निर्माण।

परिशिष्ट क—(३) मुरादाबाद

वर्ष १९६२–६३ में विकास क्षेत्र, मुरादाबाद को जो धन दिया गया है उसमें से १,००० या इससे अधिक जिन व्यक्तियों को दिया गया उनकी मदवार सूची निम्न प्रकार है :—

लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत दिये गये अनुदान की सूची

क्रमांक	किसको अनुदान दिया गया	धनराशि जो दी गयी	नाम कार्य
सर्वश्री—		रु०	
१	इन्वर सिंह पुत्र श्री महमूद अली, ग्राम गांची।	११००.००	सिंचाई, कूप एवं रहट।
२	रघुबीर सिंह पुत्र शेर सिंह, ग्राम बागड़पुर।	१६५०.००	पम्पिंग सेट।
३	राम लाल पुत्र लालमन, ग्राम मुकरबपुर।	११५०.००	सिंचाई कूप एवं रहट।
४	करन सिंह पुत्र सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, ग्राम बागड़पुर।	१९५०.००	पम्पिंग सेट।
५	हरि सिंह पुत्र बसन्त सिंह, ग्राम दादूपुर।	१२००.००	कूप-बोरिंग एवं रहट।
६	प्रताप सिंह पुत्र बसन्त सिंह, ग्राम दादूपुर।	२४५०.००	पम्पिंग सेट।
७	नजीर अहमद पुत्र वजीर अहमद, ग्राम किसनपुर।	१२००.००	कूप बोरिंग एवं रहट।
८	अहमद हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन, ग्राम गोमट।	१२००.००	,,
९	वशीमुल्ला पुत्र इदअना ग्राम किसनपुर।	२०००.००	पम्पिंग सेट।
१०	चन्दा उर्फ गुलाम रसूल, पुत्र हुसैन बख्श ग्राम गोट।	१२५०.००	कूप बोरिंग एवं रहट।

प्राइमरी स्कूल निर्माण हितार्थ दिये गये अनुदान की सूची

११	प्राइमरी स्कूल सोनकपुर भोलासिंह मिल।	१०००.००	योजना ३ के अन्तर्गत खोली गई पाठशालाएं।
१२	प्राइमरी स्कूल, भीमाठेर माफी ..	१०००.००	,,
१३	,, ,, ताजपुर माफी	१०००.००	,,
१४	,, ,, शाहपुर	१०००.००	,,
१५	,, ,, मऊ	२५००.००	योजना ४ के अन्तर्गत अध्यापिकाओं के आवास गृह निर्माण हेतु।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३ पर)

पहली शिकायत यह थी कि झांसी जिला कोआपरेटिव बैंक की मीटिंग भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद की मृत्यु के शोक दिवस के दिन १-३-१९६३ को सम्पन्न की गई जबकि नियमानुकूल केवल शोक प्रस्ताव पास करके अन्य विचाराधीन मामले स्थगित होना चाहिये था। दूसरी शिकायत थी कि एजेन्डा के अलावा अन्य विषयों पर भी मीटिंग में विचार किया जाय।

इस विषय में बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया था। मैनेजिंग डाइरेक्टर ने अपने स्पष्टीकरण में सूचित किया है कि चूंकि बैंक का वार्षिक अधिवेशन ३-३-१९६३ को होना था जिसका स्थगित करना असम्भव था अतएव बैंक की संचालक मंडल की मीटिंग १-३-६३ को वार्षिक सभा के अधिवेशन के सिलसिले में ही हुई, का स्थगित किया जाना सम्भव नहीं था। बैंक का कार्यालय शोक दिवस के कारण पूरे दिन बन्द रहा।

जहां तक मीटिंग के एजेन्डा के अतिरिक्त अन्य विषयों के विचार किये जाने का प्रश्न है मैनेजिंग डाइरेक्टर का कहना है कि नये विषय पर अध्यक्ष की स्वीकृति के मिलने पर ही विचार किया गया अतः इससे कोई अनियमितता नहीं है।

रूल्स १७५ के अन्तर्गत किसी सहकारी संस्था के कार्य अथवा प्रस्ताव तभी रद्द किये जा सकते हैं जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, रूल्स तथा समिति की नियमावली के विरुद्ध हो अथवा समिति के उद्देश्य के बाहर हो। अतः बैंक की १-३-१९६३ की मीटिंग की कार्यवाही रजिस्ट्रार द्वारा रूल्स १७५ के अन्तर्गत रद्द नहीं की जा सकती।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १–२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४ पर)

तालिका—क

(सूचना ३१–७–१९६३ तक की है)

क्रम सं०	जिला		पेंशन के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की कुल संख्या	पेंशन स्वीकृति हुई प्रार्थना-पत्रों की कुल संख्या	विवरण
(१)	मेरठ	..	२५८२	६३२	
(२)	मुजफ्फरनगर	..	७८२	३१२	
(३)	सहारनपुर	..	७३८	३०८	
(४)	बुलन्दशहर	..	६५६	२६३	
(५)	देहरादून	..	८८५	३२१	
(६)	अलीगढ़	..	१०६५	६१४	
(७)	एटा	..	४८७	२५१	
(८)	मथुरा	..	७५९	३०८	
(९)	मैनपुरी	..	३०९	१८२	
(१०)	आगरा	..	११८३	३९६	
(११)	कानपुर	..	२७४८	७७२	
(१२)	फतेहपुर	..	४९९	२१०	
(१३)	फर्रुखाबाद	..	७३७	३५९	
(१४)	इटावा	..	६८५	३०७	
(१५)	इलाहाबाद	..	१२८४*	५३९	*यह संख्या जून के अन्त तक की है, क्योंकि जुलाई की संख्याएं प्राप्त नहीं हुई हैं।
(१६)	झांसी	..	५३८	२२१	
(१७)	जालौन	..	३५७	१७६	
(१८)	बांदा	..	४३०	२५४	
(१९)	हमीरपुर	..	५९५*	२२८	
(२०)	वाराणसी	..	१६५४	६७६	
(२१)	गाजीपुर	..	६६९	२४४	
(२२)	जौनपुर	..	५०६	२३८	
(२३)	बलिया	..	६४५	२३७	
(२४)	मिर्जापुर	..	६७६	१४८	
(२५)	लखनऊ	..	१५८६†	३४३	†यह संख्याएं ३१ मार्च, १९६१ तक की हैं, क्योंकि माह अप्रैल से जुलाई तक की संख्या प्राप्त नहीं हुई है।
(२६)	उन्नाव	..	५८१	२७५	

१	२	३	४	५
(२७)	रायबरेली	..	५९५	२२४
(२८)	सीतापुर	..	३५४	१८९
(२९)	हरदोई	..	५७८	२२४
(३०)	खीरी	..	४३५	२१६
(३१)	बिजनौर	..	७४९	२७३
(३२)	बबायूं	..	५६५	२१७
(३३)	शाहजहांपुर	..	५४०	२४०
(३४)	पीलीभीत	..	२९६	१३९
(३५)	रामपुर	..	७८१	१४५
(३६)	मुरादाबाद	..	१०००	३७१
(३७)	बरेली	..	१३२९	४९९
(३८)	गोंडा	..	६२९	२२५
(३९)	बहराइच	..	३७१	१४९
(४०)	बाराबंकी	..	३७२	१७२
(४१)	प्रतापगढ़	..	४२६	११९
(४२)	सुलतानपुर	..	३६८	१४५
(४३)	फैजाबाद	..	६७४	२२९
(४४)	गोरखपुर	..	३९५	१५०
(४५)	आजमगढ़	..	४१८	१९५
(४६)	देवरिया	..	५२७	९८
(४७)	बस्ती	..	४१०	१३०
(४८)	नैनीताल	..	२४०	१६३
(४९)	अलमोड़ा	..	३९५	१८०
(५०)	गढ़वाल	..	३८४	१३१
(५१)	टेहरी	..	२८०	७९
(५२)	पिथौरागढ़	..	११०	४२
(५३)	चमौली	..	११०	३७
(५४)	उत्तरकाशी	..	२५	१२
	योग	..	३५,९९२	१३,८०८

तालिका—ख

		सीतापुर जिले में	शाहजहांपुर जिले में
१—प्रार्थना-पत्र देने वालों की संख्या	..	१५४	१४८
२—जिन्हें, पेशन देना स्वीकार किया गया	..	९६	७७
३—प्रार्थना-पत्र जो विचाराधीन हैं (माह जुलाई के अन्त तक)	..	१०	१२

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६ पर)

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक राजकीय टी०बी० संस्थाओं के लिये स्वीकृत कम्पाउण्डरों (फार्मासिस्टों) के पदों तथा उन पर वास्तविक कार्य करने वालों की सूची

क्रम-संख्या	संस्थाओं के नाम	कम्पाउन्डर स्वीकृत	कम्पाउन्डर वास्तविक
१	२	३	४
१	एस० ए० एम० सैनिटोरियम, फिरोजाबाद (आगरा)	३	३
२	टी० बी० सैनिटोरियम, गैठिया, (नैनीताल)	३	३
३	के० ई० ७ सैनिटोरियम, भवाली (नैनीताल)	६ जिसमें पुलिस वार्ड के लिये २ कम्पाउण्डर और भूमिधार के लिये १ कम्पाउण्डर सम्मिलित है ।	६
४	टी० बी० क्लीनिक, बहराइच ..	पब्लिक हैल्थ नर्स के ४ पदों के बदले कम्पाउंडरों के दो पद	१ कम्पाउन्डर १ पब्लिक हैल्थ नर्स
५	टी० बी० क्लीनिक दून हास्पिटल, देहरादून	१	१
६	गवर्नमेन्ट टी० बी० क्लीनिक, फतेहगढ़ ..	१	१
७	गवर्नमेन्ट टी० बी० क्लीनिक, जौनपुर ..	१	१
८	टी० बी० क्लीनिक, मिर्जापुर, ..	१	१
९	टी० बी० आईसोलेशन हास्पिटल, मिर्जापुर..		
१०	टी० बी० क्लीनिक, गाजियाबाद, मेरठ ..	१	१
११	टी० बी० क्लीनिक, मेरठ ..	१	१
१२	भारत सरकार के नमूने पर राज्य में अधिष्ठापित, टी० बी० क्लीनिक रायबरेली ।	५ एक पद रेगुलर कम्पाउण्डर के लिये है और शेष चार पद पब्लिक हैल्थ नर्सों के लिये हैं ।	३ १ कम्पाउण्डर और २ पब्लिक हैल्थ नर्सेज ।
१३	टी० बी० क्लीनिक, सहानपुर ..	५ स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने तीन कम्पाउण्डरों को बाहर नियुक्ति के रख छोड़ा है ।	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	संस्थाओं के नाम	कम्पाउन्डर स्वीकृत	कम्पाउन्डर वास्तविक
१	२	३	४
१४	टी० बी० आईसोलेशन शय्याएं आई० डी० हास्पिटल में, हरद्वार (सहारनपुर)।	हास्पिटल के आई० डी० शाखा में जो कम्पाउण्डर हैं वह टी० बी० आईसोलेशन में भी कार्य कर रहे हैं (५०) शय्याएं हरद्वार में।	
१५	टी० बी० हास्पिटल, इलाहाबाद ..	३	३
१६	टी० बी० क्लीनिक साधारण तरीके का इलाहाबाद।	१	१
१७	टी० बी० क्लीनिक (भारत सरकार के नमूने का) इलाहाबाद।	१	१
१८	टी० बी० हास्पिटल, हाथरस (अलीगढ़) ..	४	४
१९	जिला हास्पिटल (टी० बी० वार्ड) अलीगढ़		
२०	भारत सरकार के नमूने पर राज्य में अधिष्ठापित, टी० बी० क्लीनिक, अलीगढ़।	१	१
२१	टी० बी० क्लीनिक, सीतापुर ..	१	१
२२	टी० बी० क्लीनिक, कानपुर ..	१	२
		(दो पब्लिक हैल्थ नर्सों के बदले में एक)	
२३	टी० बी० आईसोलेशन हास्पिटल, किदवाई-नगर कानपुर,		
२४	राज्य टी० बी० क्लीनिक, झांसी ..	३	२
		(दो पब्लिक हैल्थ नर्सों के बदले में)	
२५	टी० बी० क्लीनिक, बुलन्दशहर ..	१	१
२६	गवर्नमेन्ट टी० बी० क्लीनिक, अलमोड़ा ..	१	१
		इस क्लीनिक में चार पब्लिक हैल्थ नर्स की पदों के स्थान पर २ कम्पाउण्डर के पद स्वीकृत हैं देखिये राजाज्ञा संख्या १००३ बी० टी० ५,१९६१, दिनांक, मई २१, १९६२।	
२७	आई० डी० हास्पिटल, (टी० बी० वार्ड अयोध्या) फैजाबाद।	१	१
२८	टी० बी० वार्ड, पौड़ी गढ़वाल ..		
२९	सिविल सर्जन, लखनऊ ..		
३०	टी० बी० हास्पिटल, इटावा ..	१	१

१		२	३
३१	टी० बी० क्लीनिक, एस० एस० पी० गुप्त हास्पिटल, वाराणसी ।	१	१
३२	गवर्नमेंन्ट टी० बी० क्लीनिक, गोरखपुर ..	१	१
३३	सिविल सर्जन, आगरा ..		
३४	टी० बी० वार्ड, जिला हास्पिटल, बदायूं ..	१	१
३५	टी० बी० क्लीनिक भारत सरकार के नमूने का (गाजीपुर) ।	१	१
३६	टी० बी० हास्पिटल, पिथौरागढ़ ..	१	१
३७	टी० बी० वार्ड, जिला हास्पिटल, मैनपुरी ..		
३८	टी० बी० क्लीनिक, बरेली ..	१	१
३९	टी० बी० क्लीनिक, खीरी ..	१	१
४०	एल० एल० आर० हास्पिटल, कानपुर ..	१	१
४१	आई० डी० हास्पिटल, कानपुर ..	२	२
४२	टी० बी० क्लीनिक, देवरिया ..	१	१
४३	टी० बी० वार्ड, जिला हास्पिटल, मुरादाबाद	१	१

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक राजकीय टी० बी० संस्थाओं के लिए स्वीकृत कम्पाउण्डरों (फार्मेसिस्टों) के पदों तथा उन पर वास्तविक कार्य करने वालों की सूची

१	टी० बी० क्लीनिक, बस्ती ..	१	१
२	टी० बी० आईसोलेशन हास्पिटल, बस्ती ..		
३	सिविल सर्जन, सुल्तानपुर ..	सूचना शून्य है	
४	सिविल सर्जन, फतेहपुर ..		
५	सिविल सर्जन, बिजनौर ..		
६	सिविल सर्जन, मथुरा ..		
७	टी० बी० वार्ड, जिला हास्पिटल, मुजफ्फरनगर । ..	जिला हास्पिटल के कम्पाउण्डर टी० बी० वार्ड का कार्य देखते हैं कार्य अलग कम्पाउण्डर की नियुक्त नहीं हुई है ।	

विधान सभा

नत्थी "ज"

(देखिये पीछे पृष्ठ ७२ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६३ के पहले बुधवार के लिये निर्धारित श्री बाबूलाल श्रीवास्तव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
२—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी विभाग, प्रतापगढ़ में भू०पू० हेड क्लर्क अवकाश प्राप्त होने के बाद १९५५ से अपने जी० पी० फंड के बारे में लिखा-पढ़ी कर रहे हैं परन्तु इनको फंड अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है और ऐसे कितने कर्मचारियों का जी० पी० फंड का पैसा उनके अवकाश प्राप्त करने के बाद भी अभी तक उनको नहीं दिया गया है ।	२—जी हां यह सत्य है । इसका कारण यह है कि श्री छैल बिहारी लाल श्रीवास्तव द्वारा गबन किये हुये सरकारी धन की वसूली का मामला अभी सरकार के विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त इस विभाग के सिवाय एक कर्मचारी के अन्य किसी अवकाश प्राप्त कर्मचारी का जी० पी० फंड का भुगतान शेष नहीं है ।

मुजफ्फर हसन,
सहकारिता मन्त्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १४३ एल० ए०—१९६३—८६० ।